Drishti IAS

# एडिटोरियल

## (संग्रह)

## मई

## 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry ( English ): 8010440440,
Inquiry ( Hindi ): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम


- समलैंगिक विवाह: समानता के लिए संघर्ष 3
- भारत एवं ईएफटीए स्टेट्स 5
- भारत में भूख की विरोधाभाषी स्थिति 7
- भारत चीन व्यापार संबंध 10
- बेमौसम बारिश और प्रभाव 13
- शहरों का विस्तार एवं विकास 16
- मणिपुर में हिंसा 19
- भारतीय रूपए का वैश्वीकरण 22
- भारत एवं खाड़ी के देशों के मध्य बढ़ते संबंध 25
- भारतीय विमानन उद्योग 28
- ONDC एवं इसकी क्षमता 34
- सभी मौसमों में खाद्य सुरक्षा 36
- डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार 39
- कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना 41
- भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण 44
- इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन 47
- क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत 49
- परंपरा का संरक्षण: जल्लीकट्टू पर ऐतिहासिक फैसला 51
- इलेक्ट्रिक वाहन: लाभ और चुनौतियाँ 53
- आर्थिक दुर्व्यवहार: घरेलू दुर्व्यवहार का एक उपेक्षित पहलू 56
- दशकीय जनगणना में विलंब 58
- भारत और संकटग्रस्त पाकिस्तान 61
- मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित मुद्दे एवं निहितार्थ 66
- भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण 69
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 74


दृष्टि The Vision

**नोट :**

# समलैंगिक विवाह: समानता के लिए संघर्ष

## संदर्भ

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act- SMA) के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई शुरू की है। वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम उन युगलों के लिये विवाह का नागरिक स्वरूप प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून (personal law) के तहत विवाह नहीं कर सकते।

- कार्यवाही में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दी है कि मामले को संसद को संदर्भित किया जाए जहाँ यह तर्क दिया गया है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिये कानून को पुन: संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में समलैंगिक विवाह के विषय और इससे संबद्ध मुद्दों पर विचार करना हमारे लिये प्रासंगिक होगा।

## समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क

- **विवाह की धार्मिक परिभाषाएँ:** विभिन्न धर्मों में पारंपरिक रूप से विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का बंधन माना जाता रहा है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की सीमाओं को दूर करने के लिये लाया गया था, न कि विवाह की एक नई संस्था के निर्माण के लिये।
- **राज्य का 'वैध' हित:** विवाह और व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित करने में राज्य का एक वैध हित निहित है, जैसा कि सहमति की आयु, विवाह के निषिद्ध स्तर और तलाक से संबंधित कानूनों में देखा गया है। विवाह करने का अधिकार स्वयं में पूर्ण नहीं है (not absolute) और राज्य के कानूनों के अधीन है। जैसे माता-पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते, वैसे ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों पर पूर्ण नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते।
    - कब शादी करनी है, कितनी बार शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे अलग होना है और पशुगमन या व्यभिचार (bestiality or incest) पर कानून को विनियमित करने के लिये राज्य अपने वैध हित का दावा कर सकता है।
- **निजता का अधिकार:** वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार (Right to Privacy) को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी और कहा कि यौन उन्मुखता (sexual orientation) किसी व्यक्ति की पहचान का एक महत्त्वपूर्ण अंग है जिसे बिना किसी भेदभाव के संरक्षित किया जाना चाहिये।
    - हालाँकि, यह निजिता भले अस्तित्व में है, इसे विवाह तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जिससे एक आवश्यक सार्वजनिक तत्व संबद्ध होता है। वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण यौन संबंध निजी होते हैं, लेकिन विवाह का एक सार्वजनिक पहलू होता है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।
- **संसद द्वारा विधान का निर्माण:** केवल संसद के पास समलैंगिक विवाह पर निर्णय लेने का अधिकार है क्योंकि यह लोकतांत्रिक अधिकार का मामला है और न्यायालय को इस संबंध में कानून निर्माण की राह पर आगे नहीं बढ़ना चाहिये। कानून में संभावित अनपेक्षित परिणाम सन्निहित हो सकते हैं और इसमें LGBTQIA+ समुदाय (जिसमें 72 श्रेणियाँ हैं) के अंतर्गत आने वाले लिंगों के विभिन्न क्रमचय एवं संचय से निपटने की जटिलता भी शामिल है।
- **कानून की व्याख्या:** विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या समलैंगिक विवाह को शामिल करने के लिये नहीं की जा सकती क्योंकि अधिनियम की संपूर्ण संरचना पर विचार करने की आवश्यकता होगी, न कि इसमें शामिल केवल कुछ शब्दों की। उदाहरण के लिये, अधिनियम एक पत्नी को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है और यह स्पष्ट नहीं है कि समलैंगिक विवाह में ये अधिकार किसके पास होंगे। इसके अतिरिक्त, समलैंगिक विवाह में एक पक्ष को एक विशिष्ट अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देने से विषमलैंगिक विवाहों के लिये समस्या उत्पन्न हो सकती है।
    - यह कानून पत्नी को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है, जैसे कानून कहता है कि पत्नी शादी के बाद पति का अधिवास प्राप्त करती है; इस परिदृश्य में फिर प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगी?
    - तलाक का मुद्दा: विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है कि उसका पति बलात्कार, सोडोमी या पशुगमन का दोषी है।
- **बच्चों को गोद लेने संबंधी मुद्दे:** क्वियर युगल द्वारा बच्चों को गोद लेने के मामले में सामाजिक कलंक, भेदभाव और बच्चे के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जैसे परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे भारतीय समाज में जहाँ LGBTQIA+ समुदाय को सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
- **लैंगिक शब्द:** यह तर्क भी दिया जाता है कि 'माँ' और 'पिता', 'पति' और 'पत्नी' जैसे लैंगिक शब्द समलैंगिक विवाहों में समस्याजनक होंगे।

## समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क

- **मानव जाति के लिये खतरे की धारणा:** समलैंगिक विवाह का यह कहकर विरोध करना कि यह मानव जाति को समाप्त कर देगा, अनुचित है, क्योंकि बच्चे पालने की इच्छा रखने वाले समलैंगिक युगलों के लिये गोद लेने का समाधान मौजूद है।
- **अभिजात्य अवधारणा का आरोप:** विवाह समानता की मांग आर्थिक रूप से कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की ओर से की जाती है जिन्हें कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह दावा करना कि यह शहरी अभिजात वर्ग का मामला है, भ्रामक है। उदाहरण के लिये, लीला और उर्मिला का मामला (जहाँ इन दो पुलिसकर्मियों को वर्ष 1987 में विवाह करने के लिये निलंबित कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था) समाज में LGBTQIA+ लोगों द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है।
- **क्वियर भारतीयों के लिये विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार:** 'हसबेंड' या 'वाइफ' के बजाय 'स्पाउज़' जैसी लिंग-तटस्थ भाषा का उपयोग करके क्वियर भारतीयों को शामिल करने के लिये विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार किया जाना चाहिये। यह उन्हें विशेष अधिकार की मांग किये बिना विवाह कर सकने का अधिकार प्रदान करेगा।
  - विशेष विवाह अधिनियम ने वर्ष 2006 में एक बंगाली हिंदू और एक एंग्लो-इंडियन रोमन कैथोलिक को शादी करने की अनुमति दी थी और उन्हें उम्मीद है कि इस कानून का विस्तार क्वियर भारतीयों के लिये भी किया जाएगा।
- **सह-वास का मूल अधिकार होना:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सह-वास (Cohabitation) को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया था और कहा था कि यह सरकार का दायित्व है कि वह ऐसे संबंधों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता दे।
  - न्यायाधीशों ने सुझाव दिया था कि कुछ लाभों की प्राप्ति के लिये ऐसे संबंधों को मान्यता देना आवश्यक है, लेकिन विवाह के रूप में मान्यता देना आवश्यक नहीं है। CJI ने ऐसे संबंधों में शामिल लोगों के लिये सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की भावना प्रदान करने के महत्त्व पर बल दिया था।
  - न्यायालय ने 'विवाह' के बजाय 'कॉन्ट्रैक्ट' या 'पार्टनरशिप' जैसे लेबल का सुझाव दिया। सरकार ने यह कहा कि समलैंगिक संबंधों को विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग करने का कोई मूल अधिकार नहीं है।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक युगलों के लिये सह-वास को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने पर विचार किया, जो उन्हें कथित 'विवाह' में होने के बिना भी लाभ का हक़दार बनाएगा।
- **समलैंगिक युगलों को स्वीकार करना:** CJI ने समलैंगिक युगलों को बहिष्कृत करने के बजाय समाज में आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया है। IPC की धारा 377 के अपराध-मुक्तीकरण (decriminalization) ने समलैंगिक संबंधों के अस्तित्व को मान्यता दी है।
  - सरकार को समलैंगिक युगलों के समक्ष विद्यमान व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना चाहिये, जैसे कि संयुक्त बैंक खाते रखना और पेंशन एवं ग्रेच्युटी की पात्रता।
- **भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली:** सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत में, जहाँ सामाजिक मानदंड और दायित्व महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, कानूनी मान्यता के बाद भी समलैंगिक संबंधों को स्वीकृति मिलना चुनौतीपूर्ण होगा।
  - यह भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध जाता है। हालाँकि, समलैंगिक विवाह की मान्यता समाज में विद्यमान संबंधों की विविधता में और योगदान करेगी।
- **मानवीय गरिमा:** नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक युगलों को एक गरिमापूर्ण निजी जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की।
- **'बायोलॉजिकल जेंडर' स्वयं में 'पूर्ण' नहीं है:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि 'बायोलॉजिकल जेंडर' स्वयं में 'पूर्ण' या परम (absolute) स्थिति नहीं है और 'लिंग' या जेंडर महज जननांग विशेष के अर्थ तक सीमित नहीं है। पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है ("no absolute concept of a man or a woman")।
- **'अधिकारों की श्रेणियों' से वंचित किया जाना:** LGBTQIA+ समुदाय को विवाह करने की अनुमति न देकर उन्हें कर लाभ, चिकित्सा अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे कई महत्त्वपूर्ण कानूनी लाभों से वंचित किया जा रहा है। विवाह केवल गरिमा का प्रश्न नहीं है, बल्कि अधिकारों का एक संग्रह भी है।

## आगे की राह

- **जागरूकता बढ़ाना:** जागरूकता अभियानों का उद्देश्य सभी यौन उन्मुखताओं की समानता एवं स्वीकृति को बढ़ावा देना और LGBTQIA+ समुदाय के बारे में लोक धारणा का विस्तार करना है।

नोट :

- **कानूनी सुधार:** विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि समलैंगिक युगलों को कानूनी रूप से विवाह करने और अन्य नागरिकों के समान अधिकारों एवं लाभों का उपभोग करने की अनुमति मिल सके। इस दौरान अनुबंध जैसे समझौते लाए जाएँ ताकि समलैंगिक लोग विषमलैंगिकों की तरह समान अधिकारों का उपभोग कर सकें।
- **संवाद और संलग्नता:** धार्मिक नेताओं और समुदायों के साथ संवाद में संलग्न होने से समलैंगिक संबंधों के प्रति पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:** भारतीय LGBTQIA+ समुदाय समलैंगिक विवाह को रोकने वाले मौजूदा कानूनों की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस तरह की कानूनी चुनौतियाँ एक विधिक मिसाल स्थापित करने में मदद कर सकती हैं जो समलैंगिक विवाह के वैधीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिये LGBTQIA+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। एक साथ कार्य कर हम एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर किसी को अपनी लैंगिकता की परवाह किये बिना अपनी पसंद से प्यार करने और विवाह करने का अधिकार होगा।

# भारत एवं ईएफटीए स्टेट्स

## संदर्भ

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association- EFTA) के महासचिव ने भारत और EFTA राज्यों- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के बीच एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement- TEPA) के संभावित लाभों पर बल दिया है।

- उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और भारत के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों ने TEPA की दिशा में अपनी वार्ता को पुन: आरंभ करने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिये एक बैठक की। वार्ता के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य ने "सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये अपने प्रयासों को जारी रखने और आर्थिक साझेदारी को गहन एवं सशक्त करने की दिशा में काम करने" के लिये पक्षकारों के साझा निर्णय को प्रकट किया।
- वे अपनी आर्थिक साझेदारी को गहन एवं सशक्त करने और एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली में योगदान देने का लक्ष्य रखते हैं।

## EFTA क्या है?

- EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिये एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ (EU) में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।
- EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ के अंग नहीं हैं, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाज़ार तक पहुँच रखते हैं।

## भारत के लिये EFTA राज्यों का आर्थिक महत्त्व

- **मानव संसाधन:**
  - हालाँकि EFTA राज्य 14 मिलियन से कुछ अधिक की एक छोटी आबादी ही रखते हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएँ नवाचार, प्रतिस्पर्द्धात्मकता, प्रति निवासी धन सृजन, जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता के मामले में विश्व की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं।
- **व्यापार:**
  - वर्ष 2021 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात व निर्यात के साथ वे विश्व में 10वें सबसे बड़े मर्चेंडाइज़ ट्रेडर्स और 8वें सबसे बड़े सर्विस ट्रेडर्स होने की स्थिति रखते हैं।
- **वैश्विक अग्रणी कंपनियाँ:**
  - EFTA राज्यों की विभिन्न कंपनियाँ फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, मशीनरी निर्माण, R&D संचालित प्रौद्योगिकी

उत्पादों, भू-तापीय संबंधित प्रौद्योगिकियों, समुद्री प्रौद्योगिकी, ऊर्जा-संबंधी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और बीमा में विश्व में अग्रणी स्थान रखती हैं।

- **EFTA के व्यापार समझौतों की सफलता का इतिहास:**
  - EFTA 40 भागीदार देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौतों पर वार्ता संपन्न करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें 29 मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) शामिल हैं।
    - EFTA राज्यों का लगभग 22% आयात इन FTA भागीदारों से संपन्न होता है।
  - उन्होंने हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ समझौते संपन्न किये हैं, जबकि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ समझौता वार्ता चल रही है।

## TEPA क्या है?

- यह एक प्रकार का आर्थिक साझेदारी समझौता है।
- **व्यापक दायरा:**
  - TEPA समझौते माल, सेवाओं एवं निवेश में व्यापार के साथ-साथ बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा नीति एवं सरकारी खरीद जैसे अन्य क्षेत्रों सहित आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं।
- **लचीलापन:**
  - TEPA समझौते वार्ता के नियमों एवं शर्तों के मामले में लचीलेपन की पेशकश करते हैं, जहाँ संलग्न पक्षकार अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं हितों के अनुरूप समझौते की रूपरेखा तय कर सकते हैं।
- **परस्पर लाभ:**
  - TEPA समझौते किसी एक पक्ष में झुके होने के बजाय दोनों पक्षों के लिये परस्पर लाभ को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से डिज़ाइन किये गए हैं।
  - इसका अर्थ यह है कि दोनों पक्षों को समझौते से लाभ प्राप्त होगा, जहाँ व्यापार और निवेश में वृद्धि से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी।
- **प्रबल प्रावधान:**
  - TEPA समझौतों में प्राय: श्रम एवं पर्यावरण मानकों पर प्रबल प्रावधानों के साथ-साथ विवाद निपटान और प्रवर्तन तंत्र के प्रावधान शामिल होते हैं।

## TEPA के संभावित लाभ

- **संवृद्ध व्यापार:**
  - भारत और EFTA राज्यों के बीच एक TEPA का संपन्न होना ऐसे विश्वसनीय लोकतांत्रिक भागीदारों के बीच मज़बूत भागीदारी का समर्थन और व्यापार की वृद्धि करेगा जो सतत विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने जैसे मूल्यों को साझा करते हैं।
  - भारत के प्रभावशाली आर्थिक विकास और हरित प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी स्थिति को EFTA राज्यों के पूरक समर्थन से लाभ प्राप्त होगा, जहाँ व्यापार एवं निवेश संबंध सशक्त बनेंगे।
- **बाज़ार तक पहुँच:**
  - माल के लिये बेहतर बाज़ार पहुँच EFTA बाज़ारों में भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगी, जहाँ EFTA के निर्यात उत्पाद प्राय: भारतीय निर्यात उद्योगों में इनपुट के रूप में कार्य करते हैं।
- **निवेश की वृद्धि:**
  - EFTA राज्यों ने भारत में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और धातु, फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा, निर्माण और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) जैसे क्षेत्रों में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का महत्त्वपूर्ण निवेश किया है।
  - TEPA से भारत में निवेश में व्यापक वृद्धि होने का अनुमान है।
- **परस्पर लाभ:**
  - EFTA राज्य अत्यधिक कुशल भारतीय कार्यबल से, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में, लाभान्वित होते हैं।
  - भारत EFTA राज्यों द्वारा स्थापित 400 से अधिक कंपनियों से लाभान्वित होता है, जो 1,50,000 से अधिक नौकरियाँ सृजित करते हैं।
  - व्यापार समझौते से सेवा क्षेत्र में पूर्वानुमेयता बढ़ेगी, जिससे कुशल भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिये अधिक व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे।
- **नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ:**
  - भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% की पूर्ति नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य रखता है जहाँ सौर, पवन, पनबिजली और भू-तापीय ऊर्जा में परियोजनाओं एवं सहयोग को आगे बढ़ाने की क्षमता है।
  - EFTA राज्य अपनी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ भारत की हरित विकास आकांक्षाओं में योगदान कर सकते हैं।

## संबद्ध चुनौतियाँ

- **आर्थिक संरचनाओं में व्याप्त अंतर को संबोधित करना:**
  - EFTA राज्य उच्च तकनीकी उद्योगों एवं सेवाओं पर केंद्रित

होने के साथ अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जबकि भारत एक अधिक विविध आर्थिक संरचना संपन्न विकासशील अर्थव्यवस्था है।

- TEPA पर समझौता वार्ता संपन्न करने में इन विभिन्न आर्थिक संरचनाओं के बीच के अंतराल को भरना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

- **बाज़ार पहुँच की चुनौतियाँ:**
  - समझौते को बाज़ार पहुँच संबंधी मुद्दों और टैरिफ, कोटा एवं गैर-टैरिफ बाधाओं से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना होगा ताकि पक्षकारों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित किया जा सके।
- **नियामक चुनौतियाँ:**
  - विनियमों, मानकों और विधिक ढाँचे में अंतर एक सहज व्यापारिक संबंध स्थापित करने में चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
  - विनियामक बाधाओं को दूर करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना समय लेने वाली प्रक्रिया सिद्ध हो सकती है और इसके लिये पक्षकारों के बीच व्यापक सहयोग की आवश्यकता होगी।
- **प्रतिस्पर्द्धी चुनौतियाँ:**
  - EFTA राज्य छोटे हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्थाएँ अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में।
  - एक समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ:**
  - पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करना (जैसे सतत विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना) पक्षकारों के बीच दीर्घकालिक और सफल साझेदारी स्थापित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- **वार्ता संबंधी चुनौतियाँ:**
  - संलग्न सभी पक्षों के हितों की पूर्ति करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर वार्ता संपन्न करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
  - इसमें अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करना और प्रबल राजनीतिक भागीदारी एवं मार्गदर्शन के साथ संतुलित समझौता करना शामिल है।

## आगे की राह

- **अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करना:**
  - EFTA और भारत के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों को ऐसे किसी भी अनसुलझे मुद्दे को हल करने की दिशा में कार्य करना चाहिये जो पारस्परिक रूप से लाभकारी TEPA को संपन्न करने में बाधक बन सकते हैं।
- **पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों की पहचान करना:**
  - व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने के लिये संलग्न पक्षकारों को पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों (जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, R&D एवं नवाचार, व्यापार सहयोग और वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच) की पहचान करनी चाहिये।
- **कुशल श्रम पर सहकार्यता:**
  - TEPA को सेवा क्षेत्र में अनुमेयता बढ़ाने, कुशल भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिये अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करने और दोनों पक्षों के आर्थिक विकास एवं कल्याण में योगदान देने पर भी ध्यान देना चाहिये।
- **प्रबल राजनीतिक भागीदारी और मार्गदर्शन:**
  - भारत और EFTA को TEPA वार्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा एक संतुलित समझौते की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिये प्रबल राजनीतिक भागीदारी और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।

# भारत में भूख की विरोधाभाषी स्थिति

## संदर्भ

भारत ने पिछले चार दशकों से अधिक की समयावधि में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकी है। यह देखना पीड़ादायी है कि देश में अधिशेष खाद्य उपलब्धता के बावजूद भुखमरी की समस्या बनी हुई है।

- वर्ष 2019-21 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) से पता चलता है कि भारत में छोटे बच्चों के एक बड़े अनुपात को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके विकास और भविष्य की सेहत के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। शून्य भुखमरी (zero hunger) के सतत् विकास लक्ष्य (SDG-2) की प्राप्ति के लिये भारत को खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने और सभी के लिये पौष्टिक खाद्य तक वहनीय पहुँच सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक पहल करनी होगी।

## आँकड़े क्या कहते हैं ?

- **NFHS-5:**
  - 6-23 माह आयु के शिशुओं की माताओं में से 18% ने बताया कि उनके बच्चे ने सर्वेक्षण से पूर्व के 24 घंटों में कोई आहार नहीं पाया था। इसे 'शून्य-खाद्य' (zero-food) की स्थिति कहा जाता है जो गंभीर खाद्य असुरक्षा से संबंधित गहन चिंताएँ उत्पन्न करता है।
  - शून्य-खाद्य की स्थिति 6-11 माह के शिशुओं के लिये 30%, 12-17 माह के शिशुओं के लिये 13% और 18-23 माह के शिशुओं के लिये 8% पाई गई।
  - शिशुओं के विकास की इस महत्त्वपूर्ण अवधि में पूरे दिन बिना आहार के रहने के गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022:**
  - वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index- GHI) 2022 में भारत 121 देशों के बीच 107वें स्थान पर रहा।
  - भारत की शिशु वेस्टिंग दर (कद के अनुरूप कम वजन) 19.3% दर्ज की गई, जो वर्ष 2014 (15.1%) और यहाँ तक कि वर्ष 2000 (17.15%) में दर्ज स्तरों से गिरावट की स्थिति को दर्शाता है।
  - देश में अल्पपोषण (undernourishment) की व्यापकता भी वर्ष 2018-2020 में 14.6% से बढ़कर वर्ष 2019-2021 में 16.3% हो गई।

## वर्तमान परिमापन से संबद्ध समस्याएँ

- **मानवमितिक परिमापनों की सीमाएँ (Limitations of Anthropometric Measures):**
  - भारत में छोटे बच्चों में पोषण की कमी की सीमा का आकलन करने के लिये स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे मानवमितिक विफलता के परिमापन अपर्याप्त हैं।
  - ये परिमापन कमियों की विशिष्ट प्रकृति पर मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं और बहुघटकीय हैं, जिससे किसी एक मंत्रालय या विभाग के लिये बच्चों के बीच कुपोषण को कम करने हेतु नीतियों की अभिकल्पना करना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **खाद्य समूहों में विशिष्ट कमी:**
  - शून्य-खाद्य के आँकड़े विशिष्ट खाद्य समूहों में उल्लेखनीय कमियों या अभावों को प्रकट करते हैं।
    - 80% से अधिक बच्चों ने पूरे दिन में कोई भी प्रोटीन-युक्त खाद्य ग्रहण नहीं किया था, जबकि लगभग 40% ने कोई अनाज ग्रहण नहीं किया था।
    - दस में से छह बच्चे प्रतिदिन किसी भी रूप में दूध या दुग्ध उत्पाद का सेवन नहीं करते हैं।
- **पोषण 2.0 की भूमिका:**
  - मिशन पोषण 2.0 (Mission Poshan 2.0) भारत में मातृ एवं बाल पोषण को समर्पित एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - हालाँकि कार्यक्रम के प्रदर्शन की प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिये उपयुक्त खाद्य-आधारित मीट्रिक्स विकसित नहीं किये गए हैं।

## भुखमरी के प्रमुख कारण

- **निर्धनता:**
  - निर्धनता आहार के विकल्पों को अत्यंत सीमित करती है और भूख से संबंधित मौतों का प्रेरक कारक रही है।
  - खाद्य पदार्थों की सदैव उच्च कीमतें और विकास के मामले में क्षेत्रीय असमानताएँ लोगों के लिये संतुलित पोषण की वहनीयता को प्रभावित करती हैं।
- **संबद्ध कारक:**
  - भुखमरी और संबंधित कुपोषण विभिन्न संबद्ध कारकों (जल एवं स्वच्छता से लेकर खाद्य पदार्थों की अभिगम्यता तक) का परिणाम है।
  - किसी व्यक्ति का 'पोषण स्तर' (nutritional quotient) लिंग, जाति, आयु जैसे जनसांख्यिकीय कारकों पर भी निर्भर करता है।
    - उदाहरण के लिये, हमारे समाज में बालिकाओं और वृद्ध जनों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है।
- **नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव:**
  - लगातार भुखमरी के पीछे एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण है योजनाओं और नीतियों का बदतर कार्यान्वयन।
    - समेकित बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services- ICDS) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने पर्याप्त कवरेज प्राप्त नहीं किया है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - अनियमित वर्षा और चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने हर जगह कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है जिससे खाद्य उत्पादन के लिये प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई है।

- वर्षा पैटर्न एवं कृषि मौसमों को प्रभावित करने वाली जलवायु परिवर्तनशीलता और सूखा एवं बाढ़ जैसी चरम जलवायु घटनाएँ संघर्ष और आर्थिक मंदी के साथ-साथ भुखमरी में वृद्धि के प्रमुख चालकों में शामिल हैं।

- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (प्रच्छन्न भुखमरी):**
  - भारत सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (micronutrient deficiency) के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसके कारणों में खराब आहार ग्रहण, बीमारी या गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना शामिल हैं।

## भुखमरी की समस्या के समाधान के लिये क्या आवश्यक है ?

- **खाद्य उपभोग पर बेहतर आँकड़े की आवश्यकता:**
  - भारत में खाद्य एवं आहार उपभोग से संबंधित आँकड़े की कमी समग्र आबादी के लिये नियमित आहार एवं पोषण संबंधी आकलन हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
  - भुखमरी को समाप्त करने और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने हेतु साक्ष्य-आधारित नीतियाँ विकसित करने के लिये पौष्टिक आहार की उपलब्धता, अभिगम्यता और वहनीयता (विशेष रूप से वंचित और शिशुओं जैसी भेद्य आबादी के लिये) का परिमापन अत्यंत आवश्यक है।
- **शिशुओं पर प्राथमिक रूप से ध्यान देना:**
  - शिशुओं के स्वस्थ विकास के लिये उनका पर्याप्त और वहनीय पौष्टिक आहार तक पहुँच होना आवश्यक है। सरकार को मातृ, नवजात और शिशु पोषण से संबंधित नीतियों एवं दिशानिर्देशों में शिशुओं के बीच आहार की मात्रा की वृद्धि को महज पूरक महत्त्व देने के बजाय प्राथमिक महत्त्व देना चाहिये।

## सरकार की प्रमुख पहलें

- **'ईट राइट इंडिया' आंदोलन (Eat Right India Movement):**
  - यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की एक आउटरीच गतिविधि है जो नागरिकों को सही तरह से आहार ग्रहण करने की दिशा में प्रेरित करने पर लक्षित है।
- **पोषण अभियान (POSHAN Abhiyan):**
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया पोषण अभियान स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया (शिशुओं, महिलाओं और किशोर बालिकाओं में) को कम करने पर लक्षित है।
- **मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal- MDM) योजना:**
  - मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार लाना है, जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर भी प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:**
  - यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। इस मातृत्व लाभ कार्यक्रम को जनवरी 2017 से देश के सभी ज़िलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **'फूड फोर्टिफिकेशन':**
  - 'फूड फोर्टिफिकेशन' या 'फूड एनरिचमेंट' चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A एवं D जैसे प्रमुख विटामिनों एवं खनिजों को शामिल करने की क्रिया है ताकि उनके पोषण कंटेंट में सुधार हो सके।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:**
  - यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न की प्राप्ति के लिये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कानूनी रूप से हक़दार बनाता है।
- **मिशन इंद्रधनुष:**
  - यह 12 टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों (Vaccine-Preventable Diseases (VPD) के विरुद्ध टीकाकरण के लिये 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना:**
  - वर्ष 1975 में शुरू की गई ICDS योजना 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है।

## आगे की राह

- **शीर्ष स्तर की पहल की आवश्यकता:**
  - भारत को खाद्य असुरक्षा को समाप्त करने और खाद्य तक वहनीय पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये (छोटे बच्चों या शिशुओं पर विशेष और तत्काल ध्यान देने के साथ) प्रधानमंत्री कार्यालय के नेतृत्व में एक रणनीतिक पहल की आवश्यकता है।
- **सुदृढ़ निगरानी:**
  - पोषण 2.0 जैसी पहलों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिये शून्य-खाद्य मीट्रिक का उपयोग किया जाना चाहिये।

नोट :

- ◆ कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिये खाद्य सुरक्षा के आकलन हेतु उपयुक्त खाद्य-आधारित मीट्रिक्स विकसित करना आवश्यक है।
- ◆ NFHS को पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये और वयस्कों के लिये विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपभोग पर 24 घंटे के रिकॉल प्रश्नों का विस्तार करना चाहिये।

- **वैश्विक अभ्यासों को अपनाना:**
  - ◆ खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation- FAO) द्वारा विकसित घरेलू स्तर की खाद्य असुरक्षा मॉड्यूल (Household-level food insecurity modules) को भारतीय परिवारों के बीच खाद्य असुरक्षा की सीमा के परिमापन के लिये अनुकूलित किया जा सकता है।
- **आकलन एवं जागरूकता:**
  - ◆ खाद्य एवं आहार उपभोग को समझने के लिये संपूर्ण आबादी हेतु नियमित आहार एवं पोषण संबंधी आकलन की व्यवस्था स्थापित करने के लिये एक राष्ट्रीय प्रयास किया जाना चाहिये।
  - ◆ कुपोषण के संबंध में एक अखिल भारतीय जागरूकता अभियान चलाना समय की मांग है।

# भारत चीन व्यापार संबंध

## संदर्भ

चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध और कोविड-19 महामारी के बावजूद, वैश्विक माल व्यापार में चीन की भूमिका प्रभावित नहीं हुई है। चीन भारत के लिये आयात का सबसे बड़ा गंतव्य है और कुल भारतीय आयात में इसकी हिस्सेदारी दोगुने से भी अधिक हो गई है। गैर-तेल आयात के लिये चीन पर भारत की निर्भरता 25% या उससे भी अधिक होने का अनुमान है।

- चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि चीन पिछले 15 वर्षों से भारत के लिये आयात का सबसे बड़ा गंतव्य रहा है। एशियाई देशों के साथ आयात प्रतिस्थापन और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के माध्यम से चीन पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों के बावजूद भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ी ही है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के परिप्रेक्ष्य में भारत को चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है।

## भारत-चीन व्यापारिक संबंध

- **चीन से आयात:**
  - ◆ चीन में मंदी और आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी में कमी नहीं आई है और वस्तुत: मात्रा की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में चीन से भारत का आयात कोविड-पूर्व स्तर से व्यापक रूप से अधिक ही रहा है।
  - ◆ वर्ष 2020-21 और 2021-22 में, भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी क्रमश: 16.53% और 15.43% के उच्च स्तर तक पहुँच गई, जबकि इन्ही वित्त वर्षों में क्रमश: 6.7% और 7.31% की आयात हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के लिये आयात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य रहा।
  - ◆ कुल गैर-तेल माल के आयात में चीन का प्रभुत्व और भी स्पष्ट है जहाँ गैर-तेल आयात के लिये भारत की चीन पर निर्भरता 25% या उससे अधिक भी हो सकती है।
  - ◆ आयातित वस्तुएँ:
    - ■ भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मास्युटिकल्स एवं अन्य जैविक रसायन और प्लास्टिक की वस्तुओं का आयात करता है।
    - ■ चीन से भारत के आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी 70% से भी अधिक है।
- **चीन को भारत का निर्यात:**
  - ◆ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में चीन को भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है।
    - ■ वित्तीय वर्ष 2020-21 में चीन को भारत का निर्यात 21.2 बिलियन डॉलर का रहा, जो वर्ष 2019-20 में 16.7 बिलियन डॉलर का रहा था।
  - ◆ निर्यातित वस्तुएँ:
    - ■ भारत द्वारा चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कार्बनिक रसायन, सूती धागे, तांबा और अयस्क शामिल हैं।
    - ■ हालाँकि, चीन को भारत का निर्यात अभी भी चीन से इसके आयात की तुलना में पर्याप्त कम है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े व्यापार घाटे की स्थिति बनती है।
- **द्विपक्षीय व्यापार घाटा:**
  - ◆ चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा वृहत है और इसमें वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021-22 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग 73.3 बिलियन डॉलर था जो वित्त वर्ष 2023 में 100 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है।
  - ◆ चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पोस्ट-कोविड काल में भारत के कुल माल व्यापार घाटे का 38-40% है।

## Dissecting India-China trade

**Imports from China and share of China in India's total merchandise imports**

CHART

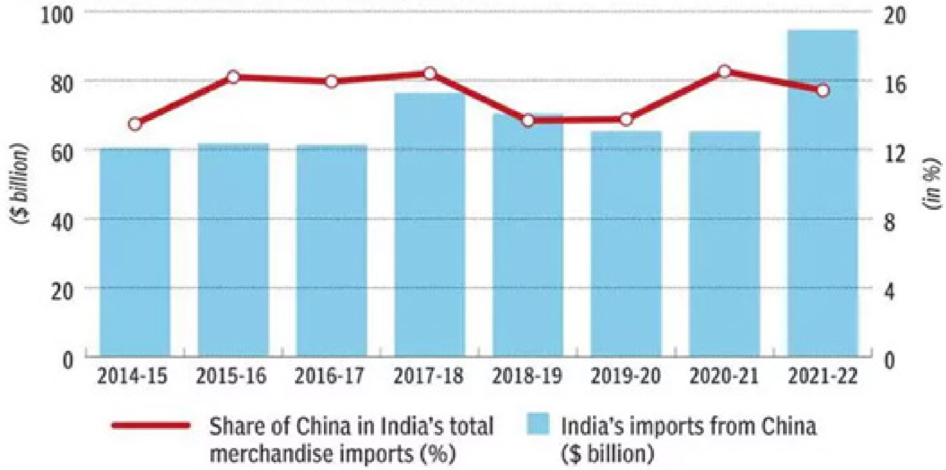


**Merchandise trade with China and India's total merchandise trade**

TABLE

($ billion)

| | Imports from China | Exports to China | Trade deficit with China | India's total trade deficit |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 60.41 | 11.93 | -48.48 | -137.69 |
| 2015-16 | 61.71 | 9.01 | -52.7 | -118.72 |
| 2016-17 | 61.28 | 10.17 | -51.11 | -108.5 |
| 2017-18 | 76.38 | 13.33 | -63.05 | -162.05 |
| 2018-19 | 70.32 | 16.75 | -53.57 | -184 |
| 2019-20 | 65.26 | 16.61 | -48.65 | -161.35 |
| 2020-21 | 65.21 | 21.19 | -44.03 | -102.63 |
| 2021-22 | 94.57 | 21.26 | -73.31 | -191.05 |

### भारत-चीन के असामान्य व्यापार संबंधों के क्या कारण हैं?

- **चीन की घरेलू उपभोग नीति:**
  - चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापार असंतुलन कुछ विशेष नीतिगत कारणों से असामान्य या जटिल है।
  - कोविड संकट के बाद से चीन की जीडीपी विकास दर धीमी हो गई है और उसने अपनी नीतियों को घरेलू उपभोग की ओर अधिक स्थानांतरित कर दिया है।
  - हालाँकि इस नीतिगत बदलाव का भारत में चीनी निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा है।
- **RCEP से भारत का बाहर निकलना:**
  - भारत ने कई पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ FTAs पर हस्ताक्षर किये हैं, जहाँ अपेक्षित था कि वे चीन से कुछ बाज़ार हिस्सेदारी ग्रहण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से भारत बाहर निकल गया जिससे चीन के अन्य FTA भागीदारों की तुलना में भारत के लिये अलाभ की स्थिति बनती है।

## चीन पर भारी आयात निर्भरता का निहितार्थ

- सरकार के दृष्टिकोण से, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ तब गहरी हो जाती हैं जब राज्य एक अमित्र देश से उत्पादों एवं सेवाओं के आयात पर निर्भर होता है।
- भारत अपने फार्मास्युटिकल उद्योग में उपयोग होने वाले अधिकांश एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) का आयात चीन से करता है। चीनी APIs की कीमत भारतीय बाज़ारों में भारतीय APIs की तुलना में सस्ती है।
  - समस्या की गहनता कोविड-19 महामारी के दौरान तब प्रकट हुई जब यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में चीनी APIs के निर्यात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप भारत को भी APIs के अपने निर्यात में कटौती करनी पड़ी।
- भारत में उत्पादित लगभग 24% कोयला ऊर्जा उन संयंत्रों से प्राप्त होती है जो चीन से आयातित महत्त्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिये, इसे आवश्यक रूप से रणनीतिक निर्भरता नहीं माना जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह सुरक्षा संबंधी चुनौती का एक रूप है।
  - जबकि चीन से इस तरह के आयात को सीमित करने या यहाँ तक कि प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है, ऐसा करने पर निजी भारतीय बिजली कंपनियों को उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा।

## भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन के लिये उत्तरदायी कारक

- **विनिर्माण क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व:**
  - चीन दुनिया के लिये एक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) बन गया है, जिसके पास एक विशाल औद्योगिक आधार है जो इसे भारत की तुलना में कम लागत पर माल का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है।
  - इसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर वस्त्रों तक, चीन भारत को उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात करने में सक्षम हुआ है।
- **चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता:**
  - भारत चीनी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है, जहाँ यह चीन से उल्लेखनीय मात्रा में कच्चे माल और तैयार उत्पादों का आयात करता है।
  - इसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे मद शामिल हैं।
- **नॉन-टैरिफ बाधाएँ:**
  - भारत और चीन के बीच व्यापार के लिये कई नॉन-टैरिफ बाधाएँ मौजूद हैं, जिनमें जटिल नियामक आवश्यकताएँ, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन और व्यापारिक सौदों में पारदर्शिता की कमी आदि शामिल हैं।
  - ये बाधाएँ भारतीय व्यवसायों के लिये चीनी बाज़ार तक पहुँच और चीनी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन बना सकती हैं।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स:**
  - भारत की अपर्याप्त अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिये उच्च लेनदेन लागत की स्थिति बनती है, जिससे भारतीय वस्तुएँ चीनी बाज़ार में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाती हैं।
- **मुद्रा विनिमय दर:**
  - भारतीय रुपए और चीनी युआन के बीच विनिमय दर भी व्यापार असंतुलन में एक भूमिका निभाती है।
  - भारतीय रुपया चीनी युआन की तुलना में कमज़ोर रहा है, जो चीनी खरीदारों के लिये भारतीय निर्यात को अधिक महंगा और भारतीय खरीदारों के लिये चीनी आयात को अधिक सस्ता बनाता है।
  - यह दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को और बढ़ा देता है।

## आगे की राह

- **आयात में विविधता लाना:**
  - भारत को वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों से अपने आयात में विविधता लाकर चीनी आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
- **निर्यात को बढ़ावा देना:**
  - भारत चीन को अपना निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - भारत को इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स और रसायनों जैसे उच्च-मूल्य उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देना चाहिये।
  - इन उत्पादों का उच्च लाभ मार्जिन होता है और इससे भारत की विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **घरेलू उद्योगों का विकास करना:**
  - भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिये अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता है। सरकार घरेलू

कंपनियों को उन वस्तुओं के निर्माण के लिये वितीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है जो वर्तमान में आयात किये जाते हैं।
- इससे न केवल व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि भारत में रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

- **FTAs की समीक्षा:**
  - भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये अन्य देशों के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कहीं वे घरेलू उद्योगों को हानि तो नहीं पहुँचा रहे हैं।
  - भारत को अपना निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिये चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न करने पर भी विचार करना चाहिये।

## बेमौसम बारिश और प्रभाव

### संदर्भ

भारत में अवकाल वृष्टि या बेमौसम बारिश (Unseasonal Rains) ने एक बार फिर हमारे कृषि क्षेत्र की भेद्यताओं को उजागर किया है। जहाँ वर्षा को आम तौर पर एक वरदान के रूप में देखा जाता है, बेमौसम बारिश पहले से ही फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत और मौसम पैटर्न के प्रभाव से जूझ रहे किसानों के लिये अभिशाप भी सिद्ध हो सकती है।

- बेमौसम बारिश का समग्र मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर सोपानी प्रभाव पड़ सकता है। बेमौसम बारिश का असर केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है।

### बेमौसम बारिश के क्या कारण हैं?

- **जलवायु परिवर्तन (Climate Change):**
  - जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित मौसम पैटर्न की उत्पत्ति हो सकती है जिसमें बेमौसम बारिश का होना भी शामिल है।
  - ग्लोबल वार्मिंग, दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ और प्रबल उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हाल में हुई बेमौसम बारिश के प्रमुख कारण हैं।
- **अल नीनो (El Nino):**
  - अल नीनो एक मौसमी परिघटना है जो तब होती है जब पश्चिमी प्रशांत महासागर का गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बेमौसम बारिश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **ला नीना (La Nina):**
  - ला नीना एक मौसमी परिघटना है जो तब होती है जब पूर्वी प्रशांत महासागर का ठंडा जल पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बेमौसम बारिश के साथ ही अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **वायुमंडलीय अस्थिरता (Atmospheric instability):**
  - वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण भी बेमौसम बारिश हो सकती है। जब वायुमंडलीय दाब में अचानक परिवर्तन होता है तो इसके परिणामस्वरूप गैर-मानसून मौसम में भी वर्षा हो सकती है।
- **मानवीय गतिविधियाँ (Human Activities):**
  - वनों की कटाई, शहरीकरण और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियाँ भी बेमौसम बारिश में योगदान कर सकती हैं।
  - वनों की कटाई जल चक्र को बाधित कर सकती है, जबकि शहरीकरण और प्रदूषण सूक्ष्म-जलवायु (microclimate) को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेमौसम बारिश हो सकती है।

### बेमौसम बारिश के प्रभाव

- **कृषि क्षेत्र:**
  - बेमौसम बारिश से फसल को हानि हो सकती है और पोस्ट-हार्वेस्ट गतिविधियों पर असर पड़ सकता है, जिससे सब्जियों और फलों जैसी जल्द खराब होने वाले पण्यों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  - पहले से ही फसल की कम कीमतों, बढ़ती इनपुट लागत और बदलते मौसम पैटर्न के प्रभाव से जूझ रहे किसान बेमौसम बारिश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- **निर्माण क्षेत्र:**
  - बेमौसम बारिश के कारण होने वाले व्यवधान से सीमेंट और इस्पात जैसे प्रमुख कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है।
- **उपभोग पैटर्न:**
  - आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग में गिरावट आ सकती है।
- **सामाजिक प्रभाव:**
  - बेमौसम बारिश का सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों (जैसे छोटे किसानों, दिहाड़ी मज़दूरों और प्रवासी श्रमिकों) पर।

- **राजनीतिक प्रभाव:**
- बेमौसम बारिश का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है, विशेषकर आगामी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के संदर्भ में।
    - सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को प्राय: विपक्ष की इस आलोचना का सामना करना पड़ता है कि किसानों की चिंताओं को संबोधित करने के लिये वे पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं।
    - यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का कारण बनता है, जहाँ प्रत्येक दल दूसरे पर बढ़त हासिल करने का प्रयास करता है।

## किसानों की सुरक्षा के लिये किये गए सरकार के उपाय

- सरकार ने किसानों की चिंताओं को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHC) जैसी कई पहलें की है।
    - PMFBY:
        - यह वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को नॉमिनल प्रीमियम देना होता है और शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। प्रीमियम की दरें फसल के प्रकार, अवस्थिति और किसान द्वारा चुने गए कवरेज के स्तर के आधार पर तय की जाती हैं। यह योजना सभी खाद्य एवं तिलहन फसलों और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को दायरे में लेती है।
    - PMKSY:
        - यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्येक खेत में जल उपलब्ध कराना और देश में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना है।
        - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य सिंचाई अवसंरचना को प्रोत्साहित करना और जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना है।
        - इस योजना के चार घटक हैं:
    - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme): इस घटक का उद्देश्य राज्यों को उनकी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है
    - 'हर खेत को पानी': इस घटक का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, जल संचयन और ऐसी अन्य तकनीकों के माध्यम से जल संरक्षण एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हुए हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है।
    - 'प्रति बूँद अधिक फसल' (Per Drop More Crop): इस घटक का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।
    - वाटरशेड विकास: इस घटक का उद्देश्य वनीकरण, बागवानी और चरागाह विकास जैसी वाटरशेड विकास गतिविधियों को बढ़ावा देकर वर्षा जल का संरक्षण करना है।
    - SHC:
        - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card scheme- SHC) के तहत मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करने के लिये किसानों के खेतों से मृदा के नमूने एकत्र किये जाते हैं और प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण किया जाता है।
        - विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक किसान के लिये एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है, जो मृदा की पोषण स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही उर्वरकों और अन्य मृदा संशोधनों के संबंध में अनुशंसाएँ की जाती हैं।

## समस्या के समाधान के लिये बहु-आयामी दृष्टिकोण क्या है ?

- **अल्पकालिक उपाय:**
    - केंद्र और राज्य फसल के नुकसान के लिये मुआवजा प्रदान कर सकते हैं और रियायती दरों पर बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति कर सकते हैं।
    - न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) में वृद्धि की जा सकती है।
- **दीर्घकालिक उपाय:**
    - कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार इसे मौसम के बदलते पैटर्न के प्रति अधिक प्रत्यास्थी (resilient) बना सकते हैं।
    - फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों एवं कृषि पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और बर्बादी (wastage) एवं पोस्ट-हार्वेस्ट हानियों को कम करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- **जलवायु परिवर्तन का शमन:**
    - भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिये केंद्र एवं राज्यों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

## निष्कर्ष

- बेमौसम बारिश का असर केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तृत है। इस समस्या के समाधान के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय शामिल हों। कृषि क्षेत्र की प्रत्यास्थता को सुनिश्चित करने के लिये जलवायु परिवर्तन का शमन महत्त्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिये कई पहलें शुरू की हैं, लेकिन इस क्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वृहत समन्वयन की आवश्यकता बनी हुई है।

## कार्यबल के डिजिटल कौशल उन्नयन की आवश्यकता

तकनीकी परिवर्तन की गति में तेज़ी और ऐसे कौशल की मांग में उनकी आपूर्ति की तुलना में वृद्धि की स्थिति में अब डिजिटल साक्षरता और कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) केवल वैकल्पिक नहीं रह गया है बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) 2020-21 और आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS) 2020-21 विभिन्न क्षेत्रों में आईटी या कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के कवरेज को व्यापक बनाने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) द्वारा हाल ही में जारी की गई 'फ्यूचर ऑफ़ जॉब्स 2023 रिपोर्ट' (चौथा संस्करण; जिसे पहली बार वर्ष 2016 में जारी किया गया था) में भी इसी बात पर बल दिया गया है जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति के आधार पर वर्ष 2025 तक 97 मिलियन नई नौकरियों के सृजन को रेखांकित किया गया है।

डिजिटल साक्षरता के लिये विभिन्न पहलों के बावजूद, भारत को अत्यधिक कुशल कार्यबल वाले देशों के स्तर पर पहुँचने के लिये अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

मौजूदा डिजिटल अंतराल को भरने और वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी एवं प्रासंगिक बने रहने के लिये भारत सरकार, भारतीय व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल अपस्किलिंग पहलों में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।

## तकनीकी-उन्नति और नौकरी सृजन के बारे में WEF रिपोर्ट क्या कहती है?

- **आशावादी लेकिन सतर्क प्रक्षेपण:** WEF ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक 85 मिलियन नौकरियाँ अनुपयोगी या अप्रचलित हो जाएँगी, लेकिन AI और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति से 97 मिलियन नई नौकरियों का सृजन होगा।
    - हालाँकि, श्रम विभाजन में मशीनों की भूमिका में वृद्धि होती रहेगी, विशेष रूप से दोहरावपूर्ण एवं नियमित प्रकृति के कार्यों के लिये।
    - भविष्य की नौकरियाँ का डेटा-संचालित और मशीन-संचालित प्रक्रियाओं पर अधिक निर्भर होना अपेक्षित है।
- **भारत में तकनीक-संचालित बदलाव:** WEF ने अगले 5 वर्षों में भारत में श्रम बाज़ारों के लिये 23% के वैश्विक औसत की तुलना में नौकरियों में कुछ निम्न मंथन (churn) का अनुमान लगाया है। भारत में यह मंथन मुख्यत: तकनीक-संचालित होगा जिसमें AI एवं ML (मशीन लर्निंग) (38%) जैसे क्षेत्रों और डेटा विश्लेषकों एवं वैज्ञानिकों (33%) तथा डेटा एंट्री क्लर्कों (32%) का योगदान होगा।
    - अनुमानत: सबसे कम मंथन अर्थव्यवस्था के श्रम-गहन क्षेत्रों में होगा।
    - हालाँकि, रिपोर्ट में भारत और चीन में नियोक्ताओं के भविष्य की प्रतिभा उपलब्धता के मामले में सबसे अधिक उत्साहित रहने की भी बात कही गई है।

## कौन-से कारक इंगित करते हैं कि भारत का कार्यबल डिजिटल रूप से तैयार नहीं है?

- **मांग-आपूर्ति का विशाल अंतर:** Nasscom, Draup एवं Salesforce की एक रिपोर्ट के अनुसार 420,000 के वर्तमान प्रतिभा आधार को ध्यान में रखते हुए भी AI एवं ML तथा बिग डेटा एनालिटिक्स (BDA) की प्रतिभा मांग एवं आपूर्ति में 51% का अंतर मौजूद है।
    - ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, DevOps इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट के लिये यह अंतराल और भी बदतर है जहाँ मांग-आपूर्ति का अंतर 60-73% तक है।
- **अपस्किलिंग में व्याप्त कमियाँ:** उपलब्ध प्रतिभा की गुणवत्ता से समस्या और बढ़ जाती है; इंजीनियरिंग स्नातकों की एक बड़ी संख्या अपने वर्तमान स्तर के कौशल के साथ नियुक्ति-योग्य नहीं है।
    - विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30% प्रशिक्षित कर्मचारियों के पास IT प्रशिक्षण है, फिर भी इस तरह के प्रशिक्षण वाले 29% व्यक्ति नियुक्ति-योग्य नहीं हैं। यह या तो अपर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री या खराब प्रशिक्षण गुणवत्ता की ओर इंगित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप निम्न नियुक्ति-योग्यता उत्पन्न होती है।
    - IT क्षेत्र के अलावा, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी समग्र कौशल प्रयास आवश्यकता से बहुत कम है।
        - उदाहरण के लिये, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रमाणित व्यक्तियों में से केवल 22% ही नौकरी पा सके।

- **कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान की कमी:** NSS 2020-21 से उजागर हुआ कि देश के लगभग 42% युवाओं को फाइलों को कॉपी करने या स्थानांतरित करने या कंप्यूटर पर कॉपी एंड पेस्ट टूल का उपयोग करने की बुनियादी समझ ही है।
  - इसके अतिरिक्त, क्रमशः केवल 10% और 8.6% युवाओं को एक स्प्रेडशीट में बुनियादी अंकगणितीय सूत्रों का और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार करने का ज्ञान है। केवल 2.4% युवाओं के पास प्रोग्रामिंग स्किल है।
- **निम्न निवेश:** मिड-करियर अपस्किलिंग में भी भारत का निवेश बेहद औसत रहा है जो उन्नत शिक्षा संपन्न लोगों के बीच उच्च बेरोज़गारी दर में परिलक्षित होता है।

## इस संदर्भ में भारत सरकार की पहलें

- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (National Digital Literacy Mission)
- पीएम कौशल विकास योजना (4.0)
- डिजिटल इंडिया मिशन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP 2020)
- डिजी-सक्षम (DigiSaksham) पहल
- युवा (YuWaah) प्लेटफॉर्म
- इंडियास्किल्स 2021
- पूर्व-अधिगम की मान्यता (Recognition of Prior Learning- RPL)
- उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिये शिक्षुता और कौशल योजना/श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills-SHREYAS)
- प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Educational Alliance for Technology-NEAT 3.0)

### भारत अपने कार्यबल को डिजिटल रूप से कैसे तैयार कर सकता है?

- **कौशल और निवेश में सुधार:** बदलते रोज़गार बाज़ार के अनुकूल होने के लिये, संपूर्ण कौशल विकास प्रणाली का पुनर्गठन करना और उभरती प्रौद्योगिकियों एवं कार्य भविष्य पर नज़र रखते हुए कार्यबल के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - अपनी बड़ी कार्यशील आयु आबादी और वृहत युवा जनसांख्यिकीय के कारण भारत अन्य देशों की तुलना में लाभ की स्थिति रखता है।
  - हालाँकि, यदि रणनीतिक निवेश पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है (विशेष रूप से डिजिटल रूपांतरण के अनुकूल बनने के लिये कार्यबल के पुनर्कौशल में रणनीतिक निवेश) तो जनसांख्यिकी का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
- **IT कौशल पर विशेष ध्यान देना:** वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये, सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिये विशिष्ट IT या कंप्यूटर कौशल प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।
  - सरकार ने इसे चिह्नित करते हुए स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0) जैसे कई कौशल कार्यक्रम कार्यान्वित किये हैं।
    - इन पहलों का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक्ट्रोनिक्स और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ ही IT एवं डिजिटल कौशल सहित विभिन्न व्यावसायिक कौशल में लाखों व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करना है।
- **वैकल्पिक प्रतिभा पूल:** हमें छोटे शहरों में डिजिटल क्षमताओं का निर्माण करने, हाइब्रिड वर्क नॉर्म्स के साथ कार्यबल में अधिकाधिक महिलाओं को शामिल करने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने की ज़रूरत है।
  - इन कार्यक्रमों के लिये उद्योगों से प्राप्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंडिंग का लाभ उठाया जा सकता है ।
  - डिजिटल लर्निंग की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारों को नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कामगारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।

# शहरों का विस्तार एवं विकास

## संदर्भ

शहरीकरण (Urbanization) आर्थिक विकास की सबसे आम विशेषताओं में से एक है। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में शहरीकरण की प्रक्रिया कुछ औद्योगिक शहरी केंद्रों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अधिशेष आबादी के स्थानांतरण पर निर्भर करती है।

- शहरीकरण आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण से निकटता से संबद्ध है। शहरीकरण महज एक आधुनिक परिघटना नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानव सामाजिक मूलों का तीव्रता से और

ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहाँ ग्रामीण संस्कृति तेज़ी से मुख्यत: शहरी संस्कृति से प्रतिस्थापित हो जाती है।

- धन और सामाजिक गतिशीलता जैसे कारणों से ग्रामीण लोग शहर में आते हैं। लेकिन शहरीकरण की तस्वीर उतनी वैभवपूर्ण नहीं है, जितनी वह नज़र आती है। तीव्र औद्योगीकरण के कारण आधुनिक शहरों का बेतरतीब और अनियोजित तरीके से विकास हुआ है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरीकरण की दर 31.2% थी जो वर्ष 2001 में 27.8% रही थी। वर्ष 2030 तक लगभग 590 मिलियन लोग शहरों में वास कर रहे होंगे। भारत तीव्र शहरीकरण का सामना कर रहा है। इस परिदृश्य में, इस वृद्धि के पैटर्न और जनसंख्या पर इसके प्रभाव को समझना महत्त्वपूर्ण है।

## तीव्र शहरीकरण के कौन-से कारण हैं ?

शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति कुछ प्रमुख शहरों में शहरी आबादी के बहुसंख्यक भाग की बढ़ती एकाग्रता में परिलक्षित होती है।

- **प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि:**
  - प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण तीव्र शहरीकरण हो रहा है।
  - शहरी आबादी की प्राकृतिक वृद्धि दर ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के परिणामस्वरूप शहरों में उच्च शुद्ध उत्तरजीविता दर (net survival rate) पाई जाती है।
  - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के कारण शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर में पर्याप्त कमी आई है।
- **पलायन/प्रवासन:**
  - ग्रामीण-शहरी प्रवासन को भारत में तीव्र शहरीकरण के लिये ज़िम्मेदार एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
  - औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप विभिन्न विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के सृजन के कारण रोज़गार एवं उच्च आय की तलाश में ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में प्रवास हुआ है।
  - उद्योग और खनन में भारी सार्वजनिक निवेश के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास और सतत कृषि विकास घटित हो रहा है।
    - अपकर्ष कारकों (pull factors) के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं।
  - कुछ प्रतिकर्ष कारक (push factors) भी हैं, जैसे आर्थिक बाधाएँ, सुविधाओं की कमी, राजनीतिक हिंसा आदि, जिनके कारण बहुत-से ग्रामीण लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के लिये प्रेरित होते हैं।
- **व्यापार और उद्योग का विस्तार:**
  - क्षेत्र के राज्य विशेष में उद्योग और व्यापार के बढ़ते विस्तार के साथ भी शहरीकरण घटित हुआ है।
  - उद्योग के स्थानीयकरण के साथ-साथ उद्योग एवं उससे संबद्ध सहायक गतिविधियों का विकास सदैव किसी शहरी प्रतिष्ठान के विकास के लिये अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है।
    - इसी प्रकार, एक सक्रिय बाज़ार की स्थापना के साथ व्यवसाय एवं व्यापार की वृद्धि उन स्थानों में शहरीकरण की वृद्धि के लिये पर्याप्त समर्थन प्रदान करती है जो उद्योग और व्यापार के विकास से जुड़े होते हैं।

## तीव्र शहरीकरण के परिणाम

- **सकारात्मक पहलू:**
  - आर्थिक विकास:
    - तीव्र औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप कई औद्योगिक शहरों का विकास और स्थापना हुई है।
    - इन शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों के साथ ही सहायक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र का विकास शुरू हुआ है।
  - रोज़गार:
    - शहरी क्षेत्रों में विस्तार करते नवीन विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोज़गार के नए और अतिरिक्त अवसर सृजित हो रहे हैं।
    - इसके कारण ग्रामीण-शहरी प्रवास और औद्योगीकरण-शहरीकरण प्रक्रिया के स्थापित होने जैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं।
  - आधुनिकीकरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन:
    - शहरीकरण शहरी लोगों के दृष्टिकोण एवं सोच में परिवर्तन को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवहार का आधुनिकीकरण और उपयुक्त प्रेरणा का सृजन होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से देश को तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने में मदद करता है।
- **नकारात्मक पहलू**
  - भीड़-भाड़ की स्थिति:
    - बढ़ता शहरीकरण शहरी क्षेत्रों में बढ़ते भीड़-भाड़ के लिये काफी हद तक ज़िम्मेदार है।

- बहुत अधिक भीड़-भाड़ के कारण ट्रैफिक जाम और जनसंख्या के अत्यधिक संकेंद्रण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनका प्रबंधन समय के साथ अत्यंत कठिन और महँगा होता जा रहा है।

- जीवन की निम्न गुणवत्ता:
  - बहुत अधिक आबादी आवासन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, मलिन बस्ती विकास, बेरोज़गारी, हिंसा, अत्यधिक भीड़ आदि से संबंधित शहरी अराजकता को जन्म देती है।
  - इन सभी से मानव जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता की हानि:
  - ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन का परिदृश्य उत्पन्न हुआ है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों से सक्रिय आबादी के इतने बड़े पैमाने पर पलायन या प्रवासन के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता की हानि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाएगी।
  - परिणामस्वरूप, एक निश्चित बिंदु से परे शहरीकरण के अस्वास्थ्यकर परिणाम उत्पन्न होंगे।

## शहरी जीवन का महत्त्व

- **सुविधाओं तक आसान पहुँच:**
  - शहरी जीवन साक्षरता एवं शिक्षा के उच्च स्तर, बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सेवाओं तक वृहत पहुँच और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भागीदारी के लिये अवसरों की वृद्धि से संबद्ध है।
  - शहरीकरण सामान्यत: अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच से जुड़ा हुआ है।
  - इन सेवाओं की निकट उपलब्धता से आपातकालीन देखभाल और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार का परिणाम प्राप्त होता है।
- **सूचना तक पहुँच:**
  - रेडियो और टेलीविज़न जैसे सूचना के स्रोतों तक आसान पहुँच से भी लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग आम जनता को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिये किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये, क़स्बों और शहरों में रहने वाली महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में सूचित किये जाने की अधिक संभावना होती है, जिससे परिवार के आकार को छोटा रखने और बार-बार प्रसव में कमी जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं।
- **व्यक्तिपरकता:**
  - अवसरों की बहुलता, सामाजिक विविधता और निर्णयन के मामले में पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण की कमी अधिक स्व-हित की ओर ले जाती है और किसी व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने और अपने करियर एवं कृत्यों को स्वयं चुनने की सुविधा प्रदान करती है।

## शहरीकरण से संबद्ध समस्याएँ

- **अत्यधिक जनसंख्या दबाव:**
  - ग्रामीण-शहरी प्रवास एक ओर शहरीकरण की गति को तीव्र करता है तो दूसरी ओर यह मौजूदा सार्वजनिक उपयोगिताओं पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव का निर्माण करता है।
  - इसके परिणामस्वरूप शहर मलिन बस्तियों, अपराध, बेरोज़गारी, शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़-भाड़, अस्वस्थता और विभिन्न विकृत सामाजिक गतिविधियों जैसी समस्याओं से ग्रस्त हुए हैं।
- **मलिन बस्तियों का अनियंत्रित विस्तार:**
  - देश भर में लगभग 13.7 मिलियन मलिन आवास हैं जो 65.49 मिलियन लोगों को आश्रय देते हैं।
  - कम से कम 65% भारतीय शहरों में आस-पास मलिन बस्तियाँ मौजूद हैं जहाँ लोग एक-दूसरे से सटे छोटे-छोटे घरों में रहने को विवश हैं।
- **अपर्याप्त आवास सुविधा:**
  - शहरीकरण से संबद्ध विभिन्न सामाजिक समस्याओं में आवास की समस्या सबसे विकट है।
  - शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदतर आश्रय सुविधा और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों में रहने को विवश है।
  - भारत में आधे से अधिक शहरी परिवार एक कमरे के घर में निवास करते हैं, जहाँ औसतन प्रति कमरा 4.4 व्यक्ति रहते हैं।
- **अनियोजित विकास:**
  - एक विकसित शहर के निर्माण के मॉडल में अनियोजित विकास शामिल है, जो शहरों में अमीर और गरीब के बीच विद्यमान द्विभाजन को सुदृढ़ ही करता है।
- **महामारी-प्रेरित समस्याएँ:**
  - कोविड-19 महामारी ने शहरी गरीबों या मलिन बस्ती निवासियों की दुर्दशा को और बढ़ा दिया है।
  - अचानक लागू हुए कोविड लॉकडाउन से मलिन बस्ती निवासियों की आजीविका कमाने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई।

- **गैर-समावेशी कल्याणकारी योजनाएँ:**
  - शहरी गरीबों के लिये क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रायः लक्षित लाभार्थियों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुँच पाता है।
  - मुख्य रूप से समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों के कारण अधिकांश राहत निधि और लाभ मलिन बस्ती वासियों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

## शहरीकरण के लिये भारत की प्रमुख पहलें

- **शहरी विकास से संबंधित योजनाएँ/कार्यक्रम:**
  - स्मार्ट सिटीज़ मिशन
  - अमृत मिशन (AMRUT)
  - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी
  - हृदय (HRIDAY)
  - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (Aspirational district programme)

## आगे की राह

- **समावेशी शहरी विकास का एकीकरण:**
  - सभी विकास क्षेत्रों को शामिल करते हुए शहरी कार्यक्रम निर्माण के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और शहरी विकास में समावेशिता को प्राथमिकता देना।
- **वैज्ञानिक डेटा विधियों का उपयोग:**
  - साक्ष्य-आधारित निर्णयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य और केंद्रीय दोनों योजनाओं के परिणामों के आकलन एवं निगरानी के लिये वैज्ञानिक डेटा विधियों का उपयोग करना।
- **नागरिक भागीदारी:**
  - भौतिक और डिजिटल माध्यमों से नागरिक कार्यों में नागरिकों की आवाज़ एवं भागीदारी को बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी प्रशासन में उनकी आवश्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ परिलक्षित हों।
- **रणनीतिक सोच और निवेश:**
  - शहरों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को संबोधित करने के लिये रणनीतिक सोच और निवेश पर ध्यान देना—जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी शामिल हो और विभिन्न एजेंसियों के मध्य एकीकृत एवं समन्वित कार्रवाई को सुनिश्चित करना।

# मणिपुर में हिंसा

## संदर्भ

गैर-जनजातीय मैतेई (Meitei) समुदाय को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई।

- अनुसूचित जनजाति में मैतेई को शामिल करने के कथित कदम के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर (All-Tribal Student Union Manipur- ATSUM) द्वारा 'जनजाति एकजुटता रैली' आयोजित किये जाने के बाद हिंसा बढ़ गई।

## मणिपुर की जातीय संरचना

- मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है जिसके मध्य में इंफाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी हैं। घाटी—जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, में गैर-जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं।
- राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक दर्जा-प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं।
- जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है, 33 दर्जा-प्राप्त जनजातियाँ—जिन्हें मोटे तौर पर 'कोई भी नगा जनजाति' (Any Naga tribes) और 'कोई भी कुकी जनजाति' (Any Kuki tribes) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः ईसाई हैं।

ST दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय का क्या तर्क है?

- मैतेई लोगों के लिये ST दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति (Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur- STDCM) द्वारा शुरू की गई।
  - वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि ST का दर्जा समुदाय को 'संरक्षित' करने और उनकी 'पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति एवं की रक्षा' के लिये आवश्यक है।

नोट :

- वर्ष 1972 में केंद्रशासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वाँ राज्य बनाया गया।
  - मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जहाँ राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है लेकिन वहाँ के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इंफाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि 'वृहत नगालिम' (Greater Nagalim) का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा।
- उनके अनुसार, मैतेई समुदाय धीरे-धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुँचता जा रहा है।
  - वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, घटकर 44% रह गई।
- नगा और कुकी आंदोलनों ने भी मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएँ उभरने लगीं।
- वर्ष 2006-12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिये मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP) की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी-ज़ोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के भय को हवा दी।
  - मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941-51 की अवधि में 12.8% थी जो वर्ष 1951-61 के दौरान बढ़कर 35.04% और वर्ष 1961-71 में 37.56% हो गई जब परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है।
  - अवसंरचना विकास (जैसे रेलवे का विस्तार जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा) ने असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है।

## जनजातीय समूह मैतेई को ST दर्जा देने के विरुद्ध क्यों हैं?

- मैतेई समुदाय जनसांख्यिकीय एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है।
  - मैतेई को ST का दर्जा मिलने से उनके लिये नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहाँ से बेदखल करने का अवसर मिलेगा।
- मैतेई लोगों की भाषा (मैतेई या मणिपुरी) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की SC, OBC या EWS दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुँच है।
- कुकी और नगा ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% हैं, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इंफाल घाटी पर केंद्रित रहता है।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिये अनुशंसा करती हैं।
- राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिये भेजता है।
- अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है, तब वह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिये संसद में एक विधेयक पेश करता है।
- संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है।

## हाल की अशांति क्यों उत्पन्न हुई?

- जबकि वन क्षेत्रों से जनजातीय लोगों की बेदखली और मैतेई के लिये ST दर्जे की मांग हाल के सबसे प्रमुख प्रेरक कारक रहे हैं, वस्तुत: पिछले एक दशक से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैतेई समुदाय और जनजातीय समूहों के बीच विभाजन बढ़ा है।
- **परिसीमन प्रक्रिया में विद्यमान समस्याएँ:** वर्ष 2020 में जब केंद्र ने राज्य में वर्ष 1973 के बाद से पहली परिसीमन प्रक्रिया शुरू की तो मैतेई समुदाय ने आरोप लगाया कि इसके लिये उपयोग किये गए जनगणना के आँकड़े जनसंख्या विभाजन को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं।
  - दूसरी ओर जनजातीय समूहों (कुकी और नागा) का दावा है कि राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 40% हो गई है लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम है।
- **पड़ोसी क्षेत्र से प्रवासियों की घुसपैठ:** म्यांमार में फ़रवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। मैतेई नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुराचांदपुर ज़िले में अचानक गाँवों की बाढ़ आ गई है।

नोट :

- **नशीले पदार्थों की समस्या:** कुछ जनजातीय समूह निहित स्वार्थों के कारण नशीले पदार्थों के विरुद्ध सरकार के सघन अभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं।
  - अफीम के खेतों को नष्ट करने के साथ नशा विरोधी अभियान शुरू किया गया था। मणिपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय से संबंधित 'अवैध आप्रवासी' साफ़ की गई ज़मीनों पर नशीले पदार्थों की खेती कर रहे हैं।
- **हाल की अशांति:** पहला हिंसक विरोध तब भड़क उठा जब एक कुकी ग्राम के निवासियों को वहाँ से बेदखल किया गया।
  - चुराचांदपुर-खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र (चुराचांदपुर और नोनी ज़िलों में) के 38 गाँव 'अवैध बस्ती' हैं और इसके निवासी 'अतिक्रमणकर्ता' हैं जिन्होंने अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार के लिये आरक्षित एवं संरक्षित वनों तथा वन्यजीव अभयारण्यों का अतिक्रमण किया है।
  - कुकी समूहों ने दावा किया है कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद 371C का उल्लंघन है, क्योंकि कुकी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं।
    - अनुच्छेद 371C मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण का प्रावधान करता है जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्य शामिल होंगे और उस समिति के उपयुक्त कार्यकरण की ज़िम्मेदारी राज्यपाल की होगी।
    - राज्य स्तर पर मणिपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 के तहत गठित पहाड़ी क्षेत्र समिति (Hill Area Committee) मौजूद है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सभी विधायक पहाड़ी क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं।
  - राज्य सरकार दो कुकी चरमपंथी समूहों के साथ हस्ताक्षरित अभियान निलंबन समझौते से बाहर निकल गई है क्योंकि वे प्रदर्शनकारियों को उकसाने से संलग्न पाए गए हैं।

## मणिपुर का भूगोल और मणिपुर में हिंसा का इतिहास

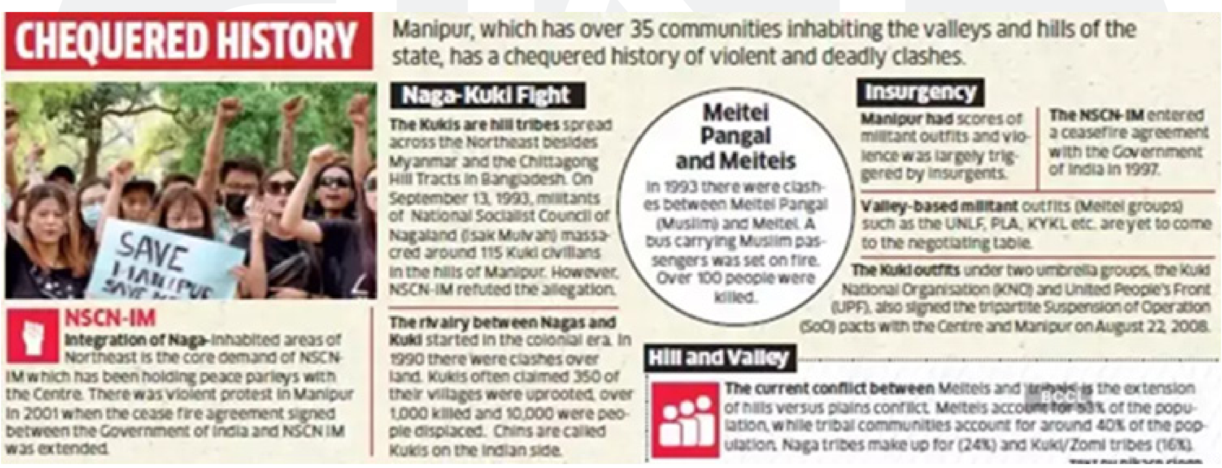


- मणिपुर में 16 ज़िले हैं, लेकिन आमतौर पर राज्य को 'घाटी' और 'पहाड़ी' ज़िलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर और काचिंग जैसे आज के घाटी ज़िले निंगथौजा राजवंश (Ningthouja dynasty) द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगलीपाक (Kangleipak) राज्य के अंग थे।
- मणिपुर घाटी छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में 15 नगा जनजातियों और चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी समूह (जिसमें कुकी, थडौ, ह्मार, पैइट, वैफेई और ज़ू समुदाय शामिल हैं) के लोगों का निवास है।
- कांगलीपाक राज्य (जो उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था) पर उत्तरी पहाड़ियों से नीचे उतर कर आते नगा जनजातियों द्वारा बार-बार हमला किया जाता था। मणिपुर के ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने इस समस्या के समाधान के लिये मैतेई और नगाओं के बीच एक बफ़र के निर्माण के उद्देश्य से बर्मा की कुकी-चिन पहाड़ियों से कुकी-ज़ोमी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया।
  - कुकी भी नगाओं की तरह उग्र हिंसक योद्धा थे। महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसने के लिये भूमि दी, जहाँ वे निचली इंफाल घाटी के लिये एक ढाल के रूप में कार्य कर सकते थे।

- कुकी-मैतेई विभेद: पहाड़ी समुदायों (नगा और कुकी) और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिये चले नगा आंदोलन ने मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों में विद्रोह को जन्म दिया। कुकी-ज़ोमी समूहों ने 1990 के दशक में 'कुकीलैंड' (भारत के भीतर एक अलग राज्य) की माँग करने के लिये अपन सैन्यीकरण किया। इसने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी।
  - वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों (Pangals) से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नगाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ जहाँ नगाओं द्वारा एक ही दिन में सौ से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई और हज़ारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया।
- **चुराचांदपुर ज़िला:** कुकी-ज़ोमी बहुल चुराचांदपुर (जो म्यांमार का सीमावर्ती ज़िला है) की बहुसंख्यक आबादी ईसाई है। यह देश का निर्धनतम ज़िला है (वर्ष 2006 में पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार) और अभी भी अत्यंत निर्धन बना हुआ है।
  - वर्ष 2015 में जिस तरह घाटी के मैतेई लोगों ने इंफाल शहर में ILP की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया था, वैसा ही तीव्र विरोध-प्रदर्शन चुराचांदपुर में इस मांग और नए कानूनों के प्रवेश के विरोध में किया गया था।

## आगे की राह

- विभिन्न समितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार ST दर्जे (मैतेई के लिये) के मानदंड का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जैसे:
  - लोकुर समिति (वर्ष 1965) ने पहचान के लिये 5 मानदंडों की अनुशंसा की थी- आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क का संकोच और पिछड़ापन।
  - भूरिया आयोग (वर्ष 2002-2004) ने जनजातीय भूमि एवं वन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पंचायतों के कार्यकरण और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे 5वीं अनुसूची के कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।
  - वर्ष 2013 में प्रो. वर्जिनियस शाशा (Prof. Virginius Xaxa) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) का गठन किया गया जिसे जनजाति समुदायों से संबंधित 5 महत्त्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन का कार्य सौंपा गया: (1) आजीविका एवं रोज़गार, (2) शिक्षा, (3) स्वास्थ्य, (4) अनैच्छिक विस्थापन एवं प्रवासन, और (5) विधिक एवं संवैधानिक मामले।
- म्यांमार से प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एवं राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने से क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा की वृद्धि करने में मदद मिल सकती है।
- स्थानीय निवास की पहचान के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की पहचान पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये स्थानीय विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना भी उपयुक्त कदम होगा।
- विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA), 1958 का निरसन क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कानूनी व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी है ताकि सुरक्षा बलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- सरकार को क्षेत्र के लोगों में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रतोसाहित करना चाहिये।

# भारतीय रूपए का वैश्वीकरण

## संदर्भ

वर्तमान में, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण प्रेरित मंदी और पूर्वी यूरोप में पुन: उभरे भू-राजनीतिक तनाव के साथ वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देश विदेशी मुद्रा की भारी कमी एवं अस्थिरता के साथ मुद्रा संकट के कगार पर हैं।

- भले ही सभी संकटों के लिये नहीं, लेकिन अमेरिका प्राय: अपने शत्रु देशों (ईरान, रूस आदि) पर प्रतिबंध लगाने के रूप में अमेरिकी डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है, जिसने दुनिया भर के देशों को विवश किया है कि वे व्यापार और भुगतान निपटान के वैकल्पिक साधनों की तलाश करें।
- इस परिदृश्य में, USD-आधारित निपटान प्रणाली के एक वैकल्पिक उपाय के रूप में भारतीय रुपए (INR) का उपयोग भारत और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों का सामना कर रहे देशों- दोनों के लिये ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। सीमा-पार व्यापार के लिये भारतीय रुपए को बढ़ावा देने का भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय निस्संदेह सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है, हालाँकि रुपए के इस तरह के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी।

## रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से क्या अभिप्राय है?

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा (International Currency):**
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वह होती है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न पक्षकार देशों द्वारा अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के बदले किया जाता है, चाहे वह लेनदेन वस्तुओं, सेवाओं या वित्तीय संपत्तियों की खरीद आदि किसी से भी संबंधित हो।
  - जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ार कारोबार में अमेरिकी डॉलर (USD) की हिस्सेदारी लगभग 88% थी, जिसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान था। इसमें भारतीय रुपए की हिस्सेदारी मात्र 1.7% थी।
- **भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण:**
- यह भारतीय मुद्रा की बढ़ती सीमा-पार लेनदेन प्रक्रिया को संदर्भित करता है, विशेष रूप से आयात-निर्यात व्यापार में और उसके बाद अन्य चालू खाता लेनदेन एवं पूंजी खाता लेनदेन में।
  - यह विदेशी व्यापार में USD समेत अन्य मुद्राओं के विपरीत भारतीय रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय निपटान को सक्षम करेगा।

ध्यातव्य: चालू खाते (Current account) का उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात में सौदे के लिये किया जाता है, जबकि पूंजी खाता (Capital account) निवेश एवं ऋण के रूप में सीमा-पार लेनदेन के माध्यम से प्राप्त पूंजी से निर्मित होता है।

- **प्रेरक कारक:**
  - यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में रूस पर आर्थिक आर्थिक प्रतिबंधों के एक भाग के रूप में SWIFT व्यवस्था से सात रूसी बैंकों को हटाने ने इसके लिये 'ट्रिगर' या प्रेरक के रूप में कार्य किया।
  - इस भुगतान व्यवस्था ने वर्ष 2022-23 में वृहत महत्त्व प्राप्त कर लिया क्योंकि भारत ने रियायती रूसी तेल पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है और रूस उसके लिये कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।
- **भारत के प्रयास:**
  - जुलाई 2022 में RBI ने 'भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान' (International Trade Settlement in Indian Rupees) पर एक परिपत्र जारी किया, जिसमें न केवल व्यापार निपटान के लिये बल्कि रुपए में सीमा-पार लेनदेन के लिये भी आवश्यक शर्तों को रेखांकित किया गया।
    - इस व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक यह है कि रुपया अधिशेष शेष (Rupee surplus balance) का उपयोग आपसी समझौते के अनुसार पूंजी एवं चालू खाता लेनदेन के लिये किया जा सकता है।
    - इस प्रकार, रुपी बैलेंस रखने वाली विदेशी संस्थाओं को भारत में संपत्ति में निवेश करने की अनुमति है।
  - अभी हाल ही में मार्च 2023 में RBI ने 18 देशों के साथ रुपया व्यापार निपटान (rupee trade settlement) के लिये तंत्र स्थापित किया।
    - इन देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान निपटान करने के लिये SVRAs (Special Vostro Rupee Accounts) खोलने की अनुमति दी गई है।
    - अप्रैल 2023 में भारत और मलेशिया के बीच भारतीय रुपए में व्यापार निपटान हेतु सहमति बनी है।
  - अपनी विदेश व्यापार नीति, 2023 के एक भाग के रूप में भारत सरकार सीमा-पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की मंशा रखती है, जो एक नए भुगतान निपटान ढाँचे से समर्थित है जिसे RBI ने जुलाई 2022 में पेश किया था।
- **महत्त्व:**
  - रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह होगा कि विदेशी व्यापार के लिये USD पर निर्भरता कम होगी।
    - यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की सौदेबाजी शक्ति को और बढ़ाएगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये रुपए के उपयोग का विस्तार भारतीय व्यवसायों के लिये मुद्रा की अस्थिरता के जोखिम को समाप्त कर मुद्रा जोखिम को कम करेगा।
    - यह व्यापार करने की लागत को कम कर सकता है और इस प्रकार वैश्विक बाज़ार में निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, यदि घरेलू मुद्रा में भारत के व्यापार के एक बड़े भाग का निपटान किया जा सकता है तो देश के लिये विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता में भारी कमी आ सकती है।

## क्या अमेरिकी डॉलर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है?

- विदेशी मुद्रा भंडार धारण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आँकड़ों से पता चलता है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद भी वस्तुत: USD की हिस्सेदारी में अंतर नहीं आया है और वह लगभग

नोट :

60% पर बना हुआ है; 20% हिस्सेदारी के साथ यूरो दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

- इन दोनों मुद्राओं के बाद जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड की हिस्सेदारी है। चीन का रॅन्मिन्बी (renminbi) स्विस फ्रैंक और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तुलना में कम हिस्सेदारी रखता है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये लेनदेन के माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकार्यता के साथ-साथ दुनिया भर में डॉलर-डिनॉमिनेटेड परिसंपत्ति की मांग के कारण भी अमेरिकी डॉलर की मांग बनी हुई है।
  - अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किये जाते डेट (debt) को दुनिया भर के देशों द्वारा मुद्रा में उतार-चढ़ाव (जो रिज़र्व/भंडार के मूल्य को प्रभावित करता है) के विरुद्ध एक बचाव (hedge) के रूप में खरीदा जाता है।
- इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का चलन समाप्त होना अभी दूर की बात है।

## रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ

- **रुपया-व्यापार व्यवस्था लागू करना आसान नहीं:**
  - यह भी एक प्रमुख कारण था कि भारत और रूस ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार निपटान के प्रयासों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि कई माह चली वार्ता के बाद भी रुपए को अपने खजाने में रखने के लिये भारत रूस को सहमत करने में विफल रहा।
  - रुपया पूर्णरूपेण परिवर्तनीय नहीं है; वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है और ये कारक अन्य देशों के लिये रुपए रखने की आवश्यकता को कम कर देते हैं।
    - इसी कारण रूस चाहता था कि व्यापार चीनी युआन, संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम या अन्य मुद्राओं में किया जाए।
- **प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा:**
  - चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और रूस जैसे अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति रखता है।
  - वास्तव में, रूस के साथ भारत के वृहत व्यापार घाटे (जिसका अर्थ है कि रूस वृहत रुपया शेष के बोझ में दबा होगा) को देखते हुए भी रूस रुपए-रूबल व्यापार के लिये अनिच्छुक रहा है।
- **विनिमय दर स्थिरता और घरेलू मौद्रिक नीति को संतुलित करना:**
  - जैसे-जैसे रुपया अधिक अंतर्राष्ट्रीयकृत होता जाएगा, वैसे-वैसे बाहरी आर्थिक झटकों- जैसे कि वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव या पण्यों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता जाएगा।
    - यह केंद्रीय बैंक (RBI) के लिये विनिमय दर स्थिरता और एक घरेलू उन्मुख मौद्रिक नीति दोनों को बनाए रखना अधिक कठिन बना सकता है।
- **मुद्रा आपूर्ति पर कम नियंत्रण:**
  - जब एक मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निवासी और अनिवासी दोनों ही घरेलू मुद्रा में डिनॉमिनेटेड वित्तीय साधनों (जैसे स्टॉक, बॉण्ड और अन्य प्रतिभूतियों) की खरीद-बिक्री कर सकते हैं।
    - इसका अर्थ यह है कि देश की मुद्रा की मांग और आपूर्ति न केवल घरेलू बल्कि बाहरी कारकों (देश के बाहर) से भी प्रभावित हो सकती है।
  - यदि रुपए के मामले में ऐसा होगा तो RBI का अपनी सीमाओं के भीतर मुद्रा आपूर्ति पर सीमित नियंत्रण होगा, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थिर ब्याज दरों को बनाए रखना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबद्ध जोखिम:**
  - रुपए को प्रभावी ढंग से अंतर्राष्ट्रीयकृत करने के लिये सरकार को किसी भी संस्था (घरेलू/विदेशी) पर रुपए की खरीद/बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा; इसका तात्पर्य होगा कि देश के अंदर और बाहर पूंजी के प्रवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसके लिये पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की आवश्यकता होगी।
  - क्रमिक भारतीय सरकारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी वित्तीय झटकों के जोखिम से बचाने के लिये पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता से अब तक परहेज ही किया है।

## रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुगम बनाने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- **चीन का अनुकरण:**
  - उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पूंजी खाते पर नियंत्रण बनाए रखते हुए अपनी मुद्रा का

नोट :

लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम रहा है। इसके लिये चीन ने कई उपाय किये हैं:

- चीन और 43 अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच करेंसी-स्वैप समझौतों को संपन्न किया गया है जो बाज़ारों को आश्वस्त करता है कि रॅन्मिन्बी की अति-आपूर्ति नहीं होगी।
- उसने अपनी घरेलू मुद्रा के लिये एक अपतटीय बाज़ार का निर्माण किया है जो विदेशी संस्थाओं को डॉलर पाने के लिये रॅन्मिन्बी बेचने की अनुमति देता है।

- यद्यपि यहाँ यह याद रखना भी आवश्यक है कि चीन अधिकांश देशों के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति रखता है।
  - यह उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ भारत भी वर्तमान में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। भारत को इसे वित्तपोषण और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से और अधिक गति देने की आवश्यकता है ताकि यह आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके।

- **बेहतर योजना-निर्माण:**
  - भारत को इस पर पर्याप्त विचार करने और योजना-निर्माण की आवश्यकता होगी कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण इस तरह से कार्यान्वित हो जो अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
    - सरकार को संभावित जोखिमों के साथ लाभों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिये और अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय करने चाहिये।
  - इसके लिये यह भी आवश्यक है कि भारत के पास एक बड़ा और गहन घरेलू वित्तीय बाज़ार हो, जो बाहरी झटकों से निपटने के लिये बेहतर ढंग से तैयार हो और यह RBI के लिये अपनी मौद्रिक नीति का प्रबंधन करना आसान बना सके।
- **निर्यात वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - भारत ने रुपए के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये एक मामूली प्रयास ही किया है और इस विचार को स्वीकृति मिलने में अभी समय लगेगा। अभी रुपए की स्वीकार्यता संभावित रूप से उन देशों तक ही सीमित रहेगी जो भारत के साथ घाटे की स्थिति रखते हैं।
    - भारत को अन्य व्यापार भागीदारों को नामांकित करने की आवश्यकता होगी जो भारत से वस्तुएँ खरीदने के लिये अपने रुपयों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
  - अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के लिये प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। तेल निर्यातक देश भी वृहत संभावनाएँ रखते हैं और इन्हें निर्यात हेतु दायरे में लेना अच्छा कदम होगा।
- अन्य ठोस कदम जो सरकार उठा सकती है:
  - स्पॉट और फॉरवर्ड, दोनों ही बाज़ारों में घरेलू मुद्रा की खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटाना।
  - घरेलू कंपनियों को अपनी मुद्रा में निर्यात और आयात चालान करने में सक्षम करना।
  - विदेशी फर्मों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी संस्थानों और व्यक्तियों को देश की मुद्रा एवं वित्तीय साधनों को धारण करने में सक्षम बनाना।

# भारत एवं खाड़ी के देशों के मध्य बढ़ते संबंध

## संदर्भ

खाड़ी क्षेत्र पर नया भारत-अमेरिका संबंध भारत और अमेरिका दोनों ही में मध्य-पूर्व के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण से एक उल्लेखनीय बदलाव को प्रकट करता है। भारत में, पूर्व की विदेश नीति के स्थापित सिद्धांतों में से एक यह दृष्टिकोण रहा था कि भारत को या तो अमेरिका का विरोध करना चाहिये या मध्य-पूर्व में उससे दूरी बनाए रखनी चाहिये।

- सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएस, यूएई एवं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच रियाद में हाल में हुई बैठक खाड़ी क्षेत्र में भारत और यूएस के बीच बढ़ते रणनीतिक अभिसरण को रेखांकित करती है। यह अरब प्रायद्वीप में भारत की नई संभावनाओं को भी उजागर करता है।

### खाड़ी देश

- 'खाड़ी देश' (Gulf Nations) शब्द मध्य-पूर्व के फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों के समूह को संदर्भित करता है। खाड़ी राष्ट्रों में निम्नलिखित देश शामिल हैं:
  - बहरीन
  - कुवैत
  - ओमान
  - कतर
  - सऊदी अरब
  - संयुक्त अरब अमीरात।
- ये सभी देश खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) के सदस्य हैं।
- भारत की विदेश नीति में वैचारिक निषेध क्या था?
  - भारत अमेरिका, इस्राइल और खाड़ी देशों के साथ संलग्न होगा, ऐसी किसी भी प्रस्थापना को कुछ वर्ष पूर्व तक महज कल्पना ही माना जाता था। इस वैचारिक निषेध या वर्जना (ideological taboo) के पीछे के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं:
  - पारंपरिक रूप से भारत ने गुटनिरपेक्षता (non-alignment) की नीति का अनुपालन किया जो अपने विदेशी संबंधों में तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रखने पर लक्षित थी।
  - भारत ने ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। इसने अपने निकट पड़ोस में क्षेत्रीय गठजोड़ का निर्माण करने, संघर्षों को दूर करने और इस क्षेत्र के भीतर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
  - अतीत में भारत के पास अपने निकटतम पड़ोस से परे के क्षेत्रों में (जिसमें खाड़ी क्षेत्र भी शामिल था) प्रभाव जमाने के लिये

निवेश हेतु करने के लिये सीमित संसाधन थे। भारत ने अपने स्वयं के घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित किया और आंतरिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित किया, जिसने खाड़ी देशों के साथ इसकी संलग्नता को कुछ हद तक बाधित किया।

- इसके साथ ही, रूस के साथ भारत के गहरे संबंधों को देखते हुए, भारत द्वारा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना भी अतीत में एक वर्जना या 'टैबू' के रूप में देखा गया था।
- फ़िलिस्तीन पर अरब-इज़राइल संघर्ष के कारण भारतीय नीतिनिर्माताओं के बीच यह धारणा प्रचलित रही थी कि भारत इज़राइल के साथ खुले रूप से मित्रवत नहीं हो सकता।

## भारत की विदेश नीति में परिवर्तन

- भारतीय विदेश नीति में मध्य-पूर्व के महत्त्व को चिह्नित किये जाने के बाद भारत ने खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू किये। इस ओर ऐतिहासिक बदलाव को चार देशों के समूह के गठन के साथ देखा गया (जिसका अनावरण अक्टूबर 2021 में किया गया), जिसे I2U2 नाम दिया गया और इसने भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ किया।
- भारत ने इस धारणा को अस्वीकृत करते हुए अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है कि भारत खुले रूप से इज़राइल से मित्रवत नहीं हो सकता और इज़राइल एवं अरब दोनों के ही साथ संबंधों का एक संतुलन बनाए रखा है।
- अरब के दो साम्राज्यों सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत के असहज संबंधों का रूपांतरण हुआ है और ठोस रणनीतिक साझेदारियों का निर्माण किया गया है।

## खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का महत्त्व

- **आतंकवाद और पाकिस्तान का मुक़ाबला:** यदि भारत मध्य-पूर्व में अपने 'पश्चिमी-विरोधी' दृष्टिकोण को छोड़ देता है तो उपमहाद्वीप और खाड़ी के बीच के संबंधों को देखने में अमेरिका पाकिस्तान-समर्थक पूर्वाग्रह के त्याग के लिये पश्चिमी देशों का नेतृत्व करेगा। वे आतंकवाद का मुक़ाबला करने में भी भारत की मदद कर सकते हैं।
  - पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति में लगातार गिरावट खाड़ी क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति के लिये उसे अब कम प्रासंगिक बना रही है।
  - खाड़ी देशों में एक वैचारिक परिवर्तन भी आया है जहाँ वे धर्म से राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ संलग्नता भारत को उपमहाद्वीप के भीतर हिंसक धार्मिक अतिवाद की खतरनाक शक्तियों पर काबू पाने में भी मदद करेगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत सहित विभिन्न खाड़ी देश प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये खाड़ी देशों पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि वे इसके तेल एवं गैस आयात में उल्लेखनीय अंश की पूर्ति करते हैं। संबंधों को सुदृढ़ करने से एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - वे दीर्घावधि में तेल पर निर्भरता कम करने के लिये भी प्रयासरत हैं जो भारत के लिये भी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।
    - वर्ष 2014-18 के बीच GCC देशों में स्थापित कुल नवीकरणीय बिजली में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
  - यूएई, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन भारत द्वारा शुरू किये गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) के सदस्य हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** खाड़ी देश पर्याप्त निवेश क्षमता वाली सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाएँ रखते हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार एवं आर्थिक सहयोग की वृद्धि की इच्छा रखता है जहाँ निवेश, अवसंरचना विकास और द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसरों की तलाश कर रहा है। यह भारतीय व्यवसायों के लिये खाड़ी क्षेत्र के आकर्षक बाज़ारों में प्रवेश कर सकने और निर्माण, रियल एस्टेट, वित्त एवं पर्यटन जैसे उनके विविध क्षेत्रों से लाभ उठा सकने के अवसर प्रदान करता है।
  - पिछले कुछ वर्षों के दौरान खाड़ी क्षेत्र से भारत में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाड़ी देशों से और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिये भारत अपने संबंधों का उपयोग कर सकता है।
  - भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर भी वार्ता चल रही है।
- **धन प्रेषण और भारतीय प्रवासी:** खाड़ी देशों में लाखों भारतीय लोग रहते हैं जो धन प्रेषण (remittances) के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राष्ट्रों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने से बेहतर कल्याण एवं सुरक्षा प्रदान करने, श्रम प्रवासन की वृद्धि और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करने के रूप में भारतीय कामगारों को लाभ प्राप्त होता है।
  - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को अब तक का सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात दूसरा सर्वाधिक योगदानकर्ता रहा।

- **भू-रणनीतिक महत्त्व:** अपनी अवस्थिति के कारण खाड़ी क्षेत्र का भू-रणनीतिक महत्त्व भी है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई संलग्नता इसे अपने प्रभाव का विस्तार करने और क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार देने के लिये एक मंच प्रदान करती है। यह भारत को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे संगठनों से जुड़ने और विभिन्न संवादों एवं पहलों में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार इसके राजनयिक संबंधों एवं रणनीतिक भागीदारियों को सुदृढ़ करता है।
- **सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के परस्पर संबंध:** भारत खाड़ी देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध साझा करता है जो सदियों पुराना है। द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलता है, जो इन राष्ट्रों के बीच आपसी समझ एवं सद्भावना को आगे बढ़ाता है। यह खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की साझा विरासत, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने में मदद करता है।

## भारत-खाड़ी संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक गतिशीलता:** खाड़ी क्षेत्र अपने ऊर्जा संसाधनों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के चौराहे पर अपनी अवस्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष—जैसे ईरान-सऊदी अरब प्रतिद्वंद्विता, यमन का गृहयुद्ध और कतर का राजनयिक संकट, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** खाड़ी क्षेत्र ने हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों को सामना किया है। जारी संघर्षों, जैसे कि सीरियाई गृह युद्ध और ISIS जैसे चरमपंथी समूहों के उदय ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिये चुनौतियाँ पैदा की हैं। इन समस्याओं का खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है और इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिये सुरक्षा चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **'चाइना फैक्टर':** चीन भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में इसके राजनयिक एवं राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि जारी रहेगी। हालाँकि, चीन खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख बाहरी अभिकर्ता के रूप में अमेरिका को प्रतिस्थापित कर सकने की स्थिति में अभी नहीं पहुँचा है। इस प्रकार, यह खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिये भारत को भी अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर बनाता है।

## आगे की राह

- **आर्थिक सहयोग ढाँचे:** द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग ढाँचों की स्थापना—जैसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) या तरजीही व्यापार समझौते (PTA), सुगम व्यापार एवं निवेश प्रवाह की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिये भारत को सक्रिय प्रयास करना चाहिये।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के परस्पर संपर्क:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों के परस्पर संपर्क को सुगम बनाना भारत एवं खाड़ी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देगा तथा संबंधों को सुदृढ़ करेगा। सांस्कृतिक उत्सवों, शैक्षिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और पर्यटन पहलों को बढ़ावा देने से ज़मीनी स्तर पर सशक्त संबंध बनाने में मदद मिल सकती है।
    - सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में 'सिस्टर सिटी' (Sister city) सबंध भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **व्यापार का विविधीकरण:** जबकि भारत और खाड़ी देशों के बीच महत्त्वपूर्ण व्यापार संबंध स्थापित हैं, इनमें अभी भी विविधीकरण के अवसर मौजूद हैं। दोनों पक्ष नए क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं और तेल एवं गैस से परे व्यापार के दायरे का विस्तार कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ सकता है और एकल पण्य/कमोडिटी पर निर्भरता कम हो सकती है।
    - भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं। अन्य खाड़ी देशों के साथ भी इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत को अपने व्यापार में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

## निष्कर्ष

नए अवसरों का लाभ उठाने के लिये भारत को खाड़ी क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को अद्यतन करने की आवश्यकता है। इसमें खाड़ी क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के बारे में भारत के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना और उन पुराने पड़ चुके तरीकों को बदलना शामिल होगा जिनसे अरब प्रायद्वीप को देखा जाता है।

# भारतीय विमानन उद्योग

## संदर्भ

कम-लागत हवाई वाहक 'GoFirst' द्वारा इन्सोल्वेंसी फ़ाइलिंग के बाद उड्डयन सुरक्षा नियामक 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय'

(Directorate General of Civil Aviation-DGCA) द्वारा इस एयरलाइन को हवाई टिकटों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है।

- DGCA ने GoFirst (जिनसे दो वर्ष पूर्व ही स्वयं को रि-ब्रांड किया था) को "सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के संचालन को जारी रखने में विफलता" के लिये एक कारण-पृच्छा नोटिस भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि धीमे इंजन निर्माण और उच्च परिचालन लागत के कारण GoFirst के बेड़े को उड़ान से प्रतिबंधित किया गया है।

## भारतीय उड्डयन क्षेत्र का आकार

- मार्च 2023 में घरेलू हवाई वाहकों ने 13 मिलियन यात्रियों को हवाई सेवा दी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024 में ही भारत में 140 मिलियन से अधिक यात्रियों का भार होगा।
- भारत को अगले 20 वर्षों में प्रति वर्ष 1.3 बिलियन से अधिक यात्रियों को संभालना है। वर्तमान में देश में 148 हवाई अड्डे हैं और सीट क्षमता के मामले में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाज़ार है। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 56.8% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो (IndiGo) घरेलू बाज़ार का अग्रणी हवाई वाहक है; उसके बाद विस्तारा/Vistara (8.9%) और एयर इंडिया (8.8%) का स्थान है।

## क्या भारतीय उड्डयन क्षेत्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य है ?

- **उच्च प्रतिस्पर्द्धा:** विश्व में 'सबसे तेज़ी से बढ़ते उड्डयन क्षेत्र' के रूप में चिह्नित किये जाने के बावजूद, देश के एयरलाइनों को अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी एवं कठोर उड्डयन उद्योग में अस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ा है।
- **महामारी के कारण हानि:** वर्ष 2020-2021 में महामारी के कारण उन्हें भारी आर्थिक हानि (लगभग 15,000 करोड़ रुपए) उठानी पड़ी। वर्ष 2019-20 में इंडिगो लाभ अर्जित कर रहा एकमात्र एयरलाइन था, जबकि अन्य सभी एयरलाइन घाटे में चल रही थीं जिनमें एयर इंडिया (उस समय राज्य के स्वामित्व में संचालित) 4,600 करोड़ रुपए के घाटे के साथ सबसे आगे था।
- **वित्तीय कठिनाइयाँ:** घरेलू और क्षेत्रीय दोनों श्रेणी की 17 एयरलाइनें वित्तीय कठिनाइयों के कारण व्यवसाय से बाहर हो गई हैं। ऐसा मुख्य रूप से तरलता की कमी (liquidity crunch) और टिकट की कम कीमत के कारण हुआ।
- **असंगत बाज़ार हिस्सेदारी:** टाटा द्वारा एयर इंडिया और विस्तारा सहित चार हवाई वाहकों का समेकन किया गया है।
    - समेकित एयर इंडिया और इंडिगो 75-80% बाज़ार पर कब्जा कर लेंगे, जिससे स्पाइसजेट (SpiceJet) और नवीनतम प्रवेशी अकासा (Akasa) जैसे खिलाड़ियों के लिये महज 20% बाज़ार उपलब्ध होगा।

## भारतीय एयरलाइंस क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **ATF लागत:** भारत में हवाई किराया लाभ-अलाभ स्थिति (break-even point) से 15% नीचे है; भारी करयुक्त ATF (Aviation Turbine Fuel) वाहकों के लिये एकल सबसे बड़ा व्यय है जो परिचालन व्यय के 40-50% तक निर्माण करता है।
    - ATF पर कर: कुछ भारतीय राज्य जेट ईंधन पर 30% तक कर लगाते हैं, जो छोटी एयरलाइनों के लिये छोटे उड़ान मार्गों को लाभहीन बना देता है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस इन मार्गों पर कम किराए की पेशकश करती हैं और लागत को कम करने के लिये अपने आकार का लाभ उठाती हैं।
- **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति में विद्यमान समस्या:** यह नीति सभी खिलाड़ियों के लिये उचित नहीं रही है। वर्ष 2016 तक की स्थिति के अनुसार नई एयरलाइनों के लिये कम से कम पाँच वर्षों तक परिचालन में होने और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिये 20 विमान होने की शर्त लगाई गई थी।
    - वर्ष 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy) के साथ यह स्थिति बदली, लेकिन फिर भी घरेलू एयरलाइनों के लिये घरेलू परिचालन हेतु कम से कम 20 विमान रखने को अनिवार्य रखा गया।
- **उच्च लीज़ लागत:** भारत के वाणिज्यिक हवाई जहाज़ बेड़े के लगभग 80% लीज़ या पट्टे पर लिये गए हैं और इनके लिये एयरलाइंस 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक लीज़ किराए का भुगतान करती हैं, जो कि उनके राजस्व का लगभग 15% है।
    - डॉलर-रुपए की अस्थिरता: यह परिचालन के लिये उच्च लागत का योगदान करता है क्योंकि पट्टे अमेरिकी डॉलर में अंकित हैं और भारतीय रुपए का मूल्यह्रास लागत को और बढ़ा देता है।
    - भारत में लीज़िंग कंपनियाँ स्थापित करने की सरकार की योजना लागत कम करने में मदद कर सकती है।
- **उच्च सेवा शुल्क और टिकट का कम मूल्य:** एयरलाइंस को रनवे एवं टर्मिनलों जैसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिये भी भुगतान करना पड़ता है और व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धी बढ़त के लिये टिकटों के कम मूल्य रखना आर्थिक व्यवहार्यता के

विरुद्ध जाता है। हवाई अड्डों के निजीकरण ने शुल्क वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

- **चालक दल की उच्च प्रशिक्षण लागत:** एयरलाइन चालक दल का प्रशिक्षण महँगा है और उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की कमी के कारण पायलटों की कमी है।

## उड्डयन क्षेत्र के लिये सरकार ने कौन-से कदम उठाए हैं?

- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 3.0 के तहत प्रदत्त लाभों को नागरिक उड्डयन क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (UDAN- UdeDesh-KaAamNagrik/उड़े देश का आम नागरिक): PPP मार्ग से मौजूदा और नए हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया है।
- कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्गों और कम ईंधन खपत के लिये भारतीय वायु सेना के समन्वय में भारतीय हवाई क्षेत्र में मार्ग युक्तिकरण।
- आरसीएस-उड़ान (RCS-UDAN) को क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करने के लिये टियर-II और टियर-III शहरों में उपयोग नहीं किये गए और कम उपयोग किये गए हवाई अड्डों के लिये हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

## भारतीय उड्डयन क्षेत्र में विद्यमान अवसर

- अनुमान है कि वर्ष 2027 तक भारतीय हवाई वाहकों द्वारा अपने बेड़े का आकार बढ़ाकर 1,100 विमान तक कर लिया जाएगा।
- उड्डयन क्षेत्र में लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि के कारण भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवा सुविधाओं की मांग बढ़ रही है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में उड्डयन उद्योग के विकास के लिये AAI गुवाहाटी को एक अंतर-क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है।
- भारतीय हवाई अड्डे राजस्व बढ़ाने के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एयरोट्रोपोलिस मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं। यह मॉडल खुदरा, विज्ञापन, वाहन पार्किंग, सुरक्षा उपकरण और सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में तीन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के हवाई अड्डों ने वर्ष 2025 तक 30,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है।
- भारत सरकार वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाने का स्वप्न रखती है। लक्ष्य है भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद और संवहनीय एयर स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।
- जेवर, उत्तर प्रदेश में अवस्थित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इस क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना का चहुँमुखी विकास करेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ाएगा और विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।

## आगे की राह

- **उड्डयन अवसंरचना की वृद्धि करना**
  - 'उड़ान' पहल के तहत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पहल (International UDAN initiative) के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की मौजूदा क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये।
  - विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये भारत को एक ग्लोबल हब बनाने की सरकार की मंशा के परिणामस्वरूप लागत में बचत होगी और एयरलाइन कंपनियों के लिये तरलता पैदा होगी।
    - इसके साथ ही, सिविल MROs और रक्षा क्षेत्र के बीच अभिसरण से आकारिक मितव्ययिता (economies of scale) और दीर्घकालिक लाभों का सृजन हो सकता है।
  - उड्डयन प्रौद्योगिकियों में उन्नत अनुसंधान के लिये दीर्घकालिक योजना तैयार करने से देश में एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
- कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करना
  - उड्डयन उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन अभ्यासों को आत्मसात करने के लिये मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers-OEMs), उद्योग और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग एवं सहकार्यता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- वित्त की वृद्धि
  - एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के कराधान और मूल्य निर्धारण ढाँचे को GST के दायरे में लाने पर विचार कर इसे वैश्विक बेंचमार्क के साथ संगत किया जाना चाहिये।

- सभी प्रमुख केंद्रों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के हवाई अड्डों के पास रिक्त पड़े रियल एस्टेट का मुद्रीकरण किया जा सकता है।
- भारत को 'ट्रांसशिपमेंट हब' बनाना
  - भारत इस क्षेत्र में स्वयं को एक 'ट्रांसशिपमेंट हब' के रूप में स्थापित करके कई लाभ प्राप्त कर सकता है। यह एक सेवा प्रदाता के रूप में भारत की व्यापारिक क्षमता को बढ़ाएगा, देश एक विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में उभरेगा और इस क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को सक्षम बनाएगा।
  - ई-अनुबंध, ई-परिवहन मल्टीमॉडलिटी, ई-अनुपालन और एक ई-शिकायत निवारण मॉड्यूल जैसे डिजिटल बिज़नेस एनेबलर्स के विकास के द्वारा ऐसा किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कार्यक्रम 2018 भारत को विश्व में एक प्रमुख नागरिक उड्डयन बाज़ार बनने में मदद कर सकते हैं।

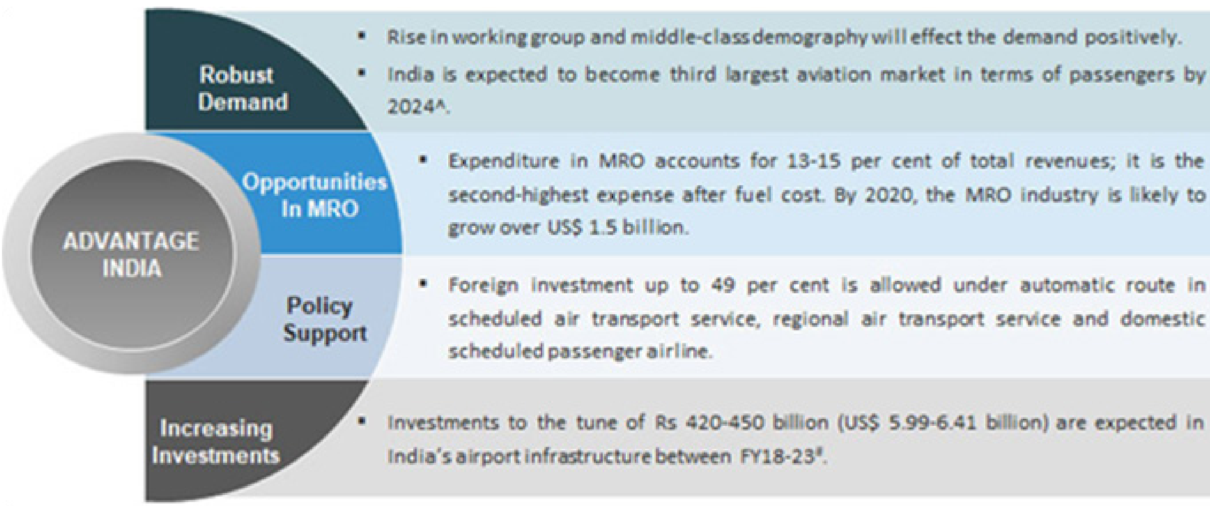


## भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: विधान और व्यवधान

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन/इसरो (Indian Space Research Organisation- ISRO) द्वारा इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी की गई है जिस पर वह कुछ वर्षों से कार्य कर रहा था।

नए अंतरिक्ष युग में भारत के प्रवेश की दिशा में एक प्रगति के रूप में इस नीति का स्वागत किया गया है। हालाँकि इसे उपयुक्त विधान के साथ सहयोग देने की भी आवश्यकता होगी जहाँ स्पष्ट नियम एवं विनियम मौजूद हों।

1990 के दशक की शुरुआत तक भारत के अंतरिक्ष उद्योग और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को इसरो द्वारा ही परिभाषित किया जाता था। इनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी इसरो के डिज़ाइन और विशिष्टताओं में सहयोग देने तक सीमित थी।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में निजी उद्यमों को आद्योपांत गतिविधियों—यानी उपग्रहों एवं रॉकेटों के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण से लेकर अर्थ स्टेशनों के संचालन तक सभी में प्रवेश देने की सरकार की योजना का खुलासा किया गया है।

## अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिये भारत द्वारा अतीत में उठाये गए कदम

- प्रथम उपग्रह संचार नीति (First Satellite Communication Policy): इसे वर्ष 1997 में पेश किया गया था जहाँ उपग्रह उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे। इन्हें आगे और उदार/मुक्त बनाया गया था लेकिन इसे लेकर कभी अधिक उत्साह नहीं दिखा।
- दूरस्थ संवेदन डेटा नीति (Remote Sensing Data Policy): इसे वर्ष 2001 में पेश किया गया था, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया; वर्ष 2016 में इसे राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (National Geospatial Policy) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे वर्ष 2022 में और उदार बनाया गया।
- मसौदा अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक (Draft Space Activities Bill): इसे वर्ष 2017 में लाया गया था जो एक सुदीर्घ परामर्श प्रक्रिया से गुज़रा, लेकिन वर्ष 2019 में निवर्तमान लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।

नोट :

- अपेक्षा थी कि सरकार वर्ष 2021 तक एक नया विधेयक पेश करेगी, लेकिन प्रतीत होता है कि वह इसरो द्वारा जारी नई नीति वक्तव्य से संतुष्ट है।

## अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है ?

- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का पिछड़ापन:** वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की है। दुनिया के कुछ प्रमुख अंतरिक्षयात्री देशों में से एक होने के बावजूद भारत इस वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महज 2% की हिस्सेदारी रखता है।
- **भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन करना:** आज जबकि इसरो का बजट लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की है। ब्रॉडबैंड, ओटीटी और 5G उपग्रह आधारित सेवाओं में दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि की संभावना निहित है।
  - आकलन किया जाता है कि अनुकूल माहौल के साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग वर्ष 2030 तक 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य तक बढ़ सकता है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के दो लाख से अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं।
- **निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात:** स्पेसएक्स (SpaceX), ब्लू ओरिजिन (Blue Origin), वर्जिन गैलेक्टिक (Virgin Galactic) जैसी कंपनियों ने लागत और टर्नअराउंड समय को कम करके अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जबकि भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग के खिलाड़ी सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम में विक्रेता या आपूर्तिकर्त्ता होने तक ही सीमित रहे हैं।
- **सुरक्षा बढ़ाना:** सुरक्षा और रक्षा एजेंसियाँ विदेशी स्रोतों से पृथ्वी अवलोकन डेटा और इमेजरी प्राप्त करने के लिये सालाना लगभग एक बिलियन डॉलर खर्च करती हैं। विदेशी संस्थाओं पर इतनी निर्भरता भारत की सुरक्षा को दाँव पर लगा सकती है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र आत्मनिर्भरता लाना:** वर्तमान में भारतीय घरों में टीवी संकेतों को प्रसारित करने वाले आधे से अधिक ट्रांसपोंडर विदेशी उपग्रहों पर होस्ट किये गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ½ बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक बहिर्वाह होता है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना:** भारत के युवाओं और उद्यमियों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकने के लिये अंतरिक्ष सहित सभी उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की गतिविधि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - इस विज़न को साकार करने के लिये, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के भीतर निजी संस्थाओं को आरंभ शुरू से अंत तक की सभी अंतरिक्ष गतिविधियों में सक्षम स्वतंत्र खिलाड़ियों के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकने में सक्षम बनाना आवश्यक है।
- **भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को वैश्विक उद्योग के समकक्ष बनाना:** निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार के भीतर लागत प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सक्षम होगा और इस प्रकार अंतरिक्ष एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न रोज़गार सृजित होंगे।

## भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

- **विज़न:** भारतीय अंतरिक्ष नीति का 'विज़न' है "अंतरिक्ष में एक समृद्ध वाणिज्यिक उपस्थिति को सक्षम, प्रोत्साहित और विकसित करना", जो इस स्वीकृति की पुष्टि करता है कि निजी क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक है।
- **मुख्य बातें:**
  - यह नीति चार अलग-अलग, लेकिन संबंधित निकायों का सृजन करती है, जो उन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की वृहत भागीदारी को सुगम बनाएगी जो आमतौर पर इसरो का पारंपरिक डोमेन रहा है।
  - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre- InSPACe): यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड की स्थापना, उपग्रहों को खरीद-बिक्री और हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा का प्रसार करने सहित विभिन्न विषयों के लिये एकल खिड़की मंज़ूरी एवं प्राधिकरण एजेंसी के रूप में काम करेगा।
    - यह गैर-सरकारी निकायों (Non-Government Entities- NGEs)—जिसमें निजी कंपनियाँ भी शामिल होंगी—और सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी भी करेगा।
    - IN-SPACe एक 'स्थिर और पूर्वानुमेय विनियामक ढाँचा' तैयार करेगा जो NGEs के लिये एक समान अवसर सुनिश्चित करेगा।
    - यह उद्योग समूहों की स्थापना के लिये एक प्रवर्तक (Promoter) के रूप में और देयता के मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करने में नियामक (Regulator) के रूप में कार्य करेगा।

नोट :

- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL): यह सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और मंचों के व्यावसायीकरण के साथ-साथ निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष संबंधी घटकों, प्रौद्योगिकियों, मंचों एवं अन्य आस्तियों के विनिर्माण, लीज़िंग या खरीद के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- अंतरिक्ष विभाग: यह समग्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करेगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिये नोडल विभाग होगा। यह अन्य कार्यों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के परामर्श से वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन एवं कार्यक्रमों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय की दिशा में भी कार्य करेगा।
  - यह अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र का भी सृजन करेगा।
- इसरो की भूमिका को युक्तिसंगत बनाना: नवीन नीति में कहा गया है कि इसरो "ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम के विनिर्माण में मौजूद होने के मौजूदा अभ्यास से बाहर निकलेगा।"
  - इस प्रकार, अब परिपक्व प्रणालियों को वाणिज्यिक उपयोग के लिये उद्योगों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसरो उन्नत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास, नई प्रणालियों की सिद्धि और राष्ट्रीय विशेषाधिकारों की पूर्ति के लिये स्पेस ऑब्जेक्ट्स को साकार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसरो अन्य सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करेगा।
  - यह इसरो को अपनी पूरी शक्ति अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास पर और चंद्रयान एवं गगनयान जैसी दीर्घकालिक परियोजनाओं पर लगाने का अवसर देगा।

- **निजी क्षेत्र की भूमिका:**
  - NGEs (इसमें निजी क्षेत्र शामिल है) को "स्पेस ऑब्जेक्ट्स, भूमि-आधारित संपत्तियों और संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन आदि संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं संचालन के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी गई है।"
  - उपग्रह स्व-स्वामित्व वाले, खरीदे गये या पट्टे पर लिये गए हो सकते हैं; संचार सेवाएँ भारत या बाहर प्रदत्त हो सकती हैं; और रिमोट सेंसिंग डेटा को भारत या विदेश में प्रसारित किया जा सकता है।
  - NGEs अंतरिक्ष परिवहन के लिये लॉन्च वाहनों को डिज़ाइन एवं संचालित कर सकते हैं और अपनी स्वयं की आधारभूत संरचना स्थापित कर सकते हैं।
  - NGEs अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के साथ फाइलिंग कर सकते हैं और उपग्रहीय संसाधनों की वाणिज्यिक रिकवरी में संलग्न हो सकते हैं।
  - संक्षेप में, अंतरिक्ष गतिविधियों का पूरा दायरा अब निजी क्षेत्र के लिये खुल गया है। सुरक्षा एजेंसियाँ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये NGEs को अनुकूल समाधान प्राप्त करने का कार्य सौंप सकती हैं।

## नीति में व्याप्त कमियाँ

- नवीन नीति IN-SPACe के लिये एक महत्त्वाकांक्षी भूमिका तो निर्धारित करती है लेकिन आगे के आवश्यक कदमों के लिये समय-सीमा प्रदान नहीं करती है।
- न तो इसरो के लिये वर्तमान अभ्यासों से बाहर निकलने के लिये कोई सांकेतिक समयरेखा तय की गई है, न ही IN-SPACe को नियामक ढाँचा सृजित करने के लिये कोई समयसीमा सौंपी गई है।
- परिकल्पित नीतिगत ढाँचे में FDI एवं लाइसेंसिंग से संबंधित स्पष्ट नियमों एवं विनियमों, नए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स को बनाए रखने के लिये सरकारी खरीद, उल्लंघन के मामले में देयता और विवाद निपटान के लिये एक अपीलीय ढाँचे की आवश्यकता होगी।
- IN-SPACe एक नियामक संस्था है लेकिन इसे विधायी प्राधिकार प्राप्त नहीं है।
- IN-SPACe से सभी के लिये (सरकारी और गैर-सरकारी निकाय दोनों) अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने की उम्मीद है। वर्तमान में इसकी स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि यह अंतरिक्ष विभाग के दायरे में कार्य करता है।

## इन कमियों को दूर करने के लिये क्या किया जाना चाहिये ?

- अंतरिक्ष नीति 2023 एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज़ है जो अच्छी मंशा और विज़न को प्रकट करता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि इस विज़न को वास्तविकता में बदलने के लिये आवश्यक विधिक ढाँचा प्रदान करने हेतु एक समयसीमा तय की जाए ताकि भारत को सफलतापूर्वक द्वितीय अंतरिक्ष युग में प्रक्षेपित किया जा सके।
- सरकार को एक विधेयक लाना चाहिये जो IN-SPACe को वैधानिक दर्जा प्रदान करे और ISRO एवं IN-SPACe दोनों के लिये समयसीमा भी निर्धारित करे। यह विधेयक विदेशी निवेश, नए अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिये सरकारी समर्थन आदि से संबंधित अस्पष्टता को भी संबोधित करे।

# ONDC एवं इसकी क्षमता

## संदर्भ

ई-कॉमर्स को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सरकार के प्रयास खाद्य वितरण सेवाओं में प्रभाव दिखाने लगे हैं। ग्राहक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)—जो इंटरकनेक्टेड ई-मार्केटप्लेस का एक नेटवर्क सृजित करता है और छोटे स्टोर-मालिकों के लिये ऑनलाइन मांग को दायरे में लेना आसान बनाता है, के उपयोग से ऑनलाइन ऐप्स पर प्रेषित ऑर्डर में उल्लेखनीय मूल्य अंतर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)—वह अवसंरचना जिसके आधार पर देश में डिजिटल लेनदेन में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, की ही तरह एक 'गेम-चेंजर' सिद्ध हो सकता है।

## ONDC क्या है?

- **परिचय:**
  - इसे 'डिजिटल इंडिया' पर बल के एक भाग के रूप में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत वर्ष 2021 के अंत में लॉन्च किया गया था ।
  - ONDC इंटरकनेक्टेड ई-मार्केटप्लेस के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से विक्रेता (जिनमें ब्रांड भी शामिल हैं) किसी बिचौलिये या मध्यस्थ को दरकिनार करते हुए अपने उत्पादों को सूचीबद्ध और ग्राहकों को प्रत्यक्ष बिक्री कर सकते हैं।
  - ONDC फूड डिलीवरी के साथ-साथ किराना वस्तुओं, घर साज-सज्जा की वस्तुओं, सफ़ाई संबंधी आवश्यक उत्पाद और अन्य उत्पादों के लिये भी डिलीवरी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:**
  - ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण
  - विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ स्थानीय व्यवसायों के लिये समावेशिता और पहुँच सुनिश्चित करना
  - उपभोक्ताओं के लिये विकल्प/चयन की वृद्धि और स्वतंत्रता
  - वस्तुओं और सेवाओं को सस्ता बनाना
- **कार्यकरण तंत्र:** ONDC एक ओपन नेटवर्क के आधार पर कार्य करता है जहाँ यह अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के समान कोई एकल मंच नहीं होगा, बल्कि एक प्रवेश द्वार या 'गेटवे' के रूप में होगा जहाँ विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर क्रेता एवं विक्रेता जुड़ सकेंगे।

## ONDC के संभावित लाभ

- **पारदर्शिता की वृद्धि:** ONDC सरकारी डेटा को जनता के लिये अधिक सुलभ बनाकर अधिक पारदर्शिता प्रदान कर सकता है। यह भरोसा और जवाबदेही बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- **ग्राहक पसंद/विकल्प की वृद्धि:** ONDC में उपभोक्ताओं की पसंद में वृद्धि करने और प्रवेश बाधाओं को कम करने के रूप में बाज़ार की एकाग्रता को कम करने की क्षमता है।
- **नवाचार:** ONDC उद्यमियों और शोधकर्ताओं को सरकारी डेटा तक पहुँच प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। इससे समाज को लाभ पहुँचाने वाले नए उत्पादों और सेवाओं का विकास हो सकता है।

- **लागत बचत:** ONDC प्रयास के दोहराव को कम करके और संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को सक्षम करके धन की बचत कर सकता है।
  - ONDC के माध्यम से फ़ूड डिलीवरी के लिये प्लेटफॉर्म शुल्क बाज़ार प्रतिनिधियों द्वारा अधिरोपित शुल्क के लगभग पाँचवें अंश के बराबर है। इस प्रकार, यह मध्यस्थता की लागत में पर्याप्त कमी को इंगित करता है।
- **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा:** मौजूदा ई-कॉमर्स मंचों के आधिपत्य को तोड़कर ONDC उपभोक्ताओं को व्यापक लाभ पहुँचा सकता है।
- **सबके लिये समान अवसर:** ONDC ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये एक समान अवसर प्रदान करने और देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे व्यापारियों के लिये डिजिटल मार्केट पहुँच को व्यापक बनाने की मंशा रखता है।
- **तटस्थ और विनियमित प्लेटफॉर्म:** ONDC ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने पर लक्षित है, जहाँ खुले विनिर्देशों एवं नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है और यह किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र है।

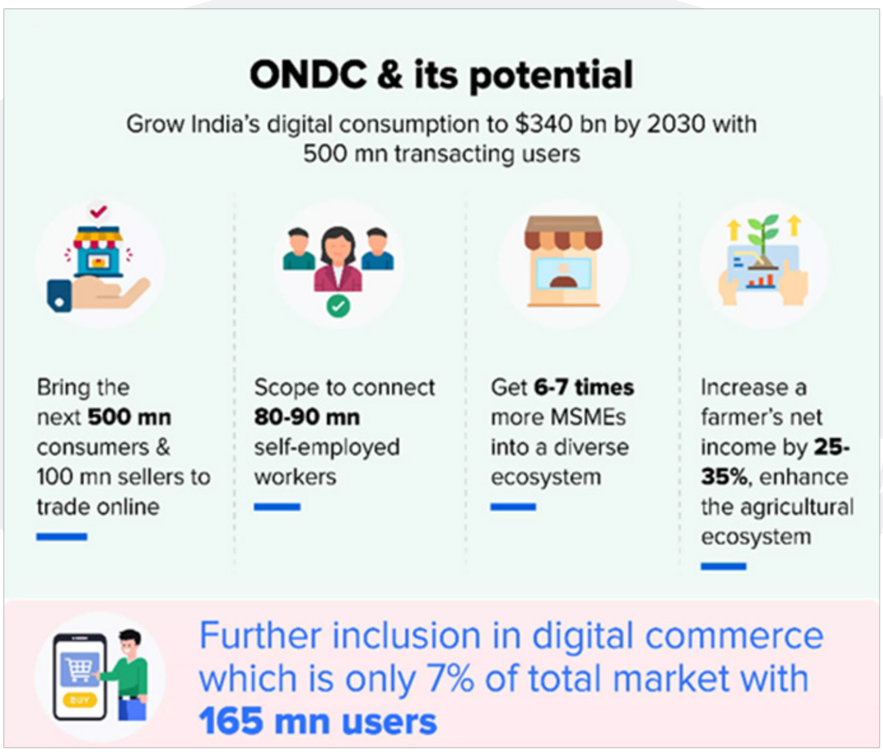


## आगे की चुनौतियाँ

- **जटिलता:** UPI जैसी अन्य प्रणालियों की तुलना में ONDC एक जटिल तंत्र है। लोगों को UPI की सुविधा आकर्षक लगी जिससे उन्होंने इसे अपनाया। आवश्यक नहीं है कि ONDC के लिये भी सत्य साबित हो।
  - लोग पहले से ही मौजूदा कंपनियों के यूज़र इंटरफेस के आदी हो चुके हैं।
- **विवादों में वृद्धि:** ONDC में केवल क्रय एवं विक्रय की प्रक्रिया ही ऑनलाइन होती है, जबकि उत्पाद की डिलीवरी और इसका उपयोग ऑफ़लाइन माध्यम में संपन्न होता है। इससे विवाद बढ़ ही सकते हैं क्योंकि ONDC कोई मध्यस्थ मंच नहीं है।
- **एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र का अभाव:** ग्राहक सेवा और शिकायतों के प्रबंधन के संबंध में उत्तरदायित्व पर स्पष्टता की कमी लोगों को मंच से जुड़ने से हतोत्साहित कर सकती है।
- **ग्राहकों को आकर्षित करना आसान नहीं:** पहले से मौजूद ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी आकर्षक और इंटरऑपरेबल सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ मज़बूत संबंध कायम किये हैं। जैसे, अमेज़ॅन प्राइम मेंबरशिप के साथ अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है।

- ऐसे में ONDC के लिये ग्राहकों को आकर्षित करना आसान नहीं होगा।

- **वस्तु और सेवाओं का वास्तविक रूप से सस्ता नहीं होना:** चूँकि ONDC क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच व्यापार का मात्र एक सूत्रधार या सुगमकर्ता है, इसलिये वह पहले से मौजूद खिलाड़ियों की तरह उत्पादों की पेशकश करने में सक्षम नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिये, अमेज़ॅन ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अमेज़ॅन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सामान खरीद पर 5% कैशबैक प्रदान करने का एक करार किया है।

### आगे की राह

- प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकने के लिये सरकार द्वारा ई-कॉमर्स के बेहतर डिजिटल स्पेस का निर्माण किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही , एक उचित डिजिटल शिक्षा नीति का निर्माण करना महत्त्वपूर्ण है, जो उपभोक्ताओं के साथ-साथ विक्रेताओं के लाभ के लिये विभिन्न भाषाओं एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस को ध्यान में रखे।
- किराना स्टोर जैसे छोटे विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिये एक वृहत और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित अंगीकरण अभियान की आवश्यकता होगी ।
- मांग और आपूर्ति पक्षों को एक सुरक्षित सिंगल विंडो तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिये ताकि सूचना विषमता, अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और क्रेता-विक्रेता विवाद जैसे मुद्दों को हल किया जा सके।
- उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र: सूचना विषमता, अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता एवं उत्पाद संबंधी चिंताओं और क्रेता-विक्रेता विवाद जैसी मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों से संबद्ध समस्याओं से निपटने के लिये एक सुरक्षित एकल खिड़की होनी चाहिये।

## सभी मौसमों में खाद्य सुरक्षा

### संदर्भ

कृषि उत्पादकता (agricultural productivity) और खाद्य सुरक्षा (food security) को निर्धारित करने में तापमान, वर्षा और चरम मौसमी घटनाओं (extreme weather events) सहित विभिन्न मौसमी प्रतिरूप (Weather patterns) प्रमुख कारक की भूमिका निभाते हैं।

- मौसमी प्रतिरूप में परिवर्तन से फसल विफलता, खाद्य की कमी एवं उनमें मूल्य वृद्धि जैसी स्थिति बन सकती है, जिसका विश्व भर के लाखों लोगों की आजीविका पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
- उदाहरण के लिये, सूखा और बाढ़ फसलों को नष्ट कर सकते हैं, जिससे खाद्य की कमी एवं उनके मूल्यों में वृद्धि हो सकती है, जबकि अत्यधिक तापमान फसल की पैदावार एवं गुणवत्ता को कम कर सकता है। विकासशील देशों में ये प्रभाव विशेष रूप से तीव्र हैं, जहाँ बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं और जिनके पास भोजन या आय के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच की कमी हो सकती है।

### खाद्य सुरक्षा क्या है ?

- खाद्य सुरक्षा (Food security)—जैसा कि विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations' Committee on World Food Security) द्वारा परिभाषित किया गया है, का अभिप्राय है सभी लोगों की सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहुँच, जो एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिये उनकी खाद्य प्राथमिकताओं एवं आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।
- **खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित तीन तत्वों का संयोजन है:**
  - खाद्य उपलब्धता (Food availability); अर्थात् खाद्य पर्याप्त मात्रा में और निरंतर उपलब्ध होना चाहिये। यह क्षेत्र विशेष में भंडार (स्टॉक) एवं उत्पादन और व्यापार या सहायता (aid) के माध्यम से कहीं और से खाद्य मंगाने की क्षमता पर विचार करता है।
  - खाद्य अभिगम्यता (Food accessibility); अर्थात् लोगों को खरीद, घरेलू उत्पादन, वस्तु विनिमय, उपहार, उधार या खाद्य सहायता के माध्यम से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में खाद्य प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिये।
  - खाद्य उपयोग (Food utilization); अर्थात् उपभोग किये जाते खाद्य का लोगों पर सकारात्मक पोषण प्रभाव (positive nutritional impact) उत्पन्न होना चाहिये। इसमें घरों में खाना पकाने, भंडारण एवं स्वच्छता अभ्यास, व्यक्तियों के स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, आहार प्रदान करने एवं साझा करने के अभ्यास आदि शामिल हैं।
- खाद्य सुरक्षा घरेलू संसाधनों, प्रयोज्य आय और सामाजिक आर्थिक स्थिति से निकटता से संबद्ध है। यह खाद्य कीमतों, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन, जल, ऊर्जा और कृषि विकास जैसे अन्य मुद्दों से भी सुदृढ़ तरीके से जुड़ा हुआ है।

- **किसी राष्ट्र के लिये खाद्य सुरक्षा का महत्त्व:**
  - कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये।
  - खाद्य कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये।
  - आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के लिये, जो फिर निर्धनता में कमी लाए
  - व्यापार अवसरों के लिये
  - संवृद्ध वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिये
  - बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के लिये

## खाद्य सुरक्षा की मौसम के प्रभाव से रक्षा (Weather-Proofing Food Security) की आवश्यकता क्यों है?

- जलवायु परिवर्तन संवेदनशील या भेद्य आबादी के लिये संकट को बढ़ाने वाला और खतरे को सघन करने वाला कारक है। खाद्य उत्पादन, आजीविका और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव से वर्ष 2080 तक 600 मिलियन अतिरिक्त लोगों के खाद्य असुरक्षा की ओर धकेले जाने और बाल कुपोषण में वृद्धि होने का आकलन किया जाता है।
- जलवायु परिवर्तन से प्रेरित फसल विफलता एवं भुखमरी से सर्वाधिक खतरा रखने वाली वैश्विक आबादी की लगभग 80% उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में निवास करती है, जहाँ कृषक परिवार असंगत रूप से निर्धन एवं भेद्य हैं।
- अल नीनो (El Nino) मौसम प्रतिरूप या जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम सूखे की स्थिति लाखों अतिरिक्त लोगों को गरीबी की ओर धकेल सकती है।

## खाद्य सुरक्षा पर मौसम के प्रभाव

- **फसल पैदावार और उत्पादन:**
  - बढ़ते तापमान, वर्षा के बदलते प्रतिरूप और सूखा, बाढ़ एवं तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं का फसल की पैदावार पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
  - ग्रीष्म लहर (Heatwaves) एवं सूखा उत्पादकता को कम कर सकते हैं और फसल विफलता का कारण बन सकते हैं, जबकि अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ फसलों को और आधारभूत संरचना को नष्ट कर सकते हैं।
  - कृषि उत्पादन में इन व्यवधानों के परिणामस्वरूप खाद्य उपलब्धता में कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि की स्थिति बन सकती है।
- **फसल उगाने की दशाओं में परिवर्तन:**
  - जलवायु परिवर्तन विशिष्ट फसलों के लिये कुछ क्षेत्रों की उपयुक्तता को बदल देता है।
  - तापमान और वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण किसानों को अपने फसल अभ्यासों को अनुकूलित करने या दूसरी फसलों की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है।
  - इससे खाद्य उत्पादन में व्यवधान और क्षेत्रीय खाद्य असंतुलन की स्थिति बन सकती है।
- **पशुधन और मत्स्य पालन:**
  - बढ़ते तापमान, वर्षा के बदलते प्रतिरूप और महासागरीय अम्लीकरण से पशुधन एवं मत्स्य उत्पादन प्रभावित होता है।
  - हीट स्ट्रेस (Heat stress) पशुधन उत्पादकता को कम कर सकता है और उनकी मृत्यु दर को बढ़ा सकता है, जबकि जल के तापमान एवं अम्लता में परिवर्तन समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है और मछली की आबादी को कम कर सकता है।
- **खाद्य वितरण और पहुँच:**
  - जलवायु परिवर्तन परिवहन और अवसंरचना को बाधित कर सकता है, जिससे उत्पादन क्षेत्रों से बाज़ारों तक खाद्य पदार्थों का परिवहन करना चुनौतीपूर्ण बन सकता है।
  - चरम मौसमी घटनाएँ सड़कों, पुलों एवं बंदरगाहों को नष्ट कर सकती हैं, जिससे परिवहन में देरी और उच्च परिवहन लागत की स्थिति बन सकती है।
  - ये व्यवधान लोगों की खाद्य तक पहुँच को सीमित कर सकते हैं, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जो आयातित खाद्य पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।
- **मूल्य अस्थिरता:**
  - कृषि उत्पादन में जलवायु परिवर्तन संबंधी व्यवधानों से खाद्य वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता (Price Volatility) में वृद्धि हो सकती है।
  - फसल विफलता, पैदावार में कमी और आपूर्ति की कमी के कारण खाद्य मूल्यों में वृद्धि हो सकती है, जिससे संवेदनशील आबादी के लिये पर्याप्त आहार का खर्च उठाना कठिन हो जाता है।
- **भूमि क्षरण और जल की कमी:**
  - जलवायु परिवर्तन मृदा के कटाव, मरुस्थलीकरण और कृषि-योग्य भूमि के क्षरण में योगदान देता है।
  - भारी वर्षा एवं बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएँ कृषि के लिये आवश्यक मृदा के ऊपरी परत को बहा सकती हैं और मृदा की उर्वरता को कम कर सकती हैं।

## खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **महत्त्व:**
  - भारतीय CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांक 45.86% है, जो G20 देशों में सबसे अधिक है।
  - समग्र मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिये इस घटक को लगभग 4% तक प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक है।
- **चुनौतियाँ:**
  - मौद्रिक और राजकोषीय नीति की चुनौतियाँ: मुद्रास्फीति के इस घटक को केवल मौद्रिक नीति के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है, न ही राजकोषीय नीति द्वारा।
    - इसका सरल कारण यह है कि यह प्राय: बाह्य आघातों से प्रेरित होता है, जैसे सूखे के कारण या आपूर्ति शृंखला के भंग होने से (उदाहरण के लिये जैसा कि कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान दिखाई पड़ा)।
  - अल नीनो: अल नीनो का उभार एक मंडराता संकट है और आशंका है कि यह सामान्य से कम वर्षा या यहाँ तक कि सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है।
  - अनाज मुद्रास्फीति: अनाज और उत्पादों की समग्र मुद्रास्फीति अभी भी अत्यंत असुविधाजनक स्तर (13.7%) पर है।
  - चावल मुद्रास्फीति: खरीफ मौसम की सबसे प्रमुख फसल चावल है और उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में चावल मुद्रास्फीति (non-PDS के लिये) 11.4% थी।
    - गेहूँ मुद्रास्फीति: गेहूँ सबसे महत्त्वपूर्ण रबी फसल है जिसकी मुद्रास्फीति अभी भी 15.5% के अत्यंत उच्च स्तर पर बनी हुई है।
  - दूध मुद्रास्फीति: अप्रैल में इस श्रेणी में मुद्रास्फीति या महंगाई दर 8% से अधिक थी। लेकिन चूँकि CPI बास्केट में शामिल 299 वस्तुओं में इसका भारांक सबसे अधिक है, इसलिये अप्रैल में CPI मुद्रास्फीति में इसका योगदान लगभग 12% था, जो सभी वस्तुओं में सबसे अधिक था।
  - चारा मूल्य मुद्रास्फीति: हाल के महीनों में चारा मूल्य मुद्रास्फीति 20 से 30% के अत्यंत उच्च स्तर पर रही है। इसने दूध मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया है।

## अल नीनो

- अल नीनो एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला जलवायु प्रतिरूप है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के गर्म होने से संबद्ध है। यह औसतन प्रत्येक दो से सात वर्षों में उत्पन्न होता है और इसकी अवधि आमतौर पर 9 से 12 माह तक रहती है।
- अल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान को प्रभावित करता है, जो मानसून या व्यापारिक पवनों को दुर्बल बना सकता है और भारत में वर्षा को कम कर सकता है। लेकिन एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD) इसे निष्प्रभावी कर सकता है।

## आगे की राह

- **बफर स्टॉकिंग नीति (अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाज़ार संचालन में उतारना) का अधिक सक्रिय रूप से उपयोग करना:**
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास चावल का स्टॉक चावल के लिये निर्धारित बफ़र स्टॉक मानदंड से तीन गुना से भी अधिक है। यदि सरकार चावल की महंगाई को काबू में करना चाहती है तो वह चावल को सेंट्रल पूल से खुले बाज़ार संचालन में उतार सकती है और इस तरह सरलता से चावल की महंगाई को लगभग 4% तक नीचे ला सकती है।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और खुले बाज़ार के संचालन को कुछ अवसर देने के लिये गेहूँ की खरीद पर्याप्त रूप से अच्छी रही है।
- **'फैट' पर कम आयात शुल्क:** यह नीतिगत साधन अपनाया जा सकता है कि वसा या फैट (Fat) पर आयात शुल्क को कम किया जाए जो वर्तमान में 40% है। स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) के लिये भी इसे कम किया जा सकता है जो अभी 60% है।
  - SMP और फैट (butter) की भारतीय कीमतें वैश्विक कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं और इसलिये आयात शुल्क को 10 से 15% तक कम करने से फैट एवं SMP का कुछ आयात हो सकेगा।
  - इससे दूध और दुग्ध उत्पाद की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।
- **चारा मूल्य मुद्रास्फीति (Fodder Price Inflation) की चुनौती को संबोधित करना:** चारा फसलों की खेती को सब्सिडी या प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इसे उपयुक्त फसल संयोजनों को अपनाने और चारा बैंकों को विकसित करने जैसी पहलों के माध्यम से भी संबोधित किया जा सकता है।
- **सूखे से निपटने के लिये तैयार रहना:** हालाँकि IMD ने अभी तक अल नीनो के प्रभाव के बारे में कोई पूर्वानुमान प्रकट नहीं किया है, लेकिन 'इलाज से परहेज बेहतर' के दृष्टिकोण को बनाए

रखना चाहिये। सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों की खेती करने, सिंचाई का विस्तार करने, चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने, अनाज का भंडारण एवं वितरण करने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने जैसे नीतिगत हस्तक्षेप से जलवायु के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

## डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार

- ज़मानत (Bail) किसी ऐसे व्यक्ति की अस्थायी रिहाई को संदर्भित करता है जिसे गिरफ्तार किया गया है या उसे किसी अपराध के लिये आरोपित किया गया है और उस पर विचारण (Trial) या न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति लंबित है।

केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों द्वारा आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में 'कठिनाइयों का सामना करने' संबंधी आग्रह पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे रितु छाबड़िया बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाए बिना, अर्थात् स्वतंत्र रूप से, लंबित डिफॉल्ट ज़मानत आवेदनों पर निर्णय ले सकते हैं।

### यह निर्णय चिंताजनक है क्योंकि:

- यह डिफॉल्ट ज़मानत के अधिकार को कमज़ोर कर सकता है।
- आरोपी के संवैधानिक अधिकारों पर अन्वेषण अधिकारियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- निर्णय का अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- प्रशासनिक सुविधा के लिये प्रक्रियात्मक वैधता (Procedural Legitimacy) का त्याग नहीं किया जाना चाहिये।

### डिफॉल्ट ज़मानत क्या है ?

- व्यतिक्रम ज़मानत या डिफॉल्ट ज़मानत (Default Bail) उस परिदृश्य में अर्जित ज़मानत का अधिकार है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है।
    - इसे सांविधिक ज़मानत (Statutory Bail) के रूप में भी जाना जाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 167(2) में इसे प्रतिष्ठापित किया गया है।
- संहिता की धारा 167 (1) के अनुसार, यदि प्रतीत हो कि 24 घंटे की अवधि के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता है तो पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने और पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिये आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- धारा 167(2) के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिनों की पुलिस हिरासत अवधि से आगे के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में निरुद्ध करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है, जहाँ अभियुक्त को निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिये निरुद्ध नहीं किया जा सकता:
    - 90 दिन से अधिक की अवधि के लिये, जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये कारावास से दंडनीय है;
    - 60 दिन से अधिक की अवधि के लिये जहाँ अन्वेषण किसी अन्य अपराध की जांच करने के संबंध में है
    - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट जैसे कुछ विशेष कानूनों के मामले में यह अवधि भिन्न हो सकती है।
        - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट में यह अवधि 180 दिन है।
- यदि इस अवधि के अंत तक जाँच पूरी नहीं होती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देगी "यदि वह ज़मानत के लिये तैयार है और इसे प्रस्तुत करता है।" इसे डिफॉल्ट ज़मानत के रूप में जाना जाता है।

### रितु छाबड़िया केस

- रितु छाबड़िया मामले के निर्णय में न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार केवल एक सांविधिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार है जो अभियुक्तों की 'राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति' से रक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 21 से शक्ति प्राप्त करता है।"
- रितु छाबरिया मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाँच पूरी किये बिना जाँच एजेंसी द्वारा दायर किया गया अपूर्ण आरोप-पत्र अभियुक्त के डिफॉल्ट ज़मानत के अधिकार को पराजित नहीं करेगा।
    - इस मामले में देखा गया कि जाँच अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से 60/90-दिन की अवधि के भीतर अपूर्ण या पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया ताकि अभियुक्त को डिफॉल्ट ज़मानत की मांग करने से अवरुद्ध किया जा सके।

### डिफॉल्ट ज़मानत से संबंधित अन्य मामले

- **सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी ( 1992 ):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों के लिये पुलिस हिरासत

नोट :

को प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद, कोई और निरोध न्यायिक हिरासत के रूप में होनी चाहिये, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वही अभियुक्त किसी अन्य घटना या संव्यवहार से उत्पन्न एक अलग मामले में आरोपित बनाया जाता है। ऐसी स्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत को फिर से प्राधिकृत करने पर विचार कर सकता है।

- **उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**
  - संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय को आधार लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा डिफॉल्ट ज़मानत के अपने अधिकार का उपयोग करना तब माना जाएगा जब उसने उसने इसके लिये ही आवेदन किया हो, न कि उसे जहाँ उसे डिफॉल्ट ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है।
  - यदि अभियुक्त के पक्ष में डिफॉल्ट ज़मानत का आदेश पारित किया जाता है , लेकिन वह ज़मानत देने में विफल रहता है और इस बीच आरोप-पत्र दायर कर दिया जाता है तो डिफॉल्ट ज़मानत का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- **अचपाल बनाम राजस्थान राज्य (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई जाँच रिपोर्ट, भले ही पूर्ण हो, यदि यह एक अनधिकृत जाँच अधिकारी द्वारा दायर की जाती है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट ज़मानत का लाभ उठाने से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।
- **जसबीर सिंह बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (2023):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई अभियुक्त इस आधार पर डिफॉल्ट ज़मानत मांगने का हक़दार नहीं है कि आरोप-पत्र (यद्यपि वह अपेक्षित अवधि के भीतर दायर किया गया हो) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत मंजूरी की कमी के कारण 'अपूर्ण' बना हुआ है।

## डिफॉल्ट ज़मानत के पक्ष में तर्क

- **निर्दोषता की धारणा:** डिफॉल्ट ज़मानत 'दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष' (innocent until proven guilty) के मौलिक सिद्धांत को अक्षुण्ण रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिन व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अनिश्चितकालीन पूर्व-विचारण निरोध के अधीन नहीं रखा जा सकता।
- **नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा:** डिफॉल्ट ज़मानत नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त साक्ष्य और एक औपचारिक विचारण के बिना लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए; इस प्रकार, निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों का प्रसार करती है।
- **पुनर्वास और स्थापन को बढ़ावा देना:** डिफॉल्ट ज़मानत अभियुक्तों को पुनर्वास और स्थापन के लिये अपने समुदायों में बने रहने में मदद करती है, जहाँ वे कार्य करने और अपने परिवारों का पोषण करने से संलग्न होते हैं; इस प्रकार, दोषी नहीं पाए जाने पर उनके सफल पुनर्स्थापन की संभावना बढ़ जाती है।
- **शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश:** डिफॉल्ट ज़मानत जाँच एजेंसियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह अधिकारियों को साक्ष्य पेश किये बिना और उपयुक्त अवधि के भीतर आरोप तय किये बिना अनुपयुक्त तरीके से व्यक्तियों को हिरासत में रखने से रोकती है।
- **निरोध और स्वतंत्रता में संतुलन:** डिफॉल्ट ज़मानत संभावित फ़रारी जोखिमों को रोकने की आवश्यकता और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन का निर्माण करती है। यह न्यायायलय को अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर साक्ष्य पेश कर सकने की क्षमता के आधार पर निरंतर निरोध में रखने की आवश्यकता का आकलन कर सकने का अवसर देती है।
- **जेलों में भीड़भाड़ को कम करना:** डिफॉल्ट ज़मानत यह सुनिश्चित करके जेल की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करती है कि जिन व्यक्तियों पर तुरंत आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है या जिन पर मामले कमज़ोर हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए। यह जेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान देती है।

## डिफॉल्ट ज़मानत के विपक्ष में तर्क

- **संभावित रूप से खतरनाक व्यक्तियों को ज़मानत देने का जोखिम:** जब अभियोजन पक्ष निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप दाखिल करने में विफल रहता है तो डिफॉल्ट ज़मानत दी जाती है। ऐसे मामलों में स्वत: ज़मानत देना जोखिम उत्पन्न कर सकता है यदि अभियुक्त संभावित रूप से खतरनाक व्यक्ति है या समाज के लिये खतरा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है और प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डाल सकता है।
- **जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर करना:** स्वत: ज़मानत प्रावधान संभावित रूप से जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकते हैं। यदि अभियुक्त को आरोप दायर किये बिना डिफॉल्ट ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है तो यह स्थिति साक्ष्य इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न सकती है या एक मज़बूत मामला बनाने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को बाधित कर सकती है। इससे न्याय मिलना कठिन हो सकता है और मामलों के निष्पक्ष समाधान में बाधा आ सकती है।

- **जवाबदेही और सार्वजनिक धारणा:** इससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता कि अभियुक्त उचित प्रक्रिया का सामना किये बिना या अपने कथित अपराधों के लिये जवाबदेह ठहराए बिना छूट रहे हैं।
- **पीड़ितों के अधिकारों को कमज़ोर करना:** स्वत: ज़मानत देने से पीड़ितों के समयबद्ध न्याय पाने के अधिकार बाधित हो सकते हैं और मामले में शामिल विभिन्न पक्षों के प्रति व्यवहार में अन्याय या असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

### आगे की राह

- **समयसीमा की समीक्षा और परिशोधन:** गहन जाँच सुनिश्चित करने और अनावश्यक देरी से बचने के लिये मामले की जटिलता के आधार पर आरोप दाखिल करने की मौजूदा समयसीमा की समीक्षा और परिशोधन की आवश्यकता है।
- **न्यायिक विवेक को संलग्न करना:** न्यायपालिका को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा करने वाले या जाँच प्रक्रिया में बाधा डालने वाले मामलों में डिफॉल्ट ज़मानत से इनकार करने का विवेक प्रदान करने से न्यायाधीशों को व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर सूचना-संपन्न निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है।
- **संवीक्षा और शर्तों की वृद्धि करना:** कड़ी संवीक्षा लागू करने और डिफॉल्ट ज़मानत देने के लिये उपयुक्त शर्तें लागू करने (जैसे कि सख्त रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ) की आवश्यकता है।
- **कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाना:** अवसंरचना में निवेश, जाँच क्षमताओं की वृद्धि, न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करने के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाई जाए।
- **पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना:** मामले की प्रगति के बारे में समयबद्ध सूचना प्रदान करके पीड़ितों के अधिकारों एवं हितों को चिह्नित किया जाए और एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये, जहाँ भी उपयुक्त हो, उन्हें ज़मानत निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

## कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना

भारत सरकार खेती को अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य और संवहनीय बनाने की आवश्यकता से अवगत रही है। कम उत्पादकता, उच्च इनपुट लागत, बाज़ार में उतार-चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन, ऋणग्रस्तता और संस्थागत समर्थन की कमी जैसी कृषकों के समक्ष विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये सरकार कई उपाय कर रही है। भारत की समग्र अर्थव्यवस्था और समाज के लिये कृषि क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोज़गार प्रदान करता है और देश की आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार लाना भारत में नीति निर्माताओं के लिये एक प्राथमिकता और एक चुनौती, दोनों ही रही है।

### कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये:** भारत एक विशाल आबादी वाला देश है जहाँ खाद्य की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य (economically viable) बनाना महत्त्वपूर्ण है ताकि किसान माँग की पूर्ति के लिये पर्याप्त खाद्य का उत्पादन कर सकें।
- **ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना:** कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये प्रमुख योगदानकर्ता है। कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाना संभव है।
- **अधिकांश भारतीयों की आजीविका का समर्थन करने के लिये:** कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने से उन लाखों भारतीयों के जीवन स्तर और रहन-सहन में सुधार करने में मदद मिल सकती है जो अपने अस्तित्त्व के लिये खेती पर निर्भर हैं। कृषि प्रत्यक्ष रूप से भारत की 50% से अधिक आबादी के लिये आय और रोज़गार का मुख्य स्रोत है।
- **अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता को बढ़ाने के लिये:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का योगदान लगभग 17-18% है। कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, अपव्यय (wastage) की कमी, फसलों के विविधिकरण, मूल्यवर्धन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के रूप में भारत के समग्र आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- **सतत और प्राकृतिक खेती अभ्यासों को अपनाने के लिये:** कृषि पर्यावरणीय क्षति, जल की कमी, मृदा क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण बनती है। वर्तमान कृषि अभ्यास हानिकारक रसायनों, सिंचाई और सब्सिडी पर निर्भर बने हुए हैं। कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने से सतत और प्राकृतिक कृषि अभ्यासों को बढ़ावा मिल सकता है जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ाते हैं।

### सन्निहित चुनौतियाँ

- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान स्मार्टफ़ोन या विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच का अभाव रखते हैं, जो डिजिटलीकृत कृषि सेवाओं तक पहुँच की

उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता एक अन्य चुनौती है जो किसानों द्वारा नई तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों को समझने के लिये आवश्यक है।

- **छोटी जोत:** भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या छोटी जोत (small land holdings) रखती है, जो आकारिक मितव्ययिता (economies of scale) प्राप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है और उनकी लाभप्रदता को कम कर सकती है।
- **ऋण तक पहुँच का अभाव:** भारत में कई किसानों की औपचारिक क्रेडिट या साख तक पहुँच नहीं है, जो खेतों में निवेश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार लाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **बाज़ारों तक पहुँच का अभाव:** भारत में किसानों की एक बड़ी संख्या की बाज़ारों तक पहुँच नहीं है जहाँ वे अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें। इससे किसानों को उनकी उपज के लिये कम कीमत प्राप्त होने और उनकी लाभप्रदता कम होने की स्थिति बनती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप सूखा और बाढ़ जैसी बारंबार और चरम मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति हो रही है, जिनका किसानों की आजीविका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
- **अवसंरचना की कमी:** भारत में कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और सिंचाई प्रणाली जैसी बुनियादी अवसंरचना का अभाव है, जो किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** भारत बाढ़, सूखा और कीटों के प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिये प्रवण है। ये आपदाएँ फसलों और पशुधन को क्षति पहुँचा सकती हैं, जिससे किसानों को हानि हो सकती है।
- **अक्षम विपणन:** भारत में कृषि उपज के लिये विपणन प्रणाली पर्याप्त सक्षम नहीं है। इससे किसानों के लिये कम कीमत और उपभोक्ताओं के लिये उच्च कीमतों की स्थिति बनती है।

## सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme- SHCS):** इसका उद्देश्य किसानों को उनकी मृदा के पोषक तत्वों और उर्वरता की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिये देश भर के कृषि क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य का आकलन करना और उनमें सुधार लाना है। इससे किसानों को सूचना-संपन्न निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है और लागत कम होती है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** यह विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की हानि या क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** इसका उद्देश्य सिंचाई निवेश में वृद्धि, खेती योग्य क्षेत्रों के विस्तार, जल उपयोग दक्षता में सुधार, परिशुद्ध सिंचाई एवं अन्य जल-बचत तकनीकों को अपनाने और सतत जल संरक्षण अभ्यासों को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि उत्पादकता एवं कृषि कार्यों में जल संसाधन उपयोग की स्थिति में सुधार लाना है।
- **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (National Agriculture Market- e-NAM):** यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार के निर्माण हेतु मौजूदा APMC मंडियों को परस्पर-संबद्ध करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):** वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय विकास योजना एक छत्र योजना है जो समग्र कृषि और संबद्ध सेवाओं के विकास को सुनिश्चित करती है। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध सेवाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- **सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund-MIF):** सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज के विस्तार के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूँद अधिक फसल' के प्रावधानों से परे इसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्ष 2019-20 में नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत MIF की स्थापना की गई।
- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA):** इस मिशन को एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विशेष रूप से वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये तैयार किया गया है।
  - वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development- RAD): यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System-IFS) पर केंद्रित है।

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management- SHM): यह अवस्थिति के साथ-साथ फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (अवशिष्ट प्रबंधन और जैविक कृषि अभ्यास सहित) को बढ़ावा देने के लिये मृदा उर्वरता मानचित्रों को मैक्रो-माइक्रो पोषक तत्व प्रबंधन के साथ संबद्ध करने पर लक्षित है।

## कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये कौन-से नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं?

- **कृषि का डिजिटलीकरण:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित कृषि स्टार्ट-अप किसानों के लिये बीज से लेकर बाज़ार तक फुल-स्टैक समाधान (full-stack solutions) प्रदान करते हैं। वे आपूर्ति, ऋण, बीमा और सर्वोत्तम मूल्य पर अपनी उपज की बिक्री करने के लिये प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान कर किसान को प्राथमिकता देते हैं।
  - उदाहरण के लिये, गुरुग्राम स्थित 'देहात' (DeHaat) 35 से अधिक फसलों को दायरे में लेते हुए 15 लाख किसानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सेवा प्रदान करता है।
  - स्मार्टफ़ोन की सुविधा रखने वाले किसान कृषि-इनपुट, कृषि सलाह और कृषि-उपज के विपणन के लिये डिजिटलीकृत कृषि-सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **एकीकृत/प्राकृतिक खेती (Integrated/Natural Farming):** छोटी जोत वाले किसानों के लिये एकीकृत खेती लाभदायक सिद्ध हो सकती है। प्राकृतिक खाद के लिये कुछ पशुओं, मत्स्य तालाब एवं वर्मी-कल्चर से संपन्न किसान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। इस प्रकार की खेती के लिये पारिवारिक श्रम महत्त्वपूर्ण है और यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय है।
  - प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर और बाहरी इनपुट की आवश्यकता को न्यूनतम कर खाद्य असुरक्षा, किसानों के संकट, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रदान करती है।
- **जलवायु-कुशल कृषि:** जलवायु-कुशल कृषि (Climate Smart Agriculture) नैनो यूरिया जैसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि-इनपुट की ओर आगे बढ़कर कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना सकती है। यह उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम कर सकती है जो अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति, मृदा अनुर्वरता और विषाक्त खाद्य शृंखला का कारण बन सकते हैं। किसान लागत-प्रभावी और सतत कृषि अभ्यासों का उपयोग कर अपनी इनपुट लागत को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इससे कृषि को दीर्घावधि में अधिक लाभदायक और संवहनीय बनाने में मदद मिल सकती है।
  - सरकार उर्वरक सब्सिडी पर भारी व्यय करती है। इसके कारण उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की स्थिति बनती है, जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय पारिस्थितिक क्षति, मृदा अनुर्वरता और विषाक्त खाद्य शृंखला जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं।
  - पंजाब में मृदा अस्वास्थ्यकर स्थिति में है जहाँ राष्ट्रीय औसत 135 किलोग्राम की तुलना में प्रति हेक्टेयर 246 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
- **सर्वोत्तम कृषि अभ्यासों को अपनाना:** सहकारी सिद्धांतों पर आधारित सर्वोत्तम कृषि अभ्यासों को अपनाना कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना सकता है। उदाहरण के लिये, इज़राइल अपनी प्रतिकूल जलवायु और सीमित संसाधनों के बावजूद कृषि-उपज के एक प्रमुख निर्यातक और कृषि प्रौद्योगिकियों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। सर्वाधिक उत्पादक तरीके से कृषि आउटपुट के सृजन के लिये सामाजिक समानता, सहकार्यता एवं पारस्परिक सहायता का पालन करके किसान अपनी दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इससे दीर्घावधि में लाभप्रदता और संवहनीयता की वृद्धि हो सकती है।
- **अनौपचारिक ऋण लेने से बचना:** औपचारिक ऋण तक आसान पहुँच बनाने के अलावा, किसानों को वित्तीय विवेक पर परामर्श देने की आवश्यकता है। औपचारिक ऋण सुविधाएँ किसानों को उनके खेतों में निवेश के लिये धन उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ा सकती हैं।
  - हाल के एक सर्वेक्षण से पुष्टि होती है कि वित्त के औपचारिक स्रोतों की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण भारत में अभी भी साहूकारों/व्यापारियों/ज़मींदारों का अस्तित्व बना हुआ है, जो किसानों को आर्थिक रूप से अस्थिर तथा अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर बनाए रखता है।
- **कृषि मूल्य शृंखलाओं का विकास:** कृषि मूल्य शृंखलाओं (Agri-Value Chains) के प्रमुख चालक हैं- ग्राहक फोकस, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
  - महाराष्ट्र स्थित एक बहु-राज्यीय किसान उत्पादक कंपनी 'VAPCOL' का उदाहरण लिया जा सकता है। सात राज्यों में विस्तृत 40,000 से अधिक आदिवासी किसानों को दायरे में लेने वाले 55 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इसके सदस्य हैं।

- **समूहों (Collectives) का लाभ उठाना:** SHGs, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों के अभिसरण से रियायती मूल्य पर इनपुट की थोक खरीद, परिवहन एवं भंडारण में आकारिक मितव्ययिता, निम्न-लागत संस्थागत वित्त तक पहुँच, कृषि मशीनीकरण (फसलों की निगरानी और उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों आदि के छिड़काव के लिये ड्रोन) आदि मामलों में किसानों की बेहतर सौदेबाजी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

## भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

भूमि (Land) किसी भी देश के लिये एक मूल्यवान परिसंपत्ति होती है और भारत जैसे देश के लिये तो यह और भी मूल्यवान है जहाँ 50% से अधिक कार्यशील आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। इस परिदृश्य में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के प्रवर्तन के माध्यम से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Record Modernization Programme- NLRMP) को नया रूप प्रदान किया।

### भूमि का महत्त्व

- **आजीविका का स्रोत:** भूमि मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों को पर्यावास और भरण-पोषण प्रदान करती है। भारत में 50% से अधिक कार्यशील आबादी कृषि कार्य से संलग्न है, जो प्राथमिक संसाधन के रूप में भूमि पर निर्भर करती है।
  - भूमि का उपयोग वानिकी, खनन और अन्य गतिविधियों के लिये भी किया जाता है जो आय एवं रोज़गार का सृजन करते हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** भूमि एक मूल्यवान परिसंपत्ति है जो निवेश को आकर्षित कर सकती है, औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सकती है और विकास को प्रेरित कर सकती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones- SEZs) भूमि-आधारित पहलों के उदाहरण हैं जिनका उद्देश्य निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिये अति-उदारीकृत परिक्षेत्रों (hyper-liberalized enclaves) का निर्माण करना है।
  - भूमि जब हस्तांतरित की जाती है तो कुछ शर्तों और छूटों के अधीन दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ भी उत्पन्न कर सकती है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** भूमि में खनिज, जल और वन जैसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी शामिल होते हैं। ये संसाधन मानव उद्योग और वाणिज्य के लिये अत्यंत उपयोगी हैं।
- **संस्कृति और पहचान:** भूमि लोगों के लिये पहचान और संबद्धता (belongingness) का भी एक स्रोत हो सकती है। यह एक विशेष संस्कृति या समुदाय से जुड़ी हो सकती है और यह धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभ्यासों में एक भूमिका निभा सकती है।

### भारत में भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **वाद-विवाद में कमी लाना:** भारत में न्यायालय में लंबित मामलों में भूमि संबंधी विवादों का एक बड़ा भाग है, जिनके निपटान में दीर्घ समय और लागत का निवेश होता है। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली सरकार द्वारा समर्थित स्पष्ट एवं सुरक्षित स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के माध्यम से ऐसे विवादों के दायरे एवं आवृत्ति को कम कर सकती है।
- **पारदर्शिता में सुधार:** भारत में भूमि अभिलेख प्रायः त्रुटिपूर्ण, पुराने और सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्तरों पर खंडित होने की स्थिति रखते हैं। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण और उन्हें स्थानिक डेटा एवं अन्य डेटाबेस (जैसे आधार, कर अभिलेख आदि) से जोड़ने के माध्यम से उनकी गुणवत्ता एवं अभिगम्यता में सुधार कर सकती है।
- **विकास को बढ़ावा:** भूमि एक मूल्यवान संपत्ति है जो निवेश को आकर्षित कर सकती है, औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सकती है और विकास को प्रेरित कर सकती है। एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली लेन-देन लागत, जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करके भूमि बाज़ारों एवं लेन-देन के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकती है। यह भूस्वामियों को संपार्श्विक के रूप में अपने भूमि स्वामित्व का उपयोग कर क्रेडिट, बीमा एवं बाज़ार पहुँच पाने में सक्षम बना सकती है।
- **समानता सुनिश्चित करना:** एक व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकती है जिसका उद्देश्य समाज के भूमिहीन और हाशिये पर स्थित वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना है। यह महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देने और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाने के रूप में सशक्त बना सकता है।

## राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसे वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा देश में भूमि अभिलेख प्रणाली को आधुनिक बनाने और स्वामित्व की गारंटी के साथ निर्णायक भूमि-स्वामित्व प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। NLRMP को वर्ष 2016 में केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में संशोधित किया गया और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के रूप में नया नामकरण किया गया।

## DILRMP की मुख्य बातें:

- भूखंडों के लिये एक विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) या भू-आधार (Bhu-Aadhaar) संख्या निर्दिष्ट की गई है। यह भू-निर्देशांक पर आधारित 14 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक यूनिक आईडी है, जो किसी भूखंड के स्वामित्व विवरण (आकार और भू-अवस्थिति सहित) को प्राप्त करने के लिये अखिल भारतीय संख्या के रूप में कार्य करेगी।
- विलेखों/दस्तावेजों (deeds/documents) के पंजीकरण के संबंध में विभिन्न राज्यों में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रणालियों को संबोधित करने के लिये राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (National Generic Document Registration System- NGDRS) नामक एक सार्वभौमिक प्रणाली विकसित की गई है।
- देश में भूमि शासन में विद्यमान भाषाई बाधाओं की समस्या को दूर करने के लिये संविधान में उल्लिखित सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में अधिकार-अभिलेख (Records of Rights) का लिप्यंतरण किया गया है ।
- DILRMP योजना जाति, आय एवं अधिवास प्रमाणपत्र प्रदान करने जैसी सेवाएँ प्रदान करने और फसल प्रोफ़ाइल, फसल बीमा एवं क्रेडिट सुविधाओं/बैंकों के लिये ई-लिंकेज के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रदान करने को भी सुगम बनाएगी।
- एक व्यापक भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली लंबे समय से लंबित मध्यस्थता मामलों एवं सीमा-संबंधी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करेगी, जिससे न्यायपालिका एवं प्रशासन पर बोझ कम होगा।

## DILRMP किस प्रकार लाभप्रद सिद्ध हो सकता है?

- **भूमि अभिलेखों की गुणवत्ता और अभिगम्यता में सुधार:**
  - DILRMP का उद्देश्य भूमि-स्वामित्व और लेन-देन (जैसे बिक्री विलेख, विरासत अभिलेख, बंधक एवं पट्टे के दस्तावेज, भू-कर मानचित्र आदि) के शाब्दिक एवं स्थानिक अभिलेख को डिजिटलीकृत करना और उन्हें अद्यतन करना है।
  - ये अभिलेख आम लोगों के लिये ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं और नियमित रूप से अपडेट किये जाते हैं। यह भूमि डेटा में व्याप्त त्रुटियों, विसंगतियों और अंतरालों को कम करने तथा उन्हें अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
- **मुकदमेबाजी और धोखाधड़ी को कम करना:**
  - DILRMP का उद्देश्य स्वामित्व की गारंटी के साथ निर्णायक भूमि-स्वामित्व प्रणाली को लागू करना है, जिसका अभिप्राय है कि भूमि अभिलेख भूमि के स्वामित्व का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करेंगे और सरकार द्वारा समर्थित होंगे।
  - स्वामित्व धारक (title holder) अन्य दावेदारों द्वारा किसी भी चुनौती या विवाद से सुरक्षित होंगे और स्वामित्व में किसी भी त्रुटि से उत्पन्न हानि के मामले में सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के हक़दार होंगे।
  - यह भूमि संबंधी विवादों और धोखाधड़ी के दायरे एवं आवृत्ति को कम करने में मदद करेगा, जो भारत में न्यायालय में लंबित मामलों के एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं।
- **विकास और वृद्धि को बढ़ावा:**
  - DILRMP का उद्देश्य लेन-देन की लागत, जोखिम और अनिश्चितताओं को कम करके भूमि बाज़ारों एवं लेन-देन के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
  - यह भूस्वामियों को संपार्श्विक के रूप में अपने भूमि स्वामित्व का उपयोग कर ऋण, बीमा और बाज़ार पहुँच पाने में सक्षम बनाता है।
  - यह निवेश को आकर्षित करने, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और कृषि, अवसंरचना, आवास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **समानता और अधिकारिता सुनिश्चित करना:**
  - DILRMP का उद्देश्य भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का समर्थन करना है, जो समाज के भूमिहीन और हाशिये पर स्थित वर्गों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करने पर लक्षित है।

नोट :

- यह महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों को उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देने और भूमि संबंधी सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाने के रूप में सशक्त बनाता है।
- इससे उनकी आजीविका, गरिमा और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलती है।

## भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण से संबद्ध चुनौतियाँ

- **राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का अभाव:**
  - भूमि राज्य सूची का विषय है और DILRMP का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा एवं सहयोग पर निर्भर करता है।
  - कुछ राज्य राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी या तकनीकी बाधाओं जैसे विभिन्न कारणों से DILRMP को अपनाने के प्रति अनिच्छुक या पर्याप्त सुस्त हैं।
  - भूमि कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय एवं मानकीकरण का भी अभाव है।
- **अपर्याप्त संसाधन और क्षमता:**
  - DILRMP को देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के वृहत कार्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों एवं क्षमता की आवश्यकता है।
  - लेकिन कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर धन, कर्मचारियों, उपकरणों और अवसंरचना की कमी है।
  - भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिये आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग के मामले में संबद्ध अधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।
- **हितधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी की कमी होना:**
  - DILRMP के सफल कार्यान्वयन हेतु भू-स्वामियों, खरीदारों, विक्रेताओं, किसानों, बिचौलियों जैसे विभिन्न हितधारकों (जो भूमि अभिलेख प्रणाली में रूपांतरण से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं) की सक्रिय संलग्नता एवं भागीदारी की आवश्यकता है।
  - लेकिन इन हितधारकों में DILRMP के लाभों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता का अभाव देखा जाता है।

## आगे की राह:

- **राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ावा देना:**
  - DILRMP से संबंधित चुनौतियों एवं समस्याओं को दूर करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
  - इस क्रम में विभिन्न राज्यों में प्रचलित भूमि संबंधित कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुसंगत एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इन्हें DILRMP की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और अनुभवों को परस्पर साझा करने की भी आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:**
  - DILRMP में होने वाली किसी भी तरह की हेरफेर या भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
  - भूमि सर्वेक्षण, डिजिटलीकरण, सत्यापन और स्वामित्व प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  - DILRMP से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या शिकायत के समाधान हेतु एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है।
- **पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ क्षमता विकास पर बल देना:**
  - DILRMP के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त धन, कार्मिक, उपकरण और अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग के संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में दक्षता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का भी लाभ उठाया जा सकता है।
- **हितधारकों के बीच जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना:**
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा DILRMP के लाभों एवं प्रक्रियाओं के बारे में संलग्न हितधारकों को बताना एवं इस संदर्भ में संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है।
  - स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करने के माध्यम से DILRMP के बारे में हितधारकों की आशंकाओं या भ्रामक धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
  - भूमि अभिलेख प्रबंधन की प्रक्रिया में हितधारकों की संलग्नता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है।

नोट :

## इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन

इस्पात (Steel) आधुनिक युग के प्रमुख स्तंभों में से एक है और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इंजीनियरिंग एवं निर्माण सामग्रियों में शामिल है। लेकिन इस्पात उद्योग कार्बन डाइऑक्साइड के तीन सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। परिणामस्वरूप, विश्व भर के इस्पात क्षेत्र के खिलाड़ी पर्यावरणीय एवं आर्थिक, दोनों दृष्टिकोणों से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये लगातार एक डीकार्बोनाइज़ेशन चुनौती का सामना कर रहे हैं।

भारत वर्तमान में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। विभिन्न विश्लेषण वर्ष 2050 तक इस्पात की खपत में कई गुना वृद्धि होने की संभावना दिखाते हैं। बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के लिये भारत में इस्पात के उत्पादन में अगले कुछ दशकों में व्यापक वृद्धि होगी।

निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाले भारत में देश के हरित भविष्य के लिये एक आवश्यक घटक के रूप में इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़ेशन की बड़ी भूमिका होगी।

### भारत के इस्पात क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य

- **उत्पादन परिदृश्य:**
  - इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख क्षेत्र है (वित्त वर्ष 21-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान)।
  - भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
    - राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (National Steel Policy 2017) ने 120 मिलियन टन (MT) के वर्तमान वार्षिक उत्पादन स्तर से 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारिवर्षत किया था।
  - अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2050 तक 435 मिलियन टन तक पहुँच सकता है।
- **उत्सर्जन परिदृश्य:** लौह एवं इस्पात उत्पादन से प्रत्यक्ष उत्सर्जन (खरीदी गई बिजली के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन को छोड़कर) वर्ष 2018 में लगभग 270 मिलियन टन $CO_2$ समतुल्य ($MTCO_2e$) था, जिसमें कुल राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 9% शामिल था।
  - इस्पात प्रत्यक्ष औद्योगिक $CO_2$ उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई भाग या भारत के कुल ऊर्जा अवसंरचना $CO_2$ उत्सर्जन के 10% और देश के कुल उत्सर्जन के लगभग 11% का योगदान देता है।

### इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़िंग का महत्त्व

- त्वरित संक्रमण में, अकेले कोकिंग कोयले पर कम खर्च से ही वर्ष 2050 तक लगभग 500 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत प्राप्त होगी।
- एक हरित इस्पात उद्योग भारत को एक वैश्विक हरित इस्पात निर्माण केंद्र बनने में सक्षम बना सकता है।
- इस्पात निर्माण के डीकार्बोनाइज़ेशन से कार, अवसंरचना और इमारतों जैसे संबद्ध उद्योगों का भी डीकार्बोनाइज़ेशन होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते नियामक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य से भी इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करना महत्त्वपूर्ण है; यूरोपीय संघ (EU) के आगामी 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) के कारण यूरोपीय संघ के लिये भारतीय इस्पात निर्यात, इस्पात क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने के किसी अतिरिक्त प्रयास के बिना ही, 58% तक गिर सकता है।

भारत के इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने में हरित हाइड्रोजन के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को चिह्नित करता है।
- इस्पात मंत्रालय हरित इस्पात/'ग्रीन स्टील' (जीवाश्म ईंधन का उपयोग किये बिना इस्पात विनिर्माण) को बढ़ावा देने के माध्यम से इस्पात उद्योग में $CO_2$ को कम करने की मंशा रखता है।
  - ऐसा कोयला-संचालित संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।
- स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 (Steel Scrap Recycling Policy 2019) इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिये घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- 'क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल' (Clean Energy Ministerial) के बैनर तले 'इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन इनिशिएटिव' (Industrial Deep Decarbonisation Initiative) का सह-नेतृत्व करने के लिये भारत भी यू.के. से जुड़ा है। इससे इस्पात सहित विभिन्न निम्न-कार्बन औद्योगिक सामग्री की वैश्विक मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- जनवरी 2010 में MNRE द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission- NSA) सौर

नोट :

ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

- हाल ही में सरकार ने कल्याणी ग्रुप के पहले ग्रीन स्टील ब्राण्ड 'कल्याणी फेरेस्टा' (Kalyani FeRRESTA) को लॉन्च किया।

## इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने की राह में चुनौतियाँ

- **पारंपरिक तरीकों को हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने की चुनौतियाँ:**
  - इस्पात उत्पादन के दो बुनियादी मार्ग हैं: ब्लास्ट फर्नेस (BF) मार्ग, जहाँ कोक प्राथमिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) मार्ग, जहाँ ईंधन के रूप में कोयला या प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होता है।
    - भारत वर्तमान में BF और कोयला-आधारित DRI मार्गों के माध्यम से अपने लगभग 90% कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है। जबकि हाइड्रोजन में DRI प्रक्रिया में प्रयुक्त कोयले या गैस को पूर्णत: प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, BF मार्ग में कोक को प्रतिस्थापित कर सकने में इसकी सीमित भूमिका ही देखी जाती है।
    - हाइड्रोजन आधारित इस्पात-निर्माण 1 डॉलर प्रति किग्रा से ऊपर हाइड्रोजन की कीमतों के लिये अप्रतिस्पर्द्धी बना हुआ है, विशेष रूप से उत्सर्जन के लिये कार्बन लागत के अभाव में।
- **नेट-ज़ीरो प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने में निहित चुनौतियाँ:**
  - लागत: वैश्विक अनुमान बताते हैं कि अपस्ट्रीम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के साथ DRI इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये निवेश 3.2 लाख रुपए प्रति टन तक पहुँच सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 300-400 रुपए प्रति किलोग्राम है जो 'ग्रे हाइड्रोजन' की कीमत (160-220 रुपए प्रति किलोग्राम) की तुलना में अधिक है।
    - इसी प्रकार, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) संयंत्र भी उच्च पूंजीगत लागत रखते हैं।
  - सहायक अवसंरचना: हाइड्रोजन के भंडारण, उत्पादन और परिवहन के लिये सहायक नेटवर्क अपर्याप्त है।
    - CCS के लिये, संभावित भूवैज्ञानिक भंडारण स्थलों की उपलब्धता और उनकी क्षमताओं के संबंध में डेटा की कमी है।
    - CCS प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में सीमित उपयोग के मामले भी एक चुनौती पेश करते हैं।

## इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

- **$CO_2$ मूल्य निर्धारण शुरू करना और हाइड्रोजन का तेज़ी से विकास करना:**
  - अगले कुछ वर्षों में $CO_2$ मूल्य निर्धारण का आरंभ एवं अंशांकन निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और हाइड्रोजन-आधारित इस्पात निर्माण के अंगीकरण में तेज़ी लाएगा।
    - यह इस्पात मूल्य श्रृंखला में अन्य हरित प्रौद्योगिकियों, जैसे कि हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली में निवेश को भी गति प्रदान करेगा।
  - 50 डॉलर प्रति टन उत्सर्जन का कार्बन मूल्य वर्ष 2030 तक ग्रीन स्टील को प्रतिस्पर्द्धात्मक बना सकता है (यहाँ तक कि 2 डॉलर प्रति किलोग्राम के हाइड्रोजन मूल्य पर भी) और कोयला-आधारित से हाइड्रोजन-आधारित इस्पात निर्माण की ओर संक्रमण को उत्प्रेरित कर सकता है।
- **सामग्री दक्षता के लिये नीतियाँ:**
  - सभी मौजूदा वाणिज्यिक इस्पात निर्माण तकनीकों में से स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप के मूल्य एवं उपलब्धता पर निर्भर करता है।
    - भारत स्क्रैप आयात पर निर्भर है, जो भविष्य में एक चुनौती बन जाएगा क्योंकि इस्पात निर्माण के लिये वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप की मांग बढ़ जाएगी।
  - घरेलू स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण को बढ़ाने के लिये स्क्रैप संग्रहण एवं पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी, ताकि निराकरण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जा सकें।
- **अंतिम-उपयोग (End-Use) में हरित इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करना:**
  - सरकार हरित इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। सार्वजनिक एवं निजी निर्माण और ऑटोमोटिव उपयोगों में सन्निहित कार्बन के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - यह घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिये एक घरेलू हरित इस्पात बाज़ार के निर्माण का समर्थन करेगा, जो आरंभ में उन निर्यात बाज़ारों का दोहन कर सकते हैं जहाँ हरित इस्पात प्रीमियम स्थिति रखता है।

नोट :

- CBAM जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम निजी क्षेत्र को हरित इस्पात की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।

- **'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' (CCUS) में निवेश:**
  - CCUS वर्तमान में उत्सर्जन को कम करने के लिये एक महँगा लेकिन महत्त्वपूर्ण साधन है।
  - इसे इस्पात उद्योग के लिये एक व्यवहार्य डीकार्बोनाइज़ेशन समाधान बनाने के लिये ओडिशा एवं झारखंड जैसे इस्पात उत्पादक केंद्रों में 'हब' के निर्माण के अलावा कैप्चर लागत को कम करने के लिये वृहत अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है।

## क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत

भारत अपने स्वयं के प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करने को लेकर गंभीर हो रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) रक्षा, ऊर्जा एवं पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य सेवा एवं नागरिक अनुप्रयोगों तक विभिन्न क्षेत्रों में एक 'गेम-चेंजर' सिद्ध हो सकता है। किसी भी प्रौद्योगिकी का पहले आविष्कार होता है, फिर वह भौतिक नवाचार पर आगे विकास करती है और क्वांटम प्रौद्योगिकी भी इसका अपवाद नहीं है।

भारत के लिये क्वांटम सामग्री और उपकरणों में निवेश जितना दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक लाभांश का वादा करता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक कुशल कार्यबल का एक संवर्ग उत्पन्न कर सकती है। चूँकि भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिये तैयार है, देश में सुदृढ़ रूप से जुड़े सामग्री अवसंरचना का होना महत्त्वपूर्ण होगा। यह न केवल क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिये बल्कि अन्य प्रमुख वैज्ञानिक मेगाप्रोजेक्ट्स (सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर न्यूट्रिनो ऑब्जरवेटरी और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन तक) के लिये उपयोगी होगी। ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में आत्मनिर्भरता के निर्माण में यह अवसंरचना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

### क्वांटम सामग्री

- क्वांटम सामग्री (Quantum materials) पदार्थ या प्रणालियों का एक वर्ग है जो हमें क्वांटम भौतिकी के कुछ अद्वितीय गुणों का दोहन करने और उन कार्यों को पूरा करने की अनुमति देती है जिसे शास्त्रीय प्रौद्योगिकी नहीं कर पाती।
- 'क्वांटम सामग्री' की अवधारणा को मूल रूप से अपरंपरागत सुपरकंडक्टर्स, हेवी-फर्मियन सिस्टम और मल्टीफंक्शनल ऑक्साइड सहित कुछ असाधारण क्वांटम प्रणालियों की पहचान करने के लिये पेश किया गया था।
- यह अब विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के विविध क्षेत्रों—जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कोल्ड एटम्स (जहाँ परमाणुओं को परम शून्य के आसपास ठंडा किया जाता है जिससे उनके क्वांटम यांत्रिक गुणों का अनावरण होता है), मटेरियल साइंस और क्वांटम कम्प्यूटिंग—में एक शक्तिशाली एकीकृत अवधारणा में परिणत हो गई है।

### क्वांटम सामग्री के अनुप्रयोग

- **ऊर्जा:** क्वांटम सामग्री का उपयोग नई प्रकार की बैटरी, सौर सेल और अन्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों के निर्माण में किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, कार्बन परमाणुओं से बनी एक द्वि-आयामी सामग्री 'ग्राफीन' (graphene) में उत्कृष्ट विद्युत चालकता पाई गई है, जो इसे बैटरी में उपयोग के लिये एक आशाजनक सामग्री बना सकती है।
  - ग्राफीन षट्कोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एकल-परमाणु-मोटी परत (one-atom-thick layer) है। ग्राफीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्रव्यमा रहित कणों के रूप में व्यवहार करते हैं, जो ग्राफीन को उच्च विद्युत चालकता एवं पारदर्शिता जैसे इसके अद्वितीय गुण प्रदान करता है।
- **जैव-चिकित्सा:** क्वांटम सामग्री का उपयोग नए प्रकार के चिकित्सा उपकरणों (जैसे सेंसर और इमेजिंग उपकरणों) के निर्माण के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, क्वांटम डॉट्स (quantum dots) को कोशिकाओं और ऊतकों के बायोइमेजिंग एवं बायोसेंसिंग के लिये फ्लोरोसेंट प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी:** क्वांटम सामग्री का उपयोग नए प्रकार के कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के निर्माण के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, क्वांटम कंप्यूटर—जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिये किया जा सकता है जिन्हें हल करना वर्तमान में पारंपरिक कंप्यूटरों के लिये असंभव है।
- **रक्षा:** क्वांटम सामग्री का उपयोग नए प्रकार के हथियार और रक्षा प्रणाली के निर्माण के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शत्रु मिसाइलों का पता लगाने और निगरानी के लिये क्वांटम सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटरों का इस्तेमाल सुरक्षा की वृद्धि के लिये किया जा सकता है।
- **कृषि:** क्वांटम सामग्री बायोसेंसिंग, बायोइमेजिंग एवं नैनो डिलीवरी जैसे क्वांटम प्रभावों का दोहन करके कृषि उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा को बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिये, फसलों और पशुओं में रोगजनकों एवं विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिये क्वांटम डॉट्स का उपयोग बायोसेंसर के रूप में किया जा सकता है।

## राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission- NQM)

- **परिचय:**
  - इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
  - वर्ष 2023-2031 के लिये नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक R&D का बीजारोपण करना, पोषण करना और इसके पैमाने को बढ़ाना है। यह क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का भी लक्ष्य रखता है।
  - इस मिशन के साथ भारत समर्पित क्वांटम मिशन कार्यान्वित करने वाला सातवाँ देश (अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्राँस, कनाडा और चीन के साथ) बन जाएगा।
- **मिशन की मुख्य बातें:**
  - यह अगले 5 वर्षों में 50-100 फिजिकल क्यूबिट्स के और 8 वर्षों में 50-1000 फिजिकल क्यूबिट्स के मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर लक्षित होगा।
    - जैसे बिट्स (1 और 0) वे बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर सूचनाओं को संसाधित करते हैं, उसी प्रकार 'क्यूबिट्स' या 'क्वांटम बिट्स' क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली इकाइयाँ हैं।
  - यह मिशन परिशुद्ध समय (परमाणु घड़ियों), संचार और नेविगेशन के लिये उच्च संवेदनशीलता युक्त मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा।
  - यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिये सुपरकंडक्टर्स, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं एवं टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम सामग्रियों के डिज़ाइन एवं संश्लेषण का भी समर्थन करेगा।
  - मिशन निम्नलिखित के विकास में भी मदद करेगा, जैसे-
    - भारत के भीतर 2000 किमी की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार।
    - अन्य देशों के साथ लंबी दूरी का सुरक्षित क्वांटम संचार
    - 2000 किमी से अधिक में अंतर-शहर क्वांटम कुंजी वितरण (Inter-city quantum key distribution)
    - क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी-नोड क्वांटम नेटवर्क
- **महत्त्व:**
  - यह क्वांटम प्रौद्योगिकी से प्रेरित आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा और स्वास्थ्य सेवा एवं निदान, रक्षा, ऊर्जा और डेटा सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन (QTA) के विकास के मामले में भारत को अग्रणी देशों में शामिल कर देगा।
  - यह स्वदेशी रूप से क्वांटम-आधारित कंप्यूटर निर्माण की दिशा में कार्य करेगा जो कहीं अधिक कुशल होते हैं और अत्यंत सुरक्षित तरीके से जटिलतम समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं।

## क्वांटम सामग्री से संबद्ध चुनौतियाँ

- **जैव संचयन (Bioaccumulation):** क्वांटम सामग्री अपनी संभावित विषाक्तता और जैव संचयन के कारण स्वास्थ्य संबंधी एवं पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिये, कैडमियम या सीसे (लेड) जैसी भारी धातुओं से बने क्वांटम डॉट्स जीवित कोशिकाओं और जीवों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सूजन और डीएनए की क्षति का कारण बन सकते हैं।
- **जटिल और महँगी:** क्वांटम सामग्री अपनी जटिल संरचना एवं संघटन के कारण संश्लेषण, शुद्धिकरण और निरूपण में जटिल एवं महँगी सिद्ध हो सकती है। उन्हें उच्च तापमान एवं उच्च दाब प्रतिक्रियाओं, विविध शुद्धिकरण चरणों और परिष्कृत विश्लेषणात्मक तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- **सुरक्षा:** क्रिप्टोग्राफी, निगरानी (surveillance) और युद्ध में संभावित अनुप्रयोगों के कारण क्वांटम सामग्री सुरक्षा एवं नैतिकता संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिये, क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्शन स्कीम्स को ब्रेक करने में सक्षम हो सकते हैं, क्वांटम सेंसर गुप्त विमान (stealth aircraft) का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं और क्वांटम हथियार सामूहिक विनाश का कारण बन सकते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** मानव अनुभूति, संचार और संस्कृति पर अपने प्रभाव के कारण क्वांटम सामग्री सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिये, क्वांटम-संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देने में सक्षम हो सकती है।
- **क्वांटम विसंगतता (Quantum Decoherence):** यह क्वांटम मैकेनिक्स पर निर्भर क्वांटम कंप्यूटिंग एवं अन्य अनुप्रयोगों के लिये यह एक बड़ी चुनौती सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिये, क्वांटम डॉट्स ऑक्सीडेशन, एग्रीगेशन या फोटोब्लीचिंग के कारण अपना प्रतिदीप्ति (Fluorescence) खो सकते हैं या अपना रंग बदल सकते हैं।
  - क्वांटम विसंगतता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाओं के कारण क्वांटम सूचना खो जाती है।

## आगे की राह

- **निवेश बढ़ाना:** क्वांटम प्रौद्योगिकी को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिये अनुसंधान एवं विकास, आधारभूत संरचना और मानव संसाधनों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।
    - भारत ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया है।
    - हालाँकि, क्वांटम स्टार्ट-अप्स, सेवा प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थानों के विकास का समर्थन करने के लिये और अधिक सार्वजनिक एवं निजी वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- **नियामक ढाँचा आवश्यक:** क्वांटम प्रौद्योगिकी नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियाँ भी पेश करती हैं, जिनके व्यापक हो जाने से पहले ही इन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, क्वांटम सेंसिंग गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और क्वांटम हथियार सामूहिक विनाश का कारण बन सकते हैं।
    - इस प्रकार, नवाचार और सुरक्षा को संतुलित करने वाली क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिये एक नियामक ढाँचा विकसित करना विवेकपूर्ण होगा।
- **क्वांटम शिक्षा को बढ़ावा देना:** क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिये कुशल एवं प्रशिक्षित पेशेवरों की भी आवश्यकता होती है जो इसके सिद्धांतों एवं विधियों को समझ सकें और इन्हें अनुप्रयुक्त कर सकें। इसलिये, विभिन्न विषयों में छात्रों और शोधकर्त्ताओं के बीच क्वांटम शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
    - स्कूलों-कॉलेजों में क्वांटम पाठ्यक्रम शुरू करने, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के आयोजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं संसाधनों का निर्माण करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
- **विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग:** क्वांटम प्रौद्योगिकी की बेहतर समझ के लिये सरकारी एजेंसियों, उद्योग के अभिकर्त्ताओं और संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच सहकार्यता एवं सहयोग का स्थापित होना आवश्यक है।
    - यह क्वांटम प्रौद्योगिकी के विभिन्न डोमेन एवं अनुप्रयोगों में ज्ञान साझेदारी, नवाचार और मानकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
    - यह भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी पर वैश्विक पहलों और नेटवर्क में भाग लेने में भी सक्षम बना सकता है।

# परंपरा का संरक्षण: जल्लीकट्टू पर ऐतिहासिक फैसला

दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएँ रखता है जिसके दर्शन उसके पर्व-त्योहारों और विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में होते रहते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है जल्लीकट्टू (Jallikattu) जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से लुभाता रहा है। साँडों (bull) को वश में करने का यह प्राचीन खेल, जिसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष तक प्राचीन है, तमिलनाडु के लोगों के लिये गर्व और विरासत का प्रतीक रहा है।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण (Prevention of Cruelty to Animals- PCA) अधिनियम, 1960 में किये गए संशोधनों उचित करार दिया; इस प्रकार, जल्लीकट्टू, कंबाला (kambala) और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों को अनुमति प्रदान की।

जल्लीकट्टू क्या है ?

- जल्लीकट्टू, जिसे एरुथालुवुथल/एरुथाझुवुथल (eruthazhuvuthal) के नाम से भी जाना जाता है, साँडों को वश में करने का खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिये साँड को वश में करने का प्रयास करते हैं और यदि वे असफल होते हैं फिर साँड का मालिक पुरस्कार जीत जाता है।
- जल्लीकट्टू जल्ली (Calli: coins) और कट्टू (tie) दो शब्दों से मिलकर बना है, जो साँड के सींगों पर सिक्कों के बंडल को जोड़ने की प्रथा को इंगित करता है।
- इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल (एक फसल त्यौहार) के दौरान आयोजित किया जाता है और यह प्रकृति का उत्सव मनाने तथा अच्छी फसल के लिये धन्यवाद ज्ञापित करने का भी प्रतीक है जहाँ पशु-पूजा भी अनुष्ठान का एक अंग है।
- इसे तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल ज़िलों में आयोजित किया जाता है, जिसे 'जल्लीकट्टू बेल्ट' के रूप में जाना जाता है।
- जल्लीकट्टू का ऐतिहासिक महत्त्व
- जल्लीकट्टू सदियों से चली आ रही एक सुदीर्घ परंपरा रही है जिसकी उत्पत्ति का सूत्र मोहनजोदड़ो में पाई गई एक प्राचीन मुहर से भी जुड़ता है, जो लगभग 2,500 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है।
- जल्लीकट्टू का संदर्भ संगम युग के प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 'शिलप्पादिकारम' (Silappadikaram) में भी पाया जाता है।

## निर्णय में क्या कहा गया है?

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि जल्लीकट्टू पर वर्ष 2017 का संशोधन अधिनियम एवं नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 (पशु क्रूरता का निवारण) और अनुच्छेद 51 A(g) (प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना) के अनुरूप हैं।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधन अधिनियम ने इसमें भागीदारी करने वाले पशुओं की पीड़ा और उनके प्रति क्रूरता में उल्लेखनीय कमी की है।
    - न्यायालय ने कहा कि 'सांस्कृतिक परंपरा' के नाम पर वैधानिक कानून का कोई भी उल्लंघन (इस मामले में वर्ष 2017 का कानून) दंडात्मक कानून के दायरे में होगा।
- याचिकाकर्ताओं ने यहाँ तक तर्क दिया था कि पशुओं को भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय ने माना कि राज्य का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करता है।
- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिका द्वारा आयोजित 'विधायी अभ्यास' में पाया गया कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पिछली कुछ शताब्दियों से आयोजित किया जा रहा है तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत का अंग है और इसलिये वह विधायिका के दृष्टिकोण को बाधित नहीं करना चाहता है।
- **घटनाक्रम की समयरेखा:**
    - भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि जल्लीकट्टू पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप पशुओं के प्रति दयापूर्ण व्यवहार का अनुपालन नहीं करता है।
    - वर्ष 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तुरंत बाद ही, राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिबंध को अप्रभावी करने के लिये तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम 2009 (Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act of 2009) पेश किया गया था।
    - वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने उन पशुओं की सूची में साँडों/बैलों को भी शामिल करने का कदम उठाया, जिनके प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, जिससे जल्लीकट्टू पर रोक लग गई।
    - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जल्लीकट्टू साँडों के प्रति क्रूरता के समान है और देश में साँडों को वश में करने तथा बैलगाड़ी दौड़ जैसे सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया।
    - वर्ष 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2011 की अपनी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर शीर्ष न्यायालय ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
    - तमिलनाडु राज्य सरकार ने पशु क्रूरता निवारण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण (जल्लीकट्टू का आयोजन) नियम 2017 पारित किया, जिससे एक बार फिर इस खेल के आयोजन के द्वार खुल गए।
    - फरवरी 2018 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) और PETA ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित वर्ष 2017 के कानूनों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

## संघर्ष के क्या कारण थे?

- **परिचय:**
    - 2000 के दशक की शुरुआत से ही जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिये पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा संघर्ष किया जा रहा है।
    - वर्तमान मामले/केस में वादी के रूप में पशु कल्याण बोर्ड, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA), कम्पैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन (CUPA), फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन (FIAPO) और एनिमल इक्वेलिटी (Animal Equality) जबकि प्रतिवादी के रूप में भारत संघ और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं।
        - वादियों ने वर्ष 2017 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएँ दायर की हैं।
- **जल्लीकट्टू के पक्ष में तर्क :**
    - तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी जल्लीकट्टू प्रथा एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिये।
    - उनके अनुसार, समाज के विकास के साथ-साथ इस अभ्यास को विनियमित और संशोधित किया जा सकता है। इसके सांस्कृतिक महत्त्व को उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिये संरक्षित रहे।
    - यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के तहत संरक्षित है।
    - जल्लीकट्टू को "पशुओं की इस मूल्यवान स्वदेशी नस्ल के संरक्षण के लिये एक साधन" बताते हुए सरकार ने तर्क दिया है कि यह पारंपरिक आयोजन दया भाव एवं मानवता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।

- जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध को तमिलनाडु की संस्कृति और समुदाय के प्रति शत्रुता के रूप में देखा जाएगा।

- **विपक्ष में तर्क:**
  - जल्लीकट्टू के विरोधियों का तर्क है कि पशु जीवन मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक जीवित प्राणी में अंतर्निहित स्वतंत्रता होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिये।
  - उनका दावा है कि जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध को निष्प्रभावी करने के लिये तमिलनाडु का कानून लाया गया था और इस प्रथा के परिणामस्वरूप मनुष्यों तथा साँडों दोनों के लिये मृत्यु एवं आघात की घटनाएँ सामने आई हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि भागीदार प्रतियोगियों द्वारा जिस तरह साँडों पर झपटा जाता है, वह 'पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता' को प्रकट करता है।
  - उनका तर्क है कि संस्कृति के अंग के रूप में जल्लीकट्टू का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने इसकी तुलना सती एवं दहेज जैसी प्रथाओं से की है, जिन्हें कभी संस्कृति के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में कानून के माध्यम से उन्हें प्रतिबंधित किया गया।

### निष्कर्ष:

- जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे साँडों को वश में करने वाले खेलों की अनुमति देने का सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निर्णय जारी बहस में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- जहाँ न्यायालय का निर्णय जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्त्व को मान्यता देता है, वहीं यह पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और वैधानिक कानून को बनाए रखने के महत्त्व पर भी बल देता है।
- सांस्कृतिक प्रथा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना ही इस मामले में उपयुक्त दृष्टिकोण होगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी निहित है।

## इलेक्ट्रिक वाहन: लाभ और चुनौतियाँ

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs) का युग सही मायने में आ चुका है। शून्य उत्सर्जन के साथ EVs न केवल वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष उपचार हैं, बल्कि ये तेल आयात को कम करने में भी मदद करेंगे।

हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने EV तकनीक में भारी निवेश किया है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये इलेक्ट्रिक मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती उपलब्धता और विविधता इस धारणा को पुष्ट करती है कि सही मायने में Evs का युग आ गया है।

EVs के अंगीकरण को गति देने में बैटरी प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में प्रगति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक कुशल और सस्ती बैटरियों के विकास ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज (driving range : प्रति चार्जिंग तय की जा सकने वाली दूरी) को बढ़ा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये 'रेंज' संबंधी चिंता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और घरेलू चार्जिंग समाधानों सहित चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार ने चालकों के लिये EVs की सुविधा एवं अभिगम्यता में सुधार किया है।

इसके अलावा, दुनिया भर की सरकारों और नीतिनिर्माताओं ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने तथा उत्सर्जन को कम करने के साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये एक प्रबल प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

### इलेक्ट्रिक वाहन ( EVs ) महत्त्वपूर्ण क्यों हैं ?

- **पर्यावरणीय लाभ:** EVs में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने और जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला कर सकने की क्षमता है।
  - जीवाश्म ईंधन इंजन से चालित वाहनों के विपरीत EVs शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
  - EVs कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) और ऐसे अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं जो वायु प्रदूषण, स्मॉग एवं 'ग्लोबल वार्मिंग' में योगदान करते हैं।
  - इलेक्ट्रिक वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) जैसे हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं।
    - इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वच्छ हवा श्वसन एवं हृदय रोगों के जोखिम को कम करती है।
- **ऊर्जा विविधता और सुरक्षा:** EVs तेल आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा विविधता लाने में योगदान करते हैं।
  - चूँकि बिजली ग्रिड को ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (a mix of energy sources) से संचालित किया जा सकता है, जिसमें सौर एवं पवन जैसे नवीनीकरणीय स्रोत शामिल हैं, EVs स्वच्छ एवं अधिक संवहनीय ऊर्जा विकल्पों की ओर परिवहन क्षेत्र के संक्रमण का अवसर प्रदान करते हैं।
    - यह तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबद्ध भेद्यता को कम करता है और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।

- **तकनीकी प्रगति और रोज़गार सृजन:** EVs के विकास और अंगीकरण से बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन (electric drivetrains) और चार्जिंग अवसंरचना में तकनीकी प्रगति को प्रेरणा प्राप्त हुई है।
  - इन प्रगतियों से न केवल मोटर वाहन क्षेत्र को लाभ हो रहा है बल्कि इनसे व्यापक अनुप्रयोग भी संबद्ध हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिये ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता (grid stability)।
  - इलेक्ट्रिक गतिशीलता बैटरी विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और चार्जिंग अवसंरचना क्षेत्र में रोज़गार एवं नवाचार का सृजन करती है।
- **दीर्घावधिक लागत बचत:** इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि बिजली आमतौर पर गैसोलीन या डीजल से सस्ती होती है।
  - इसके अलावा, EVs में चलायमान अंगों (moving parts) की संख्या कम होती है और इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ सर्विसिंग एवं मरम्मत का खर्च कम रहता है।
- **शहरों की भीड़भाड़ को कम करना:** इलेक्ट्रिक वाहन साझा गतिशीलता (shared mobility) और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन को बढ़ावा देकर शहरों में भीड़भाड़ कम करने में मदद कर सकते हैं।
  - साझा गतिशीलता का तात्पर्य है वाहनों के उपयोग को व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सेवा के रूप में उपयोग करना। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या और पार्किंग की आवश्यकता को कम किया जा सकता है।
  - कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे और हल्के वाहनों के उपयोग को संदर्भित करता है जो शहरी स्थानों में अधिक आसानी से संगत हो सकते हैं। यह भीड़भाड़ और उत्सर्जन को भी कम कर सकता है।
  - कम अंतरा-शहर दूरी, दैनिक यात्रा और ऐसे अन्य परिवहन के लिये अभिनव एवं भविष्योन्मुखी स्मार्ट EVs को बड़ी बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ है कि बैटरी रिचार्ज के लिये कम समय लगेगा और कम लागत आएगी।

## EVs के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **उच्च आरंभिक लागत:** पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत अपेक्षाकृत अधिक है। उच्च आरंभिक लागत कई संभावित खरीदारों के लिये इसे कम वहनीय बनाती है और EVs की मांग को सीमित करती है।
  - यह लागत अंतर मुख्य रूप से EVs में उपयोग की जाने वाली महँगी बैटरी प्रौद्योगिकी के कारण है।
- **सीमित चार्जिंग अवसंरचना:** भारत में चार्जिंग अवसंरचना अभी भी विकास के आरंभिक चरण में है और प्रमुख शहरों में ही केंद्रित है।
  - एक सुदृढ़ एवं व्यापक चार्जिंग नेटवर्क की कमी EVs मालिकों के लिये असुविधा उत्पन्न करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनके पास समर्पित पार्किंग सुविधा नहीं है।
- **'रेंज एंग्जाइटी':** रेंज एंग्जाइटी (Range Anxiety) का तात्पर्य है ड्राइविंग के दौरान बैटरी खत्म होने का भय या चिंता। सीमित ड्राइविंग रेंज EVs अंगीकरण की राह में एक प्रमुख चुनौती है।
  - यद्यपि EVs रेंज में सुधार हो रहा है, फिर भी यह धारणा व्याप्त है कि EVs लंबी दूरी की यात्रा के लिये पर्याप्त रेंज की पेशकश नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से भारत जैसे विशाल दूरी वाले देश में।
  - EVs की बैटरी समय के साथ खराब हो जाती है, जिससे रेंज में कमी आ सकती है।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला:** लिथियम-आयन बैटरी, जो EVs का एक प्रमुख घटक है, के उत्पादन के लिये विशिष्ट खनिजों एवं दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है।
  - भारत वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति शृंखला संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - EVs का चार्जिंग समय पारंपरिक वाहनों में ईंधन भरने के समय से अधिक है, जो उनकी सुविधा और उपयोगिता को प्रभावित करता है।
- **सीमित मॉडल विकल्प:** वर्तमान में भारत में पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की उपलब्धता अपेक्षाकृत सीमित है। विविध उपभोक्ता प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाज़ार को वहनीय EVs सहित विभिन्न खंडों में अधिक विकल्पों की आवश्यकता है।

## EVs अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सरकारी पहलें

- फेम योजना द्वितीय (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles- FAME scheme II), जो EVs निर्माताओं और खरीदारों के लिये

प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों में सब्सिडी, कर छूट, अधिमान्य वित्तपोषण (preferential financing) और सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क से छूट शामिल हैं।

- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (National Electric Mobility Mission Plan- NEMMP), जो राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके वर्ष 2020 से वर्ष-दर-वर्ष हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage), जो EVs के अंगीकरण के लिये एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और भारत में गिगा-स्केल बैटरी निर्माण संयंत्रों की स्थापना को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उसके घटकों के विनिर्माण के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- 'वाहन स्क्रैपिंग नीति' (Vehicle Scrappage Policy), जो पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- 'गो इलेक्ट्रिक अभियान' (Go Electric campaign) का उद्देश्य EVs और EVs चार्जिंग अवसंरचना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- भारत विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 नए वाहनों की बिक्री में कम से कम 30% के इलेक्ट्रिक वाहन होने को सुनिश्चित करना है।
- विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना पर अपने संशोधित दिशानिर्देशों (MoP Guidelines) में निर्धारित किया है कि 3 किमी के ग्रिड में और राजमार्गों के दोनों किनारों पर प्रत्येक 25 किमी पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिये।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भी मॉडल भवन उपनियम, 2016 (Model Building Bye-laws- MBBL) में संशोधन किया है जहाँ आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों में EVs चार्जिंग सुविधाओं के लिये पार्किंग स्पेस के 20% को अलग रखने को अनिवार्य बनाया गया है।

## भारत में EVs अंगीकरण के लिये आगे की राह

- उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिये सब्सिडी, कर प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण योजनाएँ प्रदान कर EVs अपनाने की आरंभिक लागत को कम करना।
- मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers- OEMs), स्टार्ट-अप और अन्य हितधारकों के बीच नवाचार, प्रतिस्पर्द्धा एवं सहयोग को प्रोत्साहित कर EVs के विकल्प को बढ़ाना।
- प्रोत्साहन और सहायक नीतियों के माध्यम से EVs एवं संबंधित घटकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।
- EVs के लाभों और प्रदत्त प्रोत्साहनों के बारे में अभियान, पोर्टल और प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के माध्यम से जनता में जागरूकता का प्रसार करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में निवेश के माध्यम से बिजली वितरण एवं आपूर्ति में सुधार लाना।
- फास्ट-चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग तकनीकों एवं मानकों को विकसित करके EVs के चार्जिंग समय को कम करना।
- पर्याप्त गुणवत्ता और अभिगम्यता के साथ देश भर में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित कर EVs चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना।
- EVs के रखरखाव और सर्विसिंग के लिये तकनीशियनों, मैकेनिक एवं डीलरों को प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान कर EVs के लिये सेवा केंद्र एवं मरम्मत विकल्पों की वृद्धि करना।
- सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों सहित सरकारी संस्थानों को अपने बेड़े में EVs अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना। यह EVs के लिये बड़ी मांग पैदा करेगा, बाज़ार को प्रोत्साहित करेगा और इलेक्ट्रिक गतिशीलता की व्यवहार्यता प्रदर्शित करेगा।
- एक घरेलू बैटरी विनिर्माण पारितंत्र विकसित करना और आयात पर निर्भरता कम करना भी महत्त्वपूर्ण है।
    - हाल ही में राजस्थान में लीथियम की खोज इस दिशा में अत्यंत आशाजनक प्रगति है।

## निष्कर्ष

भारत ने UNFCC COP26 में वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य (net zero) प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में EVs की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। जबकि EVs स्वयं शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का समग्र पर्यावरणीय प्रभाव उन्हें चार्ज करने के लिये उपयोग की जाने वाली बिजली के स्रोत पर निर्भर करेगा। यदि बिजली सौर या पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त होगी तो इससे संबद्ध पर्यावरणीय लाभ भी अधिकतम होगा।

नोट :

# आर्थिक दुर्व्यवहार: घरेलू दुर्व्यवहार का एक उपेक्षित पहलू

घरेलू हिंसा (Domestic Violence) के बारे में आम समझ यह है कि यह स्त्रियों के विरुद्ध शारीरिक एवं यौन प्रकृति की हिंसा है जो प्राय: उनके अंतरंग साथी द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा के एक अन्य रूप आर्थिक हिंसा (Economic Violence) के बारे में अधिक बात नहीं की जाती है, जबकि यह हिंसा या उत्पीड़न का एक अधिक कपटपूर्ण तरीका है जो अपने कार्यकरण की शैली में प्राय: प्रत्यक्ष नज़र नहीं आता।

आर्थिक उत्पीड़न (Economic Abuse) भी शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और भावनात्मक उत्पीड़न से गहनता से संबद्ध है। आर्थिक उत्पीड़न के सबसे आम रूप हैं- महिलाओं पर रुपए-पैसे के मामले में भरोसा नहीं करना, उन्हें बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं देना और उन्हें घर खर्च के लिये पर्याप्त धन नहीं सौंपना।

आर्थिक उत्पीड़न पर समाज का अधिक ध्यान नहीं पड़ना आश्चर्यजनक नहीं है, जहाँ मुख्यधारा समाज में महिलाओं, बच्चों और क्वीयर (queer) व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा की सबसे आम धारणाएँ शारीरिक या यौन संदर्भ में प्रचलित हैं। जबकि भारतीय कानून में घरेलू हिंसा के विरुद्ध विशेष कानून 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' (PWDV Act) के अंतर्गत 'आर्थिक उत्पीड़न' (economic abuse) को चिह्नित किया गया है, आर्थिक संदर्भ में हिंसा या उत्पीड़न सार्वजनिक चेतना का अंग उस तरह नहीं बन सका है जैसे अंतरंग साथी द्वारा यौन एवं शारीरिक प्रकृति की हिंसा को देखा जाता है।

## आर्थिक उत्पीड़न क्या है?

- **परिचय:**
  - PWDV अधिनियम के तहत, आर्थिक उत्पीड़न को ऐसे सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिये पीड़ित महिला किसी भी कानून के तहत हक़दार है।
  - कानून के तहत, पीड़ित महिला जिन संसाधनों या सुविधाओं का उपयोग करने की हक़दार है, उन तक उनकी निरंतर पहुँच पर रोक या प्रतिबंध को भी आर्थिक उत्पीड़न माना गया है।
  - इसके अलावा, गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, चल या अचल परिसंपत्ति, ऐसे कीमती सामान या अन्य संपत्ति जिसमें पीड़ित महिला का हित शामिल है आदि का कोई संक्रामण (alienation) भी आर्थिक उत्पीड़न के तहत शामिल किया गया है।
  - विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में, आर्थिक उत्पीड़न दहेज और स्त्रीधन के दोहन जैसे संबंधित विषयों को भी दायरे में लेता है।
    - स्त्रीधन वह है जो एक महिला अपने जीवनकाल में प्राप्त करती है। स्त्रियों को स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
  - इसके अलावा, न्यायालयों ने माना है कि महिला को आर्थिक या वित्तीय संसाधनों या स्त्रीधन से वंचित करना PWDV अधिनियम के तहत परिभाषित घरेलू हिंसा के समान है।
  - अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पीड़ित महिला के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है और प्रत्यर्थी को ऐसी आस्तियों के अन्य संक्रामण, बैंक लॉकरों एवं बैंक खातों के प्रचालन (वह एकल स्वामित्व में हो या संयुक्त स्वामित्व में) आदि से प्रतिषिद्ध किया जा सकता है।
    - इसमें पीड़ित महिला का स्त्रीधन या दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या एकल रूप से धारित कोई अन्य संपत्ति भी शामिल है।
- **प्रभाव:** आर्थिक हिंसा महिलाओं को वास्तविक रूप से स्वतंत्र होने से रोकती है, अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को बाधित करती है और प्राय: अपमानजनक स्थितियों से बाहर निकल सकने या उत्पीड़नकर्त्ता (abuser) से अलग हो सकने की उनकी अक्षमता में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता है।
  - मुंबई में अनौपचारिक बस्तियों में किये गए एक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण में 23% कभी भी विवाहित रही महिलाओं ने आर्थिक उत्पीड़न के कम से कम एक रूप से पीड़ित होने की सूचना दी। आर्थिक उत्पीड़न मध्यम-गंभीर अवसाद (depression), दुश्चिंता (anxiety) और आत्मघाती विचार (suicidal ideation) की संभावना से भी स्वतंत्र रूप से संबद्ध पाया गया।
- **भारत में आर्थिक उत्पीड़न का परिदृश्य:**
  - वर्ष 2022 में एक प्रमुख भारतीय बीमा कंपनी टाटा एआईए (Tata AIA) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 59 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ अपने वित्तीय निर्णय स्वयं नहीं लेती हैं, जो भारतीय महिलाओं की वित्तीय निर्भरता की सीमा को दर्शाता है।
  - NFHS 5 में पाया गया कि 32% विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28%) है; इसके बाद भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा का स्थान है।

- अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (All-India Democratic Women's Association) द्वारा वर्ष 2017 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि 72% महिलाओं ने अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में आर्थिक उत्पीड़न का अनुभव किया था।

## आर्थिक उत्पीड़न के कुछ आम उदाहरण

- नौकरी प्राप्त करने या नौकरी में बने रहने, शिक्षा प्राप्त करने या संपत्ति अर्जित करने से अवरुद्ध किया जाना।
- धन, बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड तक पहुँच या वित्तीय स्वायत्तता को नियंत्रित करना।
- उनके वेतन और अन्य आर्थिक संसाधनों का दोहन करना, जैसे कि उनकी सहमति के बिना उनका धन खर्च करना, ऋण सृजन या उनका सामान ले लेना।
- संपत्ति, उत्तराधिकार या दहेज के पीड़िता के अधिकार से उसे वंचित करना।
- भोजन, वस्त्र, आवास, दवा या व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों जैसी आवश्यकताओं से उन्हें वंचित रखना।

## आर्थिक उत्पीड़न के उच्च प्रसार में योगदान करने वाले कारक

- **पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण:** आर्थिक उत्पीड़न प्राय: पितृसत्तात्मक मानदंडों में निहित होता है जो पुरुषों को घर और समाज में महिलाओं पर अधिक वरीयता देता है। महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार और संपत्ति के अधिकारों तक पहुँचने में भेदभाव एवं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें अपने पुरुष साथियों पर अधिक निर्भर बनाता है।
- **महिलाओं के लिये आर्थिक अवसरों का अभाव:** भारत में महिलाओं को प्राय: शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है। यह उन्हें आर्थिक रूप से अपने पति पर अधिक निर्भर बनाता है, जो फिर उन्हें आर्थिक उत्पीड़न के लिये अधिक भेद्य/संवेदनशील बना सकता है।
- **जागरूकता की कमी:** आर्थिक उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ इसे घरेलू हिंसा के रूप में चिह्नित कर सकने में अक्षम हो सकती हैं या सहायता प्राप्त कर सकने के अपने अधिकारों एवं विकल्पों के बारे में अनभिज्ञ हो सकती हैं।
- **सामाजिक कलंक:** आर्थिक उत्पीड़न को सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वासों द्वारा सामान्यीकृत किया जा सकता है या उचित ठहराया जा सकता है, जो पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व सौंपते हैं। यह पीड़िताओं को मदद मांगने या उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकता है।

## आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा उपाय

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (PWDVA) 2005, जो आर्थिक हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित करता है और पीड़ित महिलाओं के लिये मौद्रिक राहत, मुआवजा एवं संरक्षण आदेश का उपबंध करता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो न्यायालयों को उन पत्नियों, बच्चों और माता-पिताओं के भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार सौंपती है, जिनकी उनके पति, पिता या पुत्रों द्वारा उपेक्षा की जाती है।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005 में संशोधित), जो संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्रियों एवं पुत्रों को समान अधिकार प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था है जिसे महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्द्धन का कार्य सौंपा गया है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoW&CD) ने गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस कार्यकर्त्ताओं (MPVs) को संलग्न करने की परिकल्पना की है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं तथा संकट का सामना कर रही महिलाओं की मदद करती हैं।
- MoW&CD ने 'सखी' डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह वन स्टॉप सेंटर्स (OSCs) और महिला हेल्प लाइन्स (WHLs) के कार्यकारियों के लिये एक ऑनलाइन मंच है, जो उनके पास आने वाले हिंसा प्रभावित महिलाओं के मामलों के साथ-साथ उनके स्थापन के बारे में विभिन्न महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के संग्रहण एवं उन्हें देख सकने की सुविधा प्रदान करता है।
- दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन के लिये 181 नंबर आवंटित किया है।
- रेल मंत्रालय ने एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (Integrated Emergency Response Management System) शुरू की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा हेल्पलाइन, चिकित्सा सुविधाओं, RPF एवं पुलिस, CCTV कैमरों की स्थापना आदि के साथ रेलवे के सुरक्षा नियंत्रण कक्षों को सुदृढ़ करने के माध्यम से सभी रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करना है।
- गृह मंत्रालय ने CrPC की धारा 357A के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (CVCF) स्थापित की है। यह उन पीड़िताओं (बलात्कार और एसिड अटैक की शिकार पीड़िताओं सहित) या उनके आश्रितों को मुआवजे के लिये धन उपलब्ध कराने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करेगी, जिन्हें अपराधों के परिणामस्वरूप हानि हुई है या आघात लगा है।

नोट :

### आर्थिक उत्पीड़न को कम करने के लिये और क्या किया जा सकता है?

- **जागरूकता बढ़ाना:** आर्थिक घरेलू उत्पीड़न के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम और मीडिया पहल समझ को बढ़ावा देने, चेतावनी के संकेतों को पहचानने और इस तरह के उत्पीड़न की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिये उपलब्ध सुरक्षा उपायों के विकल्पों को बढ़ावा देने और इन्हें महिलाओं के बीच मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
- **कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** हालाँकि सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये PWDV अधिनियम लागू किया है, लेकिन यह कमोबेश एक शक्तिहीन अधिनियम ही बना हुआ है। सरकार को अधिनियम में कड़े दंड प्रावधानों को शामिल करना चाहिये ताकि यह उत्पीड़न करने वालों के लिये एक निवारक के रूप में कार्य कर सके।
- **सहायता सेवाएँ प्रदान करना:** आर्थिक घरेलू उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को विशेष सहायता सेवाओं तक पहुँच की आवश्यकता होती है। इसमें परामर्श, कानूनी सहायता, वित्तीय सलाह और सुरक्षित आवास या रोज़गार खोजने में सहायता करना शामिल हो सकती है।
- इस समस्या से संघर्ष के लिये नारी फाउंडेशन, शक्ति वाहिनी फाउंडेशन जैसे गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिये जो इस क्षेत्र में असाधारण कार्य कर रहे हैं।
- **पीड़िताओं को सशक्त बनाना:** पीड़िताओं के आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिये उन्हें सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक अवसर और रोज़गार प्रदाता कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करने से इन पीड़िताओं को अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकने और नियमित रोज़गार सुरक्षित कर सकने के लिये आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- महिलाओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) इस मुद्दे को हल करने का एक प्रमुख भाग रहा है। इस तरह की अन्य योजनाएँ स्वागत योग्य होंगी।
- **वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग:** यद्यपि महिलाओं को कम लागत वाले ऋण प्रदान करने की योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन वितरित ऋणों की संख्या बहुत कम है। आर्थिक उत्पीड़न को रोकने में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक उत्पीड़न के संकेतों को पहचानने के लिये कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करना और ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता संसाधन प्रदान करना— ये सभी आर्थिक घरेलू उत्पीड़न को कम करने में योगदान कर सकते हैं।
- **अनुसंधान और डेटा संग्रह:** आर्थिक उत्पीड़न के प्रसार, कारणों एवं परिणामों को समझने के लिये अनुसंधान और डेटा संग्रह में निवेश करना आवश्यक है। यह सूचना नीतियों, हस्तक्षेपों और संसाधन आवंटन को सूचना-संपन्न बनाने में मदद कर सकती है।
- **लैंगिक समानता और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन को बढ़ावा देना:** अंतर्निहित लैंगिक असमानताओं को दूर करना और हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना आर्थिक घरेलू उत्पीड़न को कम करने के लिये अत्यंत मूलभूत है। शिक्षा, जागरूकता अभियान और सामुदायिक संलग्नता के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना दीर्घकालिक रोकथाम प्रयासों में योगदान कर सकता है।

## दशकीय जनगणना में विलंब

भारत के महापंजीयक (Registrar General of India- RGI) के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की अगली जनगणना (जब भी आयोजित हो) अधिक कुशल और गतिशील (smarter and more dynamic) हो। इस तरह के उद्देश्य सराहनीय हैं, लेकिन वर्ष 2021 की दशकीय जनगणना में हुआ अभूतपूर्व विलंब एक चिंता का विषय है।

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण डेटा को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से समयबद्ध रूप से जोड़ना उन कुछ स्वागतयोग्य परिवर्तनों में शामिल है जिन पर विचार किया गया है। यह न केवल हमें जनसंख्या की स्थिति का बेहतर अनुमान देगा, बल्कि यह मौजूदा डेटाबेस, जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम के लाभार्थियों की सूची, मतदाता सूची आदि को अधिक सटीक भी बनाएगा।
- जनगणना किसी निश्चित क्षेत्र में लोगों की गिनती की प्रक्रिया है, लेकिन भारत में यह केवल लोगों की संख्या के बारे में जानकारी देने तक सीमित नहीं है। जनगणना में शामिल व्यापक सूचना जनसंख्या में विद्यमान गतिशीलता को समझने का उद्देश्य रखती है। ग्रामीण एवं शहरी आबादी की हिस्सेदारी, कृषि व गैर-कृषि एवं मुख्य व सीमांत कार्य में उनकी व्यावसायिक स्थिति, प्रवासन एवं इसकी दीर्घता, मातृभाषा एवं अन्य भाषाएँ, घरेलू रहन-सहन एवं संपत्ति की गुणवत्ता आदि कुछ ऐसे ही आँकड़े हैं।

## जनगणना क्या है?

- जनगणना (Census) किसी विशिष्ट आबादी के बारे में जनसांख्यिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक डेटा के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रकाशन की प्रक्रिया है।
- जनगणना किसी जनसंख्या और उसकी विशेषताओं की एक विस्तृत छवि प्रदान करती है, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोज़गार, आय, आवास और अन्य कई बातें शामिल हैं।
- दशकीय जनगणना (decennial census) का आयोजन जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय (Office of the Registrar General and Census Commissioner) द्वारा किया जाता है।
- जनगणना दो चरणों में की जाती है:
    - प्रथम चरण आवास गणना का है, जहाँ आवासों की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्ति के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है।
    - द्वितीय चरण में जनसंख्या, शिक्षा, धर्म, आर्थिक गतिविधि, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, भाषा, साक्षरता, प्रवासन और प्रजनन क्षमता संबंधी आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं।

## भारत में जनगणना का इतिहास

- भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में कराई गई थी।
- भारत की पहली उचित या समकालिक जनगणना, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही दिन या वर्ष में शुरू होती है, वर्ष 1881 में औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा कराई गई थी और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है।
- भारत की पिछली जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी और अगली जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी जिसे कोविड-19 महामारी और अन्य कारणों से स्थगित कर दिया गया।

## सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना

- भारत में सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना (Socio Economic Caste Census- SECC) वर्ष 1931 के बाद पहली बार कराई गई ।
- SECC ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रत्येक परिवार दायरे में लेते हुए निम्नलिखित विषयों में सूचनाओं के संग्रह का उद्देश्य रखता है:
    - आर्थिक स्थिति (Economic status), ताकि केंद्र और राज्य के प्राधिकार को वंचना, क्रमपरिवर्तन और संयोजन के संकेतकों की एक श्रृंखला विकसित करने का अवसर मिल सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकार द्वारा गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सके।
    - विशिष्ट जातियों की पहचान (Specific caste name) ताकि सरकार पुनर्मूल्यांकन कर सके कि कौन-से जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे बदहाल हैं और कौन-से बेहतर स्थिति में हैं।
- SECC में व्यापक स्तर पर असमानताओं की मैपिंग करने का अवसर देने की क्षमता है।

## जनगणना और SECC में क्या अंतर है?

- जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC राज्य सहायता के लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है।
- चूँकि जनगणना वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के दायरे में आती है, इसलिये सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC वेबसाइट के अनुसार, "SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और/या उन्हें प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग के लिये उपलब्ध है।"

## जनगणना की प्रासंगिकता

- **जनसंख्या के आकार और जनसांख्यिकी का निर्धारण:** जनगणना का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की सटीक गणना प्रदान करना है। यह सरकारों को उनकी जनसंख्या के आकार, वितरण और संरचना को समझने में मदद देता है। प्रभावी शासन, नीतिनिर्माण और संसाधन आवंटन के लिये यह जानकारी आवश्यक होती है।
- **योजना-निर्माण और विकास:** जनगणना के आँकड़े सरकारों को जनसंख्या के रुझान एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर शहरी नियोजन, अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह उन क्षेत्रों की पहचान करता है जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे उच्च गरीबी दर वाले या स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुँच रखने वाले क्षेत्र।
- **निर्वाचक प्रतिनिधित्व:** जनगणना के आँकड़े राजनीतिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण और विधायी निकायों में सीटों के आवंटन को प्रभावित करते हैं। यह समय के साथ जनसंख्या में बदलाव एवं और परिवर्तनों को सटीक रूप से दर्शाकर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- **संसाधन आवंटन और वित्तपोषण:** जनगणना के आँकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण, परिवहन और अवसंरचना के लिये सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी धन एवं संसाधन आवंटित करने में मदद करता है। सटीक आँकड़ा कुछ क्षेत्रों के लिये कम वित्तपोषण या उनकी उपेक्षा को रोकता है।

- जनगणना के आँकड़ों से उपलब्ध जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर वित्त आयोग (FC) राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।

- **आर्थिक योजना और व्यावसायिक निर्णय:** जनगणना के आँकड़े व्यवसायों को उपभोक्ता प्रवृत्तियों की पहचान करने, जनसांख्यिकी को लक्षित करने, बाज़ार की मांग का आकलन करने और विकास एवं निवेश के अवसरों की पहचान करने में मदद करते हैं।
- **सामाजिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण:** जनगणना के आँकड़े शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को रुझानों का अध्ययन करने, सामाजिक परिवर्तनों को समझने और नीतियों का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और सूचना-संपन्न सार्वजनिक विमर्श में योगदान देता है।

## जनगणना में विलंब के निहितार्थ

- **सही लाभार्थियों को लक्षित करना:**
  - जनगणना के पुराने आँकड़े (जो 2011 की पिछली जनगणना से प्राप्त होते हैं) प्राय: अविश्वसनीय सिद्ध होते हैं और उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो गरीब एवं कमज़ोर तबके को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करता है, लाभार्थियों की पहचान के लिये जनगणना के आँकड़े का ही उपयोग करता है।
    - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी जिसमें PDS लाभार्थी लगभग 80 करोड़ थे। हालाँकि, विश्व बैंक ने भारत की जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान लगाया है और इसलिये PDS कवरेज बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो जाना चाहिये था।
  - इसके अलावा, वित्त आयोग राज्यों को वित्त प्रदान करते समय जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करता है। सटीक आँकड़ों के अभाव में राज्यों को धन का आवंटन विसंगत होगा।
- **अनुसंधान और विश्लेषण के लिये चुनौतियाँ:**
  - शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को पुरानी सूचना या वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर भरोसा करना पड़ सकता है, जो समान स्तर की सटीकता या बारीकी से वंचित कर सकते हैं।
  - जनगणना के आँकड़े देश में आयोजित अन्य नमूना सर्वेक्षणों के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संदर्भ के रूप में जनगणना के आँकड़े का ही उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिये, पिछले वर्ष जारी नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया था।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव:**
  - जनगणना के आँकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने और संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के लिये भी किया जाता है। जनगणना में विलंब का अर्थ है कि अभी वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े का इस्तेमाल ही जारी रहेगा। यह पिछले दशक में जनसंख्या की संरचना में हुए तीव्र परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं होगा।
  - जनगणना के आँकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिये किया जाता है। जनगणना में विलंब के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिये बहुत अधिक या बहुत कम सीटें आरक्षित करने का परिदृश्य बन सकता है।
- **प्रवासन संबंधी आँकड़े से समझौता:** प्रवासन एवं प्रवास प्रतिरूप और इसके आर्थिक प्रभाव को समझने के लिये जनगणना के आँकड़े महत्त्वपूर्ण हैं। जनगणना में विलंब का अर्थ है कि नीति निर्माण और योजना निर्माण बनाने के लिये आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं है।
  - कोविड महामारी ने प्रवासन संबंधी आँकड़े की आवश्यकता को उजागर किया है। लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में सरकार अपने घरों से दूर शहरों में फँसे प्रवासी श्रमिकों को लक्षित कर सकने में असमर्थ रही।
- **अवसरों से चूकना और विलंबित निर्णयन:** उभरती प्रवृत्तियों की पहचान करने, आवश्यकताओं का आकलन करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिये समयबद्ध जनगणना आँकड़े आवश्यक हैं। जनगणना में देरी के परिणामस्वरूप लक्षित हस्तक्षेपों, आर्थिक नियोजन और व्यावसायिक निर्णयों के अवसर चूक सकते हैं।

## वर्ष 2021 की जनगणना पिछली जनगणना से कैसे अलग होगी?

- जनगणना के आँकड़े पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्र किये जाएँगे (जो गणक या गणना करने वाले के फोन पर इनस्टॉल होंगे) और ऑफ़लाइन मोड में कार्य करने का भी उपबंध होगा।

- वर्ष 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का भी आँकड़ा होगा जो वर्ष 1931 की जनगणना के बाद पहली बार आयोजित होगा।
- वर्ष 2021 की जनगणना 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 भाषाओं एवं अंग्रेज़ी आयोजित होगी, जबकि जनगणना 2011 उस समय घोषित 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 में कराई गई थी।
- वर्ष 2021 की जनगणना में एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जहाँ हाउस-लिस्टिंग शेड्यूल में 31 प्रश्न शामिल होंगे जिसमें इंटरनेट, लैपटॉप/कंप्यूटर और LPG या PNG कनेक्शन तक पहुँच पर नए प्रश्न शामिल किये गए हैं।
- पहली बार उन परिवारों और परिवार के सदस्यों के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी जिनका मुखिया ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंध रखता है।

### निष्कर्ष

जनगणना में देरी के व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें जनसंख्या के आँकड़े में त्रुटियाँ, योजना निर्माण एवं विकास में बाधा, संसाधन आवंटन में चुनौतियाँ, चुनावी प्रतिनिधित्व पर प्रभाव, अनुसंधान एवं विश्लेषण की सीमाएँ और निर्णयन में अवसर से चूकना शामिल हैं। यह प्रभावी शासन और विकास के लिये सटीक एवं अद्यतन सूचना सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध तरीके से जनगणना करने के महत्त्व को उजागर करता है।

## भारत और संकटग्रस्त पाकिस्तान

हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हिंसक भीड़ द्वारा (जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थक शामिल थे) खैबर पख्तूनख्वा (KPK), पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य प्रमुख शहरों में सैन्य एवं अर्द्ध-सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति (पाकिस्तान विभाजन), सैन्य तख्तापलट की घटनाओं या यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो सदृश लोकप्रिय नेताओं की हत्या के बाद भी सेना को कभी निशाना नहीं बनाया गया था।

अफगानिस्तान में व्याप्त अस्थिरता ने आगे आग में और घी डालने का काम किया है, जबकि पाकिस्तान में व्याप्त अस्थिरता अफगानिस्तान को आगे और अस्थिर बना सकती है। पाकिस्तान में बढ़ती अस्थिरता जल्द ही व्यापक रूप से फैल सकती है और क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

### पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति

- **राजनीतिक उतार-चढ़ाव:**
  - पाकिस्तान अप्रैल 2022 से ही राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपने पद से बेदखल कर दिया था। उन्होंने इस परिणाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जल्द चुनाव कराने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन एवं रैलियों की एक श्रृंखला छेड़ दी। वह आतंकवाद, भ्रष्टाचार और न्यायालय की अवमानना सहित कई अन्य कानूनी आरोपों का भी सामना कर रहे हैं।
    - मौजूदा पाकिस्तान सरकार ने उन पर देश को अस्थिर करने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है।
    - उन्होंने इमरान खान पर जनता के बीच सेना विरोधी भावना भड़काने के रूप में अवसरवादी और विनाशकारी रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है।
  - पाकिस्तान के राजनीतिक विमर्श में यह उथल-पुथल 'पाकिस्तान स्प्रिंग' ('अरब स्प्रिंग' की तरह) को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान और उन देशों की स्थितियों के बीच कई समानताएँ नज़र आती हैं जहाँ 'अरब स्प्रिंग' आंदोलन का प्रसार हुआ था। समानता के इन घटकों में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक शिकायतें, भ्रष्टाचार, युवा उभार, नागरिक समाज की सक्रियता और मीडिया की स्वतंत्रता शामिल हैं।
- **तालिबान का उदय:**
  - अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही पाकिस्तानी सेना की घेराबंदी की जा रही है और तालिबान समर्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) बलूचिस्तान एवं पंजाब में अपनी सक्रियता का विस्तार कर रहा है।
  - अधिक दुस्साहसी हुए TTP और बलूच समूहों ने पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के ऊपर कई हमले किये हैं।
  - पाकिस्तानी सेना व्यावहारिक रूप से दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रही है (आंतरिक मोर्चे पर TTP के साथ और बाह्य मोर्चे पर तालिबान के साथ), जबकि ईरानी सीमा पर भी उसकी कड़ी नज़र बनी हुई है।
  - पाकिस्तानी सेना—जिसे एक मज़बूत एवं सक्षम बल के रूप में देखा जाता था और जो छद्म युद्धों (proxy wars) का एक चतुर खेल खेल सकती थी, तालिबान द्वारा उसकी कमज़ोरियों को उजागर कर दिया गया है।
  - तालिबान अब पाकिस्तान के लिये एक बड़ा खतरा है और सेना इसे रोक सकने के लिये संघर्ष कर रही है। इससे सेना का आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ा है और दुर्जेयता की उसकी आभा फीकी पड़ गई है।

- **सेना की घेरेबंदी:**
  - इमरान खान को अपदस्थ किये जाने के बाद सड़कों पर उतरे लोगों की लामबंदी ने सेना को कमज़ोर कर दिया है। सेना वर्तमान में राजनीतिक रूप से अत्यंत कमज़ोर है जो TTP जैसे अराजक अभिकर्ताओं को और मज़बूत बनने का अवसर प्रदान कर सकती है।
  - सेना का घटता हुआ कद तब बेहद प्रकट हो गया जब प्रदर्शनकारी थोड़े प्रोत्साहन पर जनरल हेडक्वार्टर तक पहुँच गए। हिंसक भीड़ ने लाहौर में कॉर्प कमांडर के घर, पाकिस्तान सैन्य अकादमी, वायु सेना के अड्डे और शहरों में सेना के गश्ती दल को निशाना बनाया।
- **आर्थिक संकट:**
  - पाकिस्तान में महँगाई दर वर्तमान में 30% से अधिक है जो पिछले कई वर्षों में सर्वाधिक है। इससे आम लोगों के लिये खाद्य एवं ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का वहन कर सकना कठिन हो रहा है। पाकिस्तानी रुपया पिछले एक वर्ष में अमेरिकी डॉलर की तुलना में अपने मूल्य का 30% से अधिक खो चुका है।
  - हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में नज़र आया कि कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोगों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में LNG का भंडारण किया जा रहा है क्योंकि रसोई गैस सिलेंडरों की कमी के कारण डीलरों द्वारा आपूर्ति कम की जा रही है। इस बेहद खतरनाक 'बैग गैस' की 'चलते-फिरते बम' (Moving bombs) के रूप में चर्चा की गई है।

  - पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और आवश्यक सुधारों को लागू करने की असमर्थता के कारण सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 'बेलआउट' हासिल करने में अभी तक विफल रही है।
  - देश को विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो गिरकर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया है (9 वर्ष में निम्नतम स्तर)। इसका अर्थ यह है कि देश के पास आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है।
  - हाल की जलवायु संबंधी आपदाओं ने पाकिस्तान के संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और अधिक कमज़ोर हो गई है।
- **चीन के विरुद्ध असंतोष:**
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के लिये महत्त्वपूर्ण दो प्रांत (KPK और बलूचिस्तान ) सुरक्षा बलों के लिये जंग का मैदान बन गए हैं। सीपेक को सेना के दृढ़ समर्थन ने इसे चीनी निवेश के विरुद्ध बढ़ते सार्वजनिक असंतोष के केंद्र में ला दिया है।
  - यह भावना इतनी स्पष्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री को ज़ोर देकर कहना पड़ा कि कुछ शक्तियों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई है कि चीन ने पाकिस्तान में 'ऋण जाल' (debt trap) का सृजन किया है।

## भारत के लिये निहित खतरे

- **सीमा-पार तनाव में वृद्धि:** पाकिस्तान के राजनीतिक संकट से सीमा-पार तनाव में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर। पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने या सरकार या सेना के पीछे जनता का समर्थन जुटाने के लिये आतंकवादी समूहों का समर्थन करने या संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने के रूप में भारत को उकसाने का सहारा ले सकता है।
- **शरणार्थी संकट:** पाकिस्तान में आर्थिक संकट से शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है, जहाँ लाखों लोग पाकिस्तान से पलायन कर सकते हैं। इससे भारत के संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और इससे अपराध एवं सामाजिक अशांति में भी वृद्धि हो सकती है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा:** पाकिस्तान में मौजूदा संकट क्षेत्रीय अस्थिरता को जन्म दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थन के लिये अपने पड़ोसी देशों पर अधिक निर्भर हो गया है। इससे पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों (भारत सहित) के बीच तनाव बढ़ सकता है।
- **परमाणु प्रसार:** पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता जो उसके परमाणु शस्त्रागार पर उसके नियंत्रण को

कमज़ोरर करती हो, संभावित रूप से उन हथियारों की सुरक्षा के बारे में चिंता उत्पन्न कर सकती है। इससे तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

## भारत के लिये अवसर

- **आतंकवाद-विरोधी सहयोग:**
  - पाकिस्तान की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति भारत को सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संलग्नता का अवसर प्रदान कर सकती है।
  - पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के समर्थन को उजागर कर भारत आतंकवाद का मुक़ाबला करने और राज्य-प्रायोजित आतंकवादी नेटवर्क को अलग-थलग करने में वैश्विक सहयोग के लिये अपने दावे को मज़बूत कर सकता है।
- **क्षेत्रीय शक्ति प्रक्षेपण:**
  - पाकिस्तान के समक्ष विद्यमान आंतरिक संघर्ष के विपरीत भारत स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्रीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है।
  - क्षेत्रीय गठबंधन एवं भागीदारी का सुदृढ़ीकरण (विशेष रूप से दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व के देशों के साथ) एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत कर सकता है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना:**
  - भारत पाकिस्तान की मौजूदा चुनौतियों के बीच ईरान में चाबहार बंदरगाह या अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों को बढ़ावा देकर लाभ उठा सकता है।
  - ये परियोजनाएँ मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उससे आगे भारत की पहुँच को मज़बूत कर सकती हैं और व्यापार विविधीकरण को सक्षम करने तथा भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में योगदान कर सकती हैं।
- **अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग:**
  - भारत इस भूभाग में स्वयं को एक स्थिर और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर सकता है।
  - पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिये भारत अपनी आर्थिक वृद्धि एवं स्थिरता का लाभ उठा सकता है।
  - इससे व्यापार साझेदारी और सहयोग में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मज़बूत हो सकती है।

## आगे की राह

- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से वार्ता के प्रश्न पर भारत के दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए इस आशय का वक्तव्य दिया कि ''आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद पर चर्चा करने के लिये आतंकवाद के कर्ता के साथ नहीं बैठ सकते।'' लेकिन भारत पाकिस्तान को औपचारिक वार्ता का एक अवसर दे सकता है यदि वह आतंकवाद को रोकने और कश्मीर मुद्दे को हल करने पर सहमत हो। अपने मौजूदा हालात में पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता की सख्त ज़रूरत रखता है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने तथा आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन को उसके कथित समर्थन को उजागर करने के लिये अपने कूटनीतिक लाभ का उपयोग कर सकता है।
- पाकिस्तान में वर्तमान संकट से यह प्रकट हुआ कि वह स्वयं का प्रभावी ढंग से शासन कर सकने में असमर्थ है। भारत अपने लाभ के लिये इस स्थिति का उपयोग कर सकता है जहाँ आतंकवाद और परमाणु प्रसार जैसे मुद्दों पर अपना आचरण बदलने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है।
- पाकिस्तान के वर्तमान संकट के बीच भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये और उग्रवाद, सीमा-पार आक्रामकता या पाकिस्तान की ओर उकसावे पर नियंत्रण के लिये अपनी सैन्य तैयारियों को सशक्त करना चाहिये।
- क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव का मुक़ाबला करने के लिये भारत ईरान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की ओर भी आगे बढ़ सकता है।

## निष्कर्ष:

भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का समर्थन करने वाले पाकिस्तानी व्यवस्था से कोई संवाद करना प्रियकर स्थिति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को चरमपंथी इस्लामवादियों के प्रभाव में आने का अवसर देना और भी गंभीर परिदृश्य का निर्माण करेगा। भारत को पाकिस्तान में स्थिरता लाने हेतु प्रयास करने चाहिये, क्योंकि सीमा पर तनाव और उग्रवाद जैसे इसके परिणाम भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे।

# कोयले के उपयोग की चरणबद्ध समाप्ति

भारत ने अपनी राष्ट्रीय विद्युत नीति (National Electricity Policy- NEP) के अंतिम मसौदे से एक प्रमुख खंड (clause) को हटाकर कोयला-संचालित नए विद्युत संयंत्रों का निर्माण नहीं करने (उन संयंत्रों को छोड़कर जो पहले से निर्माणरत हैं) की योजना बनाई है, जो जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबले के प्रयासों में एक बड़ा प्रोत्साहन है।

सरकार को संभवत: यह लगता है कि संचालन के 25 वर्ष पूरे कर लेने के बाद भी पुराने संयंत्रों को बनाए रखना एक अच्छा विचार होगा। 25 वर्ष से अधिक पुरानी उत्पादन इकाइयों को बनाए रखना बुरा विचार नहीं है क्योंकि सुसंचालित संयंत्रों की 'स्टेशन हीट रेट' दीर्घ कार्यकरण के साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होती है। पुराने संयंत्रों को चालू रखने का लाभ यह है कि पारेषण लिंक पहले से ही मौजूद हैं और इनका कोयला लिंकेज बना हुआ है।

## इस कदम का क्या महत्त्व है?

- यह जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबला करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - भारत की प्रस्तावित कोयला विद्युत क्षमता चीन के बाद सबसे अधिक है। सभी सक्रिय कोयला परियोजनाओं के 80% भारत और चीन में संचालित हैं।
- यह दृष्टिकोण कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर आगे बढ़ने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा दक्षता के विकास को प्रोत्साहित करता है।
  - सरकार वर्ष 2030 तक 500 GW स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन तटस्थता (net zero carbon neutrality) प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है।
  - नए कोयला विद्युत संयंत्रों को निर्माण शुरू करने की अनुमति देने से न केवल मिश्रित संकेत प्राप्त होंगे और बाज़ार अपने महत्त्वाकांक्षी RE लक्ष्यों से विचलित होगा, बल्कि यह नवीकरणीय उद्योग के विकास को भी बाधित करेगा।
- कोयला दहन से होने वाले प्रदूषण को कम करके वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है।
- यह कोयले के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान करेगा।
- **विद्युत उत्पादन की लागत कम करना-**
  - अभी 33 ऐसे 'ज़ोंबी' कोयला संयंत्र प्रस्ताव मौजूद हैं जो या तो अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा उन्हें अनुमति मिल गई है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
  - ये ऊर्जा संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा (RE) विकल्पों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक महँगे होंगे।

## भारत का कितना विद्युत उत्पादन कोयले पर निर्भर है?

- भारत विद्युत उत्पादन के लिये कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 60% कोयले से उत्पादित होता है और यह देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है।
  - गैर-जीवाश्म स्रोत लगभग 40% की हिस्सेदारी रखते हैं।
- वर्ष 2022-23 में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 8.87% की वृद्धि देखी गई।
- वर्ष 2023-24 के लिये विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1750 बिलियन यूनिट तय किया गया था, जिसमें से 75% से अधिक तापीय स्रोतों (मुख्य रूप से कोयले) से अपेक्षित है।

## भारत को कोयले पर निर्भरता क्यों कम करनी चाहिये?

- **प्रदूषण में कमी लाना:**
  - कोयला एक अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन है जो वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय योगदान करता है।
    - कोयला दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणिका पदार्थ (Particulate Matter- PM) का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन, धूम्र-कोहरा (smog), अम्ल वर्षा और श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याओं तथा यहाँ तक कि समय-पूर्व मृत्यु में योगदान करते हैं।
  - कोयला वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। पेरिस समझौते के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता रखता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की ओर आगे बढ़ना:** भारत के पास प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं, जिनमें सौर, पवन, जल और बायोमास शामिल हैं। कोयले के उपयोग से हटकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर भारत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिये अपनी विशाल क्षमता का दोहन कर सकता है।
- **जल की कमी को दूर करना:** कोयला-संचालित विद्युत संयंत्रों के शीतलन और अन्य प्रक्रियाओं के लिये बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कोयला खनन और विद्युत उत्पादन के लिये जल की निकासी एवं उपभोग से जल की कमी और पारिस्थितिक गिरावट की स्थिति बन सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पहले से ही जल की कमी का सामना कर रहे हैं।

- **आयात कम करना:** भारत को कोयले के आयात पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। कोयले पर निर्भरता कम करने से विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी बचत होगी।
- **रोज़गार सृजन:** कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर आगे बढ़ना नए आर्थिक अवसरों का सृजन कर सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोज़गार सृजन, नवाचार और तकनीकी प्रगति की नवीन संभावनाएँ प्रदान करता है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन:** भारत द्वारा कोयले से आगे बढ़ना जलवायु परिवर्तन से निपटने और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। कोयले पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बना सकता है, वैश्विक सतत लक्ष्यों में योगदान कर सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश को आकर्षित कर सकता है।

## भारत विद्युत उत्पादन के लिये कोयले पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकता है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना:** भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो विद्युत मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी को कम करने में मदद करेगा। सौर, पवन, पनविद्युत एवं बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत की बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था के लिये स्वच्छ, सस्ती एवं विश्वसनीय विद्युत प्रदान कर सकते हैं।
- **ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना:** भारत अपने ऊर्जा संयंत्रों, उद्योगों, भवनों, उपकरणों एवं वाहनों की दक्षता में सुधार करके ऊर्जा की बचत कर सकता है और उत्सर्जन को कम कर सकता है। ऊर्जा दक्षता उपाय विद्युत बिल को कम करने, रोज़गार सृजित करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में भी योगदान कर सकते हैं।
- **पुराने और अकुशल कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना:** भारत अपने पुराने और अक्षम कोयला-संचालित विद्युत संयंत्रों को बंद कर सकता है, जिनका संचालन एवं रखरखाव महँगा पड़ता है और उन्हें स्वच्छ एवं सस्ते विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- **ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना:** भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर और अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस, परमाणु एवं पनविद्युत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कोयले पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। ये स्रोत ग्रिड को लचीलापन एवं स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के परिवर्तनीय उत्पादन को पूरकता प्रदान कर सकते हैं।
- **ग्रिड अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** भारत अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सक्षम करने और हानि एवं आउटेज को कम करने के लिये अपने ग्रिड अवसंरचना एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार ला सकता है। भारत ग्रिड की विश्वसनीयता एवं प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिये स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और मांग प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकियों (demand response technologies) में निवेश भी कर सकता है।

## नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने से संबद्ध चुनौतियाँ

- विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) की बदहाल वित्तीय स्थिति, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व राज्य सरकारों के पास है, एक प्रमुख चुनौती है। DISCOMs नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य खरीदार हैं, लेकिन वे प्राय: उत्पादकों को भुगतान में देरी करते हैं अथवा कम मांग या उच्च लागत के कारण अपनी विद्युत में कटौती करते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक क्षमता को प्रभावित करता है।
- विद्युत व्यवस्था में सौर एवं पवन जैसे चर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिये पर्याप्त ग्रिड अवसंरचना और भंडारण क्षमता की कमी एक अन्य प्रमुख चुनौती है। आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये ट्रांसमिशन लाइनों, सबस्टेशनों, स्मार्ट मीटर, मांग प्रतिक्रिया और बैटरी भंडारण में निवेश की आवश्यकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पूंजी जुटाने हेतु, विशेष रूप से घरेलू स्रोतों से, वित्तीय मध्यस्थों और साधनों की कमी है। भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये विदेशी वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भर है, जो इसे मुद्रा जोखिमों और नीतिगत अनिश्चितताओं के लिये भेद्य/संवेदनशील बनाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध अवसरों और लाभों के बारे में निवेशकों में, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों, परिवारों एवं ग्रामीण समुदायों के बीच, जागरूकता एवं समझ की कमी पाई जाती है।

## आगे की राह

- परिचालन दक्षता में सुधार लाने, हानियों को करने, राजस्व संग्रह को बढ़ाने और उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के रूप में DISCOMs की स्थिति में सुधार लाया जाना चाहिये।
  - इसमें प्रदर्शन-आधारित अनुबंध, कॉस्ट-रेफ्लेक्टिव टैरिफ, स्मार्ट मीटरिंग और प्रीपेड बिलिंग जैसे उपाय भी शामिल हो सकते हैं।

- नए विद्युत नियम विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने की मंशा रखते हैं और यदि इन्हें उपयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाए तो स्थिति व्यापक सीमा तक ठीक हो सकती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के अंगीकरण एवं स्वीकरण को बढ़ावा देने के लिये सूचना प्रसार, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और उपभोक्ता संलग्नता में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में निवेश करके ग्रिड अवसंरचना एवं भंडारण क्षमता को सुदृढ़ करना, ग्रिड के लचीलेपन एवं प्रत्यास्थता को बढ़ाना और बैटरी भंडारण एवं पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रणालियों (pumped hydro storage systems) को तैनात करना उपयोगी सिद्ध होगा।
  - इसमें ग्रिड कोड, सहायक सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (renewable energy zones) और ग्रीन कॉरिडोर जैसे उपाय भी शामिल हो सकते हैं।
- निम्न लागत एवं दीर्घकालिक वित्तपोषण, जोखिम न्यूनीकरण और ऋण वृद्धि प्रदान कर सकने वाले वित्तीय मध्यस्थों एवं साधनों को विकसित करके नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये घरेलू पूंजी जुटाना आवश्यक होगा।
  - इसमें ग्रीन बॉण्ड, ग्रीन बैंक, ग्रीन फंड और ग्रीन इंश्योरेंस जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

## मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित मुद्दे एवं निहितार्थ

हाल के एक घटनाक्रम में महाराष्ट्र के एक शहर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 12 वर्षीय बहन की हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके कपड़ों पर लगे माहवारी या मासिक धर्म के के दाग को उसके यौन संबंध का संकेत मान लिया था।

भारत में 350 मिलियन से अधिक महिलाएँ और बालिकाएँ रहती हैं जो हर माह मासिक धर्म के नैसर्गिक चक्र से गुज़रती हैं। उनमें से कई के लिये मासिक धर्म आज भी एक 'टैबू' या वर्जित विषय जो कि संकोच एवं भेदभाव का स्रोत बना हुआ है।

शहरी भारत में बालिकाएँ और महिलाएँ अपने जीवन का एक उल्लेखनीय भाग सार्वजनिक डोमेन में व्यतीत करती हैं। कोई युवा कामकाजी महिला सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से घंटों तक यात्रा करती है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने कोई किशोरी संकरी गलियों से होकर स्कूल जाती है, कोई सफाई कर्मचारी सूर्योदय के पूर्व शहर की सफाई के साथ अपना कार्य शुरू करती है, कोई सब्जी विक्रेता महिला घंटों अपने स्टॉल पर बैठती है और कोई नर्स 12 घंटे की व्यस्त शिफ्ट में कार्य करती है। उन सबके जीवन बेहद भिन्न हैं, लेकिन वे सभी दैनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर समय बिताती हैं और इस दौरान अपने जीवन के एक बेहद निजी पहलू, अपनी माहवारी का सामना करती हैं।

माहवारी एक सामान्य शारीरिक चक्र है, लेकिन आज भी संकोच, पूर्वाग्रह और भेदभाव से घिरी हुई है। नतीजतन, लोगों को माहवारी एवं संबंधित उत्पादों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने, शौचालय का उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

मासिक धर्म स्वास्थ्य या माहवारी स्वास्थ्य (Menstrual health) न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का विषय है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा भी है जिस पर सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से तत्काल ध्यान देने एवं कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

### भारत में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का मुद्दा कितना गंभीर है?

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, विगत वर्षों में भले ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी लगभग 27% युवा ग्रामीण महिलाएँ अपने माहवारी चक्र के दौरान सुरक्षा के अस्वच्छ साधनों का सहारा लेती हैं।
- शहरी आबादी में, 10% युवा महिलाओं ने अस्वच्छ तरीकों का उपयोग करने की सूचना दी।
- रिपोर्ट के अनुसार, 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वच्छ माहवारी उत्पादों (hygienic menstrual products) के उपयोग की दर 90% से अधिक है। लेकिन भारत के कुछ निर्धनतम राज्यों का इस मामले में खराब रिकॉर्ड नज़र आता है। बिहार में स्वच्छ माहवारी उत्पादों का न्यूनतम उपयोग दर (59%) पाया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश (61%) और मेघालय (65%) का स्थान है।

### खराब माहवारी स्वच्छता के परिणाम

- **स्वास्थ्य:** खराब माहवारी स्वास्थ्य से संक्रमण, जलन, डर्मेटाइटिस, pH संतुलन में बदलाव और सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यह पूर्वाग्रह एवं संकोच के कारण तनाव, दुश्चिंता और स्वाभिमान में कमी उत्पन्न कर मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है।
- **शिक्षा:** खराब माहवारी स्वास्थ्य सुविधाओं, उत्पादों, सूचना और समर्थन की कमी के कारण बालिकाओं एवं ट्रांसजेंडर छात्राओं की स्कूल उपस्थिति, प्रदर्शन और स्कूल में बने रहने (प्रतिधारण) को प्रभावित कर सकता है। यह खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने में भी बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है।

नोट :

- **विवाह:** खराब माहवारी स्वास्थ्य महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाएँ, जो बाल विवाह में धकेल दी जाती हैं, घरेलू हिंसा, संक्रमण, प्रजनन संबंधी बीमारियों, कुपोषण और खराब मानसिक स्वास्थ्य का अधिक सामना करने की संभावना रखती हैं।
- **कार्य:** खराब माहवारी स्वास्थ्य कार्य से अनुपस्थिति, असुविधा, भेदभाव और उत्पीड़न के कारण महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर कामगारों की उत्पादकता, आय और करियर के अवसरों को प्रभावित कर सकता है। यह उपयुक्त कार्य अवसर और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच को भी सीमित कर सकता है।

## माहवारी स्वच्छता की राह की बाधाएँ

- **'पीरियड पॉवर्टी' (Period Poverty):** माहवारी स्वच्छता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी भारत में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। कई बालिकाएँ और महिलाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, माहवारी स्वास्थ्य (उचित स्वच्छता अभ्यासों, सैनिटरी उत्पादों के उपयोग और माहवारी से जुड़ी असुविधा के प्रबंधन सहित) के बारे में सीमित ज्ञान ही रखती हैं।
  - चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि बहुत-सी बालिकाओं की सैनिटरी पैड तक सीमित पहुँच ही थी, जहाँ 44.5% बालिकाओं ने घर के बने अवशोषक या कपड़े का उपयोग करने की बात स्वीकार की।
  - रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि लगभग 11.3% लड़कियों को मासिक धर्म का सही कारण पता नहीं था और वे समझती थीं कि यह दैवी शाप या बीमारी का परिणाम है।
- **रूढ़ि और संकोच:** मासिक धर्म अभी भी भारत के कई भागों में सामाजिक रूढ़ि और सांस्कृतिक वर्जनाओं से घिरा हुआ है। मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं को प्रायः भेदभाव, प्रतिबंध और अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें अपमान और शर्मिंदगी की भावना पैदा होती है। यह रूढ़ि खुली चर्चाओं को रोक सकता है, सूचना एवं संसाधनों तक पहुँच को सीमित कर सकता है और माहवारी स्वच्छता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को कायम बनाए रख सकता है।
  - CRY की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दुकानों से सैनिटरी पैड खरीदने में झिझक या लज्जा, पैड के निपटान में कठिनाई, उपलब्धता की कमी और पैड के बारे में जानकारी न होना सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं करने के प्रमुख कारण थे।
    - 61.4% बालिकाओं ने स्वीकार किया है कि माहवारी को लेकर समाज में शर्मिंदगी की भावना मौजूद है।
- **सस्ते स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच का अभाव:** भारत में सस्ते और स्वच्छ माहवारी उत्पादों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। कई महिलाएँ, विशेष रूप से निम्न आय पृष्ठभूमि की महिलाएँ, सैनिटरी पैड या टैम्पोन खरीदने में संघर्ष करती हैं। इसके परिणामस्वरूप कपड़े, चिथड़े या यहाँ तक कि राख जैसे अस्वच्छ विकल्पों के उपयोग की स्थिति बनती है, जो संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है।
- **अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ:** कई क्षेत्रों में उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी (जिसमें स्वच्छ शौचालय एवं जल आपूर्ति शामिल है) माहवारी स्वच्छता के लिये एक प्रमुख बाधा है। स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में अपर्याप्त आधारभूत संरचना महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये अपने माहवारी को सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से प्रबंधित करना कठिन बना सकता है।
  - अनौपचारिक कार्य (जैसे निर्माण कार्य, घरेलू कार्य आदि) से संलग्न महिलाओं के पास प्रायः वॉशरूम, नहाने के लिये साफ जल और लागत-प्रभावी स्वच्छता उत्पादों एवं उनके सुरक्षित निपटान तक पहुँच नहीं होती है। पैड आदि माहवारी उत्पादों को बदल सकने के लिये प्रायः उनके पास निजता की भी कमी होती है।
- **सीमित स्वास्थ्य सेवा:** ग्रामीण क्षेत्रों को प्रायः चिकित्सकों, नर्सों और दाइयों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जो मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। यह कमी जानकार स्वास्थ्य पेशेवरों तक महिलाओं की पहुँच को आगे और बाधित करती है। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की यह कमी मासिक धर्म के बारे में व्याप्त मिथकों एवं गलत धारणाओं के बने रहने में भी योगदान देती है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक अभ्यास:** कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ एवं प्रथाएँ माहवारी स्वच्छता को बाधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, कुछ समुदाय मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं को अपवित्र मानते हैं और धार्मिक गतिविधियों या सामाजिक समारोहों में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं। इस तरह के अभ्यास रूढ़ि की धारणा को और प्रबल कर सकते हैं तथा उचित माहवारी स्वच्छता अभ्यासों में बाधा डाल सकते हैं।
  - महाराष्ट्र में एक अध्ययन में पाया गया कि माहवारी से गुज़रती बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से रहित 'कूर्मघर' या 'पीरियड हट्स' (period huts) में अलग करने की प्रथा महिलाओं के बीच अनुकूल यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।

- **नीतिगत उपायों की कमी:** 'महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक नि:शुल्क पहुँच विधेयक (Right of Women to Menstrual Leave and Free Access to Menstrual Health Products Bill), 2022' में महिलाओं और ट्रांसवुमन के लिये उनकी माहवारी के दौरान तीन दिनों के सवेतन अवकाश की व्यवस्था की गई है तथा छात्राओं के लिये भी अतिरिक्त लाभ का उपबंध किया गया है, लेकिन अभी इसका अधिनियम बनना शेष है। केवल दो राज्यों, केरल और बिहार में महिलाओं के लिये माहवारी अवकाश नीतियाँ कार्यान्वित हैं।

## आगे की राह

- **समावेशी दृष्टिकोण अपनाना:** दिव्यांग महिलाओं, ट्रांस-पुरुष/महिला और माहवारी से गुज़रने वाले अन्य लैंगिक पहचान वाले लोगों की माहवारी संबंधी आवश्यकताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिये। जेंडर-नॉनकन्फर्मिंग व्यक्तियों (Gender-nonconforming persons) को सुरक्षा समस्याओं और माहवारी संबंधी आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है। हमें उनकी अनूठी आवश्यकताओं को भी तत्काल समझने की ज़रूरत है।
- **सैनिटरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना:** अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित सैनिटरी नैपकिन के सस्ते और वहनीय होने के बावजूद इनमे गुणवत्ता संबंधी कुछ समस्याओं को चिह्नित किया है।
- **बेहतर विकल्पों को बढ़ावा देना:** मेंस्ट्रुअल कप (Menstrual cups) सैनिटरी नैपकिन का एक सस्ता, संवहनीय और इको-फ्रेंडली विकल्प है, लेकिन उन्हें अभी संदेह के साथ देखा जाता है।
- **टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ:** टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का उपयोग मासिक धर्म स्वास्थ्य में विशेषज्ञता रखने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों तक दूरस्थ पहुँच प्रदान कर सकता है। वीडियो परामर्श के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाएँ एवं बालिकाएँ माहवारी स्वच्छता पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समर्थन एवं विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकती हैं। इससे भौगोलिक बाधाओं के बावजूद सटीक जानकारी की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- **समुदाय-आधारित सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम:** नवीन सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रमों (innovative peer education programs) के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करने से माहवारी के बारे में झिझक और रूढ़ि को दूर करने में मदद मिल सकती है। ये कार्यक्रम महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता दूत (menstrual hygiene ambassadors) बनने के लिये प्रशिक्षित एवं सशक्त कर सकते हैं।
- **सुदृढ़ अपशिष्ट निपटान:** सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान और इससे जुड़ी कठिनाइयों एवं भ्रांतियों को दूर करना।
    - माहवारी अपशिष्ट का पता लगाने और स्वचालित रूप से उचित निपटान तंत्र शुरू करने हेतु सेंसरयुक्त स्मार्ट शौचालयों को विकसित करने के लिये IoT तकनीक को नियोजित किया जा सकता है।
- **स्मार्ट शौचालयों का निर्माण:** ये शौचालय स्वच्छता अभ्यासों पर वास्तविक समय प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, माहवारी उत्पादों की आपूर्ति के स्तर की निगरानी कर सकते हैं और रखरखाव एवं री-स्टॉकिंग के लिये अलर्ट भेज सकते हैं।
- **जागरूकता बढ़ाना:** माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आसानी से सुलभ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त जानकारी प्रदान करने के लिये मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव वेबसाइटों और वौइस-बेस्ड सूचना प्रणाली के उपयोग जैसी पहल के माध्यम से महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिये।
    - संवर्द्धित वास्तविकता (Augmented Reality-AR) और आभासी वास्तविकता (Virtual Reality-VR) प्रौद्योगिकियाँ माहवारी स्वास्थ्य शिक्षा के लिये 'इमर्सिव' और 'इंटरैक्टिव' लर्निंग अनुभवों का सृजन कर सकती हैं।
    - वर्चुअल सिमुलेशन और सिनेरियो का उपयोग उपयुक्त स्वच्छता अभ्यासों को सिखाने, शामिल जैविक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने और मिथकों एवं गलत धारणाओं को दूर करने के लिये किया जा सकता है।
- **नीतिगत उपाय:** टैक्स में कटौती, सैनिटरी उत्पादों के लिये मानक तय करने और महिला-अनुकूल अवसंरचना निर्माण जैसी नीतियों को लागू किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, 'महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुँच विधेयक' को अधिनियम का रूप दिया जाना चाहिये और इसे अक्षरश: लागू किया जाना चाहिये।

## निष्कर्ष

अपर्याप्त माहवारी स्वच्छता महिलाओं एवं बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से हानि पहुँचा सकती है, जहाँ

वे संक्रमण, एनीमिया, बांझपन, स्कूल ड्रॉपआउट, हिंसा एवं भेदभाव का शिकार हो सकती हैं। यह केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का मामला नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता भी है जो सरकारों, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिये हमें शिक्षा, जागरूकता अभियान, नीतिगत सुधार, अवसंरचना सुधार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। माहवारी को रूढ़ि-मुक्त करके, सस्ते सैनिटरी उत्पादों को सुनिश्चित करके और व्यापक माहवारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके हम भारत में माहवारी स्वच्छता को बेहतर बना सकते हैं।

## भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार विविधीकरण की धीमी गति ने एक अस्थिर और अव्यवहार्य स्थिति उत्पन्न कर दी है जहाँ कृषि क्षेत्र में कामगारों की बड़ी संख्या संलग्न बनी हुई है, जबकि कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अपनी हिस्सेदारी के संबंध में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज कर रहा है।

अपर्याप्त आर्थिक विविधीकरण—निम्न मूल्यवर्द्धित गतिविधियों से उच्च मूल्यवर्द्धित गतिविधियों तक, भारतीय विकास प्रक्षेपवक्र की प्रमुख विफलताओं में से एक रहा है।

### ग्रामीण भारत में रोज़गार के आँकड़े क्या कहते हैं?

औद्योगिकीकरण की ओर कुछ देर से आगे बढ़ने वाले जापान, दक्षिण कोरिया और हाल ही में चीन जैसे सफल देशों के विपरीत भारत में अधिकांश कार्यबल निम्न-भुगतान वाली सेवाओं के साथ-साथ कृषि एवं अन्य प्राथमिक गतिविधि क्षेत्रों में निम्न-मूल्य वाले रोज़गार में फँसे रहे हैं।

- **पिछले दो दशकों में ग्रामीण रोज़गार विविधीकरण की स्थिति:** यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये घटती कार्य भागीदारी दरों के साथ संपन्न हुआ है। चार्ट 1 दर्शाता है कि कैसे ग्रामीण पुरुषों के लिये रोज़गार दर अत्यंत निम्न है और चार दशकों से आमतौर पर स्थिर या गतिहीन बनी हुई है।

- **महिलाओं के लिये रोज़गार:**
  - अस्थिर प्रवृत्ति के साथ कम रोज़गार: ग्रामीण महिलाओं के लिये रोज़गार की दर महज 34 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है, जो वर्ष 2017-18 में 17.5 प्रतिशत तक नीचे चली गई थी। वर्ष 2021-22 में मामूली सुधार के साथ यह लगभग 27 प्रतिशत के स्तर पर पहुँची, तो भी चार दशक पहले की दर की तुलना में पर्याप्त कम थी।
    - महिलाओं के चिह्नित रोज़गार में यह भारी गिरावट वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि में कुल रोज़गार में चरम गिरावट के लिये ज़िम्मेदार थी।
  - चार्ट 4 कुल ग्रामीण महिला आबादी के अनुपात के रूप में कृषि में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाता है। पिछले दशकों में इसमें लगातार गिरावट आई, जो वर्ष 2017-18 में महज 12.8 प्रतिशत के स्तर पर थी। वर्ष 2021-22 में इसमें कुछ सुधार आया और यह 20.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुँची, लेकिन यह वृद्धि एक संकटपूर्ण प्रगति अधिक प्रतीत होती है क्योंकि फिर भी पहले के दशकों के स्तर से यह पर्याप्त नीचे है।

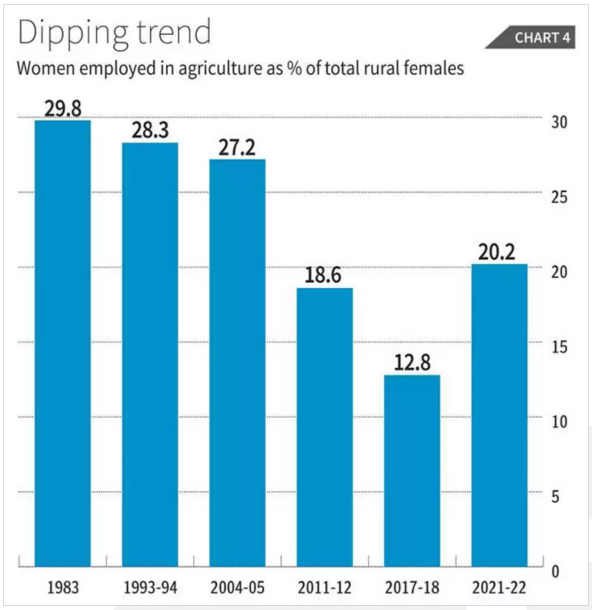


- **गैर-मान्यता प्राप्त महिला श्रम:** महिला कार्य भागीदारी दर सभी कार्यों को इंगित नहीं करती है, बल्कि यह स्वरोज़गार सहित केवल चिह्नित या मान्यता प्राप्त रोज़गार को ही प्रकट करती है। इसमें घरेलू उपभोग और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों में महिलाओं द्वारा मुख्यत: अवैतनिक रूप में किये जाते कार्य की एक बड़ी मात्रा शामिल नहीं है।
    - अवैतनिक कार्य में केवल घरों में किया जाने वाला अवैतनिक देखभाल कार्य शामिल नहीं है, बल्कि जल एवं ईंधन की लकड़ी लाने, रसोई के लिये सब्जी उगाने, मुर्गी पालन करने जैसी कई अन्य आवश्यक गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
- **महिलाएँ, न केवल अवैतनिक कामगारों बल्कि अवैतनिक सहायकों के रूप में:** मान्यता प्राप्त महिला कामगारों के एक बड़े भाग को (ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक-तिहाई तक) 'पारिवारिक उद्यमों (विशेष रूप से खेतों में) में अवैतनिक सहायक' के रूप में वर्णित किया जाता है।

## पुरुष कामगारों के लिये रोज़गार संरचना:

- **कृषि में रोज़गार:** पुरुष कामगारों के लिये रोज़गार संरचना में परिवर्तन आए हैं। चार्ट 2 ग्रामीण पुरुष कामगारों के लिये रोज़गार में क्षेत्रीय परिवर्तनों की एक झलक प्रदान करता है। कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 1983 में 77.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 51 प्रतिशत रह गई है।

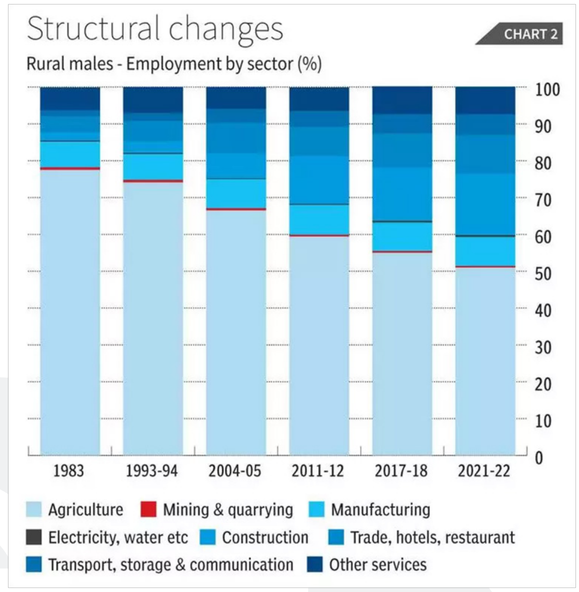


- **निर्माण क्षेत्र में रोज़गार:** कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के आधे भाग से अधिक के लिये एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में निर्माण क्षेत्र (Construction sector) के उदय को उत्तरदायी माना जाता है जो वर्ष 2021-22 में ग्रामीण पुरुष रोज़गार का 16.6 प्रतिशत प्रदान कर रहा था।
    - विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing sector) की हिस्सेदारी में मामूली परिवर्तन ही आया है जो 7-8 प्रतिशत पर बना रहा है। यह ग्रामीण औद्योगीकरण में किसी भी सार्थक प्रगति की विफलता का संकेत देता है।
- **सेवा क्षेत्र में रोज़गार:** ट्रेड होटल एवं रेस्तरां ने पुरुष रोज़गार में अपनी हिस्सेदारी को दोगुने से अधिक कर लिया है और परिवहन सेवाओं में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इनका एक बड़ा भाग अपेक्षाकृत निम्न भुगतान वाली गतिविधियाँ ही बनी रही हैं।

## महिला कामगारों के लिये रोज़गार संरचना:

- **महिला रोज़गार में अत्यंत सीमित विविधता:** ग्रामीण महिलाओं के लिये रोज़गार का विविधीकरण बहुत कम स्पष्ट देखा गया।
    - कृषि क्षेत्र में रोज़गार: कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट आई, लेकिन यह गिरावट महज वर्ष 1983 में 87.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 73.2 प्रतिशत के रूप में दर्ज हुई और वर्ष 2021-22 में 75.9% के साथ इसमें पुन: वृद्धि दर्ज की गई।

नोट :

- अधिकांश महिलाओं ने स्वयं को पारिवारिक कृषि भूमियों में अवैतनिक सहायक के रूप में स्वरोज़गार कार्य में संलग्न क्योंकि मज़दूरी रोज़गार (चाहे नियमित या अनियत) के 'शरण' क्षेत्र (refuge sector) होने की संभावना कम होती है।

- **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार:** विनिर्माण रोज़गार ने वर्ष 1983 में 6.4 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को कार्य दिया था जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2021-22 में ग्रामीण महिला मान्यता प्राप्त कामगारों की महज 7.9% हिस्सेदारी के साथ इसमें पुन: गिरावट दर्ज की गई।
- **निर्माण क्षेत्र में रोज़गार:** निर्माण क्षेत्र के रोज़गार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई लेकिन अभी भी यह ग्रामीण महिला रोज़गार के केवल 5.3% भाग का निर्माण करता है।
- **सेवा क्षेत्र में रोज़गार:** अन्य सेवाओं, मुख्य रूप से सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई (वर्ष 1983 में 2.8 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में 8.9 प्रतिशत), लेकिन हाल की अवधि के लिये इसमें पुन: 6.8 प्रतिशत तक गिरावट आई।
- महिलाओं के रोज़गार में कृषि की हिस्सेदारी में हाल का 'पुनरुद्धार' (revival) व्यवहार्य रोज़गार अवसरों के मामले में अन्य गतिविधियों की गिरावट को दर्शाता है।

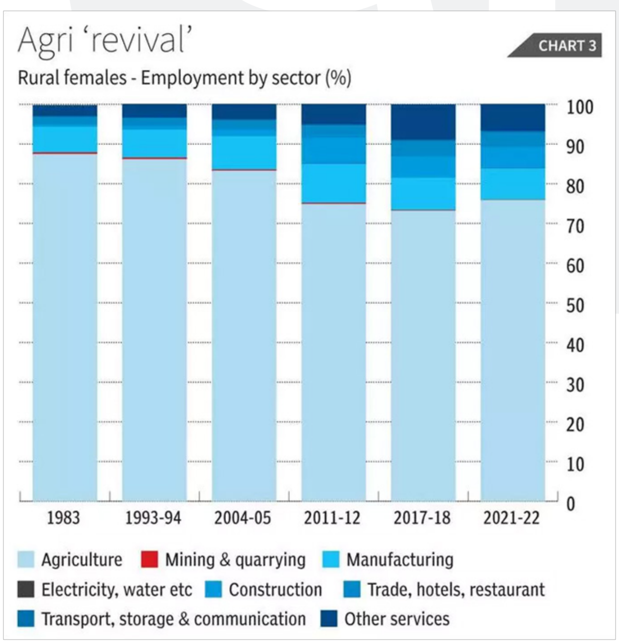


- **NFHS-5 के अनुसार महिला रोज़गार:** 15-49 आयु वर्ग के लगभग 75% किशोर और पुरुष वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि समान आयु वर्ग की केवल 25% किशोरियाँ एवं महिलाओं के पास रोज़गार है।
    - 15-49 कामकाजी आयु वर्ग में लगभग 32% महिलाएँ कार्यरत हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 15% कामकाजी महिलाओं को उनके कार्य के लिये भुगतान नहीं किया जाता है।

## ग्रामीण क्षेत्र में विविधता की कमी के क्या कारण हैं?

- **कृषि-केंद्रित अर्थव्यवस्था:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर है (जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है)। कृषि क्षेत्र अप्रत्याशित मानसून पर निर्भर है और सूखे एवं बाढ़ के लिये प्रवण है। इससे किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये निम्न एवं अनिश्चित आय की स्थिति बनती है।
    - लघु जोत, आधुनिक तकनीकों की कमी और अपर्याप्त अवसंरचना जैसे कारकों के कारण किसानों को प्राय: निम्न उत्पादकता और आय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- **गैर-कृषि रोज़गार अवसरों की कमी:** ऋण, बीमा एवं बचत जैसे वित्तीय संसाधनों तक पहुँच का अभाव ग्रामीण लोगों की उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने, आघातों से निपटने और अपनी आजीविका में विविधता लाने की क्षमता को सीमित करता है।

उद्योग और व्यवसाय शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विविधतापूर्ण आर्थिक गतिविधियों की कमी होती है।

अपर्याप्त अवसंरचना: सड़क, बिजली, सिंचाई, दूरसंचार, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास में बाधा डालता है और बाज़ारों, सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँच को सीमित करता है।

शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच: ग्रामीण लोगों के बीच शिक्षा और कौशल का निम्न स्तर श्रम बाज़ार में उनकी रोज़गार-योग्यता एवं गतिशीलता को सीमित करता है। कई ग्रामीण बच्चे निर्धनता, स्वच्छता सुविधाओं की कमी, अल्पायु विवाह या घरेलू कार्य के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।

शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की कमी नए आर्थिक क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:** जाति, लिंग, धर्म या जातीयता पर आधारित सामाजिक असमानताएँ भी ग्रामीण लोगों के आर्थिक अवसरों और परिणामों को प्रभावित करती हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों को भेदभाव, अपवर्जन एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है जो उनकी आर्थिक क्षमता को सीमित करता है।

- **ऋण और वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुँच:** ग्रामीण समुदायों को प्राय: ऋण (क्रेडिट) और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे उद्यमियों और लघु व्यवसायों के लिये अपना परिचालन शुरू करना या उसका विस्तार करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वित्तीय सहायता की कमी विविधतापूर्ण आर्थिक गतिविधियों के विकास को बाधित करती है।

## ग्रामीण भारत में रोज़गार विविधता लाने के लिये कौन-से कदम उठाये गए हैं?

- **दीनदयाल अन्त्योदय योजना** - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को लाभकारी स्वरोज़गार और कुशल मजदूरी रोज़गार अवसरों तक पहुँच बनाने में सक्षम करना है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिये संवहनीय और विविधतापूर्ण आजीविका विकल्प उपलब्ध होते हैं। मिशन की आधारशिला है इसका 'समुदाय-संचालित' दृष्टिकोण, जिसने महिला सशक्तीकरण के लिये सामुदायिक संस्थानों के रूप में एक वृहत मंच प्रदान किया है।
    - मिशन ने गरीब और कमज़ोर समुदायों की कुल 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्व-सहायता समूहों (SHGs) में सक्रिय किया है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा/MGNREGS):** यह योजना महिलाओं को सुरक्षित रोज़गार के साथ अकुशल कार्यबल को गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने के लिये है।
    - योजना के तहत किये गए कार्यों का कृषि उत्पादकता, उत्पादन-संबंधी व्यय और प्रति परिवार आय पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव देखा गया है; साथ ही प्रवास के साथ नकारात्मक संबंध और ऋणग्रस्तता (विशेष रूप से गैर-संस्थागत स्रोतों से) में कमी आई है।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY):** यह योजना अकुशल युवाओं को विभिन्न गैर-कृषि क्षेत्रों में रोज़गार हेतु कौशल प्रदान करती है।
- **महिला सशक्तीकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में NRHM (ASHA), आंगनवाड़ी (PM-POSHAN), बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस-सखी (BC-Sakhi) जैसे विभिन्न गैर-कृषि क्षेत्रों में रोज़गार देकर महिला सशक्तीकरण।
- **ग्रामीण अवसंरचना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7,23,893 किमी लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission):** यह योजना ग्रामों के ऐसे संकुल को विकसित करने के लिये शुरू की गई है जो समता एवं समावेशिता पर ध्यान केंद्रित रखते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित एवं संपोषित करते हैं, जबकि ऐसी सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं करते जो अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति की मानी जाती हैं; इस प्रकार शहरी ग्रामों के एक संकुल का सृजन करते हैं।

## आगे की राह

विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश करना, ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विविधीकरण एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों का कार्यान्वयन करना शामिल है।

- **अवसंरचना विकास:** व्यवसायों और निवेश को आकर्षित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, संचार एवं अन्य अवसंरचना में सुधार करना।
- **उद्यमिता को समर्थन:** प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Ministers Employment Generation Programme- PM-EGP) जैसी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित कर उद्यमिता को प्रोत्साहित करें और ग्रामीण उद्यमियों को सहायता प्रदान करें।
- **उद्योग विविधीकरण:** एकल क्षेत्र (कृषि) पर निर्भरता कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विविध उद्योगों (जैसे खाद्य प्रसंस्करण, पारंपरिक सामान और सेवाएँ, ग्रामीण पर्यटन, आदि) के विकास को बढ़ावा देना। इसमें ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना और उनका संपोषण करना शामिल हो सकता है जिनमें विकास की क्षमता है और जो स्थानीय संसाधनों के साथ संरेखित हैं, जैसे कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण या प्रौद्योगिकी।
- **कौशल विकास और शिक्षा:** शहरी उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच बढ़ाना।
- **दूरस्थ कार्य और टेलीकम्यूटिंग के लिये सहायता देना:** ऐसी अवसंरचना और संसाधनों में निवेश किया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ कार्य एवं टेलीकम्यूटिंग के अवसरों को सक्षम बनाए। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाना, को-वर्किंग स्पेस स्थापित करना और स्थानीय व्यवसायों के साथ टेलीकम्यूटिंग पहल को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी:** ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी

नोट :

एजेंसियों, निजी क्षेत्र के संगठनों एवं गैर-लाभकारी संस्थाओं के बीच संसाधनों को जुटाने, ज्ञान साझा करने और निवेश को आकर्षित करने के लिये सहयोग एवं सहकार्यता को प्रोत्साहित करें जो निवेश आकर्षित करने और रोज़गार अवसरों का सृजन करने पर लक्षित हों।

- **सामुदायिक संलग्नता और भागीदारी:** ग्रामीण विकास से संबंधित योजना-निर्माण और निर्णयन प्रक्रियाओं में सामुदायिक संलग्नता एवं भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि कार्यान्वित पहल स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है और उनमें विकास प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व की एक भावना उत्पन्न करती है।
- **महिलाओं के अवैतनिक कार्य को मान्यता देना:** यदि इस तरह के अवैतनिक कार्य को मान्यता दी जाए तो भारत में 85 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ 'आर्थिक' गतिविधि में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।
  - अवैतनिक कार्य की मान्यता कामगारों को विकल्प प्रदान करेगी और बाज़ार में मांग एवं आपूर्ति के अनुरूप तथा रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार (न कि विवशता के रूप में) कार्य करने की इच्छा पैदा करेगी। यह आगे महिलाओं के बीच कार्यबल के अधिक औपचारीकरण और राष्ट्र निर्माण में उनके आर्थिक योगदान को सुगम बनाएगी।

## दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह के वैधीकरण के संबंध में भारत में LGBTQIA+ समुदाय के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें। देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर इसकी कानूनी मान्यता के प्रभाव का विश्लेषण करें।
2. भारत और EFTA राज्यों के बीच एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के संभावित लाभों पर चर्चा करें तथा बताएँ कि यह दोनों पक्षों के आर्थिक विकास एवं कल्याण में कैसे योगदान कर सकता है।
3. भारत 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है और अपनी जनसंख्या के लिये खाद्य सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें और इन्हें संबोधित कर सकने के लिये आवश्यक उपायों के सुझाव दें।
4. चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का विश्लेषण करें और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के कारणों की व्याख्या करें। इस घाटे को कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये कौन-से नीतिगत उपाय किये जा सकते है?
5. भारत में कृषि क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेमौसमी बारिश के प्रभाव की चर्चा करें। इस समस्या के समाधान के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
6. भारत के पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को साकार करने का वृहत अवसर मौजूद है, लेकिन इसके लिये विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सुदृढ़ स्किलिंग एवं अपस्किलिंग रणनीति को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। टिप्पणी करें।
7. भारत में तीव्र शहरीकरण के कारणों की चर्चा करें और तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझाएँ।
8. मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हाल की हिंसा एवं अशांति के कारणों और परिणामों का परीक्षण करें। सभी हितधारकों की शिकायतों को दूर करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव बहाल करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?
9. "दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरताओं और अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती आवृत्ति के बीच विश्व अब भुगतान निपटान के अधिक उपयुक्त वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहा है। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक विवेकपूर्ण आगे की राह प्रदान करता है।" टिप्पणी कीजिये।
10. भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय गतिशीलता के संदर्भ में भारत-खाड़ी संबंधों के महत्त्व की चर्चा करें। खाड़ी देशों के साथ भारत की संलग्नता से जुड़ी चुनौतियों का भी मूल्यांकन करें।
11. भारतीय उड्डयन उद्योग की वर्तमान स्थिति और इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें। इन चुनौतियों का समाधान करने और उद्योग में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
12. भारत लंबे समय से निजी खिलाड़ियों को अपनी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिये प्रयासरत रहा है। इस संदर्भ में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के महत्त्व की चर्चा करें और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में इसरो द्वारा पेश की गई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की भूमिका पर भी विचार करें।
13. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किये गए 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) में भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में क्रांति लाने की अपार क्षमता है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें और आगे की राह सुझाएँ।
14. चूँकि वर्ष 2023 के 'अल नीनो वर्ष' होने का अनुमान है, खाद्य सुरक्षा पर मौसम के प्रभाव की चर्चा करें और भारत में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिये कुछ उपायों के सुझाव दें।
15. हाल की प्रगतियों के आलोक में, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में डिफॉल्ट ज़मानत की अवधारणा की चर्चा करें। अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने में इसके महत्त्व का परीक्षण करें।
16. भारत में लाखों किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिये कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक उपायों के सुझाव दें।
17. सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) एक पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रणाली विकसित करने के लिये शुरू किया गया था। इस योजना के लाभों एवं चुनौतियों की चर्चा करते हुए आगे की राह बताइये।

नोट :

18. ''चूँकि वर्ष 2050 के लिये परिकल्पित भारत के अधिकांश का निर्माण होना अभी शेष है, 'इस्पात उद्योग का त्वरित डीकार्बोनाइज़ेशन' भारत के लिये आरंभ में ही इसका निर्माण कर लेने का एक स्पष्ट अवसर प्रदान करता है।'' टिप्पणी करें।
19. सरकार ने हाल ही में 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' लॉन्च किया है। इस मिशन के महत्त्व और इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें।
20. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर अपने पिछले निर्णय को, जहाँ इसे साँडों के प्रति क्रूर माना गया था और देश में साँडों को वश में करने एवं बैल दौड़ जैसे सभी खेलों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, हाल के निर्णय में पलट देने का क्या महत्त्व है? इस परिप्रेक्ष्य में हाल के निर्णय का विश्लेषण कीजिये।
21. परिवहन क्षेत्र और पर्यावरण पर इलेक्ट्रिक वाहनों के संभावित प्रभाव की चर्चा करें। उनके व्यापक अंगीकरण से संबद्ध चुनौतियों एवं अवसरों का मूल्यांकन करें।
22. आर्थिक उत्पीड़न घरेलू हिंसा का एक रूप है जिस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। इसकी व्यापकता में योगदान करने वाले कारकों और पीड़िताओं पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिये। उन रणनीतियों के सुझाव भी दें जिन्हें प्रभावी ढंग से जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक उत्पीड़न को रोकने और इन्हें संबोधित करने के लिये अपनाया जा सकता है।
23. शासन, योजना निर्माण और संसाधन आवंटन के संदर्भ में जनगणना में देरी के निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
24. पाकिस्तान अपने सबसे गंभीर राजनीतिक एवं आर्थिक संकट में से एक का सामना कर रहा है। इस परिदृश्य में भारत के लिये कौन-से अवसर व खतरे मौजूद हैं और इस परिदृश्य में भारत को किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिये? चर्चा कीजिये।
25. भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई के लिये कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता, चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिये।
26. उपयुक्त माहवारी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में महिलाओं के समक्ष विद्यमान बाधाओं एवं चुनौतियों पर विचार करें और समावेशी एवं व्यापक माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाएँ।
27. भारतीय कृषि नारीकरण से लेकर रोज़गार विविधता की कमी तक,विविध समस्याओं का सामना कर रही है। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में व्याप्त बाधाओं की चर्चा करते हुए सुधारात्मक उपायों को सुझाइये।

नोट :